Government of Himachal Pradesh

Economic Survey
आर्थिक सर्वेक्षण
2015-16

Economics & Statistics Department
Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2015–16

अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2015–16 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है।

मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

डा0 श्रीकांत बाल्दी
अतिरिक्त मुख्य सचिव
(वित्त, योजना तथा अर्थ एवम् सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

विषय सूची

		पृष्ठ
1. सामान्य समीक्षा	..	1
2. राज्य आय एवम् लोक वित्त	..	11
3. संस्थागत् एवम् बैंक वित्त	..	16
4 आबकारी एवम् कराधान	..	35
5. भाव संचलन	..	38
6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति	..	40
7. कृषि एवम् उद्यान	..	46
8. पशु तथा मत्स्य पालन	..	61
9. वन तथा पर्यावरण	..	70
10.जल स्त्रोत प्रबंधन	..	74
11. उद्योग एवम् खनन	..	77
12. श्रम और रोजगार	..	81
13. विद्युत	..	86
14. परिवहन एवम् संचार	..	108
15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	..	114
16. शिक्षा	..	119
17. स्वास्थ्य	..	135
18. समाज कल्याण कार्यक्रम	..	142
19. ग्रामीण विकास	..	155
20. आवास एवम् शहरी विकास	..	161
21. पंचायती राज	..	167
22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी	..	170

भाग–1

वर्ष 2015–16 की प्रगति की समीक्षा

---

1. सामान्य समीक्षा

राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थ–व्यवस्था में दीर्घकालीन अवधि के विकास में सीमित सकारात्मक वृद्धि के प्रमुख कारण इसकी युवा शक्ति, कम निर्भरता अनुपात तथा एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती भागीदारी है। लघु अवधि में भारतीय अर्थ–व्यवस्था विकास के दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं रही। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्यात में कमी आई है जबकि तेल भाव में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014–15 में 7.2 प्रतिशत की वृद्वि आंकी गई जबकि वर्ष 2015–16 के लिए 7.6 प्रतिशत सम्भावित है।

1.2 अर्थ–व्यवस्था में तेल की इन कीमतों में 75 प्रतिशत गिरावट के कारण इस वित्तीय वर्ष में भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार देखा गया है जिससे चालू खाता के घाटों में भी सुधार हुआ है। इस अवधि में मुद्रा–स्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में बहुत अधिक अच्छी नहीं रही। सरकार के विभिन्न प्रयासों व मुद्रा–स्फीति में गिरावट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्वि की और अग्रसर है।

1.3 दुनिया इन दिनों भारत को आर्थिक प्ररिपेक्ष में सबसे पसंदीदा गंतव्य के तौर पर देख रही है जिसके लिए देश को इस स्थिति को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में ज्यादा तथा सुनिश्चित लाभांश के कारण भारत में निवेश को आकर्षक स्थान मान रहे हैं।

1.4 नए आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2014–15 में कुल सकल घरेलू उत्पाद ₹105.52 लाख करोड़ आंका गया है जबकि 2013–14 में यह ₹98.39 लाख करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2013–14 में ₹112.73 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–15 में लगभग ₹124.88 लाख करोड़ आंका गया है जोकि 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में मूल भाव (आधार 2011–12) में सकल मूल्य संवर्धन में 6.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014–15 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2014–15 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्वि मुख्यतः, अन्य सेवाएं (11.4 प्रतिशत), खनन क्षेत्र में (10.8 प्रतिशत), व्यापार, मुरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट (10.7 प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन (9.8 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगिता सवाओं में (8.0 प्रतिशत) तथा वित्त सेवाएं (7.9 प्रतिशत), रही जबकि कृषि वन व मत्स्य क्षेत्र में 0.2 प्रतिशत की कमी रही।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013–14 में ₹79,412 थी जो वर्ष 2014–15 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यह ₹86,879 हो गई। स्थिर (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वर्ष 2013–14 में ₹68,867 से बढ़कर

वर्ष 2014–15 में ₹72,889 हो गई जो कि 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2015–16 में (अग्रिम अनुमानों पर आधारित) विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 मुद्रा–स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वित्त वर्ष (2015–16) में मुद्रा–स्फीति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है जब यह 7.3 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पंहुच गई थी। थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2015 में मुद्रा–स्फीति की दर (-) 0.7 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2014 में 6.4 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्धि दिसम्बर, 2015, में 6.3 प्रतिशत रही जबकि यह दिसम्बर, 2014 में 5.9 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

1.8 हिमाचल प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था कृषि और बागवानी पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के उत्पादन पर उतार चढ़ाव के कारण अर्थ–व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश, देश में न कि एक पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे माडल के रुप में उभरा है अपितु विकास के विभिन्न क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य के रुप में जाना जा रहा है। प्रतिस्पर्धी माहौल और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता विरासत, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्वि हुई अपितु राज्य की अर्थ–व्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है जिस कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7.7 प्रतिशत रहने की संभावना है।

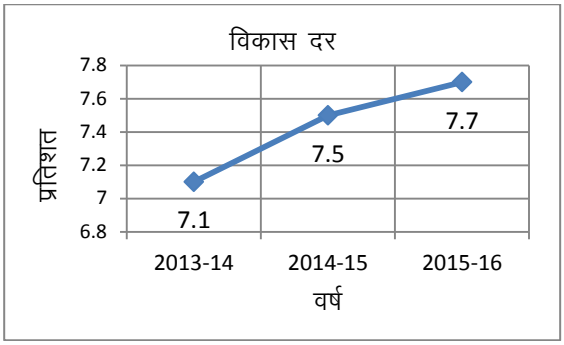

1.9 वर्ष 2013–14 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर ₹92,589 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–15 में ₹101,108 करोड़ आंका गया है। यह 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों में वर्ष 2013–14 में (2011–2012) पर ₹82,866 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹89,050 करोड़ हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष भी 7.1 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण यातायात एवं व्यापार क्षेत्र में 14.6 प्रतिशत, व्यक्तिगत सेवाओं में 13.9 प्रतिशत, गोण क्षेत्र में 6.1 प्रतिशत, वित एवं स्थावर सम्पदा में 11.4 प्रतिशत रहना है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013–14 में 15.85 लाख मी.टन से बढ़कर 2014–15 में 16.74 लाख मी.टन रहा और 2015–16 में यह उत्पादन 16.19 लाख मी.टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में भी 13.2 प्रतिशत की कमी हुई। जो कि वर्ष 2013–14 में 8.66 लाख मी.टन से घटकर 2014–15 में 7.52 लाख मी.टन तथा 2015–16 में (दिसम्बर,2015 तक) 8.19 लाख मी.टन हुआ।

1.10 वर्ष 2013–14 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,10,209 से बढ़कर वर्ष 2014–15 अनुमानों के अनुसार ₹1,19,720 हो गई जो कि 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

सारणी–1.1
मुख्य सूचक

सूचक	2013–14	2014–15	2013–14	2014–15
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
प्रचलित भावों पर	92,589	101,108	12.5	9.2
स्थिर भावों पर	82,866	89,050	7.1	7.5
खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन)	15.85	16.74	2.9	5.6
फलोत्पादन (लाख टन)	8.66	7.52	55.8	(-) 13.2
उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)*	23,003	24,109	11.5	4.8
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1,951	2,097	7.5	7.4
थोक भाव सूचकांक	177.6	181.2	6.0	2.1
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.)	213	225	10.4	5.6

*प्रचलित भावों पर

1.11 वर्ष 2015 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2015–16 में लगभग **7.7 प्रतिशत** होने की संभावना है।

1.12 प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ–व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2014–15 में मात्र 10.4 प्रतिशत ही रह गया।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2014–15 में 24.8 तथा 43.0 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2014–15 में 21.8 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य

योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु उपजाऊ भूमि, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2014–15 में (दिसम्बर, 2015 तक) 8.19 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में अब तक 3,244 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2015 तक 8.48 लाख, विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में 15.76 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2013–14 में 14.66 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 7.5 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 14.80 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रमुख भूमिका निभा रही है। ऊर्जा संसाधन के रुप में जल विद्युत एक व्यवहारिक, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मित्र है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को भी प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

1.18 पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग, दूर संचार, विमानपत्तन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं मीडिया के पर्यटन क्षेत्र में गहन प्रचार के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट है:–

सारणी 1.2

आने वाले पर्यटक (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31

1.19 हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन की दिशा में ठोस पग उठाने में अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व ऊचांईयों तक पहुंचाएगी।

1.20 सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमस्वान के माध्यम से जी.टू.जी., जी.टू.सी., जी.टू.बी. ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान इत्यादि, तंत्र प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

1.21 मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक 6.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6.3 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार का मूल्य वृद्धि पर पूर्ण नियन्त्रण एवं सही व्यवस्था है।

1.22 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ₹22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2016–17 की योजना के लिए ₹5,200 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2015–16 से 8.3 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न हैः–

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (₹करोड़)	प्रतिशत भाग	प्राथ–मिकता
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	2,906.79	12.75	III
2	ग्रामीण विकास	1,276.73	5.60	VI
3	विशेष क्षेत्र	155.75	0.68	X
4	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,972.37	8.65	V
5	विद्युत	2,805.59	12.31	IV
6	उद्योग एवं खनिज	224.42	0.98	IX
7	यातायात एवं संचार	4,709.88	20.66	II
8	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	104.92	0.46	XI
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	596.59	2.62	VII
10	सामाजिक सेवाएं	7,674.22	33.66	I
11	सामान्य सेवाएं	372.74	1.63	VIII
	कुल	**22,800.00**	**100.00**	

1.23 जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश जोकि देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

1.24 सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवता में सुधार लाने हेतु एकताबद्ध प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- समाजिक सुरक्षा पैंशन ₹550 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह की गई है।
- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ₹1,000 कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयु की पात्रता 16 से 35 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।
- 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को बिना किसी आय सीमा के (को छोड़कर पेंशन भोगी) को ₹1,100 मासिक पैंशन दी जा रही है।
- राज्य को कृषि कर्मन्य पुरस्कार 2014–15 के अर्न्तगत सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए नामांकित किया गया है।
- विभिन्न बैंकों द्वारा 6.37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अर्न्तगत चावल एवं गेंहू का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रमशः 3 व 9 जिलों को चुना गया।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्धि से जुझना न पड़े।
- राजीव गांधी अन्न योजना के अंर्तगत 37 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिमाह तीन किलो गेहू व दो किलो चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- कृषि क्षेत्र में तेज व अधिक समावेशी विकास के लिए डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना आरम्भ की गई।
- चाय उत्थान योजना के अन्तर्गत अनुसुचित जााति के चाय उत्पादकों को कृषि लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 92,423 किसान आवर्णित किए गए तथा ₹34.50 करोड़ की राशि आंवटित की गई।
- सेब तथा आम के लिए चलाई जा रही मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अर्न्तगत आड़ू, पलम और किन्नू जैसे फलों को कुछ और खण्डों के माध्यम द्वारा इस योजना में शामिल किया गया।
- भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए ₹70.04 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।
- किसान काल सैंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800–180–1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- वर्ष 2014–15 में 2,097 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश में उपलब्ध 27,436 मैगावाट संभावित बिजली लक्ष्य में से 10,264 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है जो कि कुल क्षमता का 37.41 प्रतिशत है।

- घरेलू उपभोक्तों को 10 एल.ई.डी. बल्ब बाजार भाव से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए गए।
- मुम्बई, बंगलूरु, अहमदाबाद व नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन आयोजित किये गए।
- वर्ष 2014–15 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 24.81 प्रतिशत रहा है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज को मार्च, 2017 तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 147.78 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 3,76,265 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 2,128 घर स्वीकृत किए गए
- राजीव आवास योजनाओं के अंतर्गत् 503 घरों का निर्माण किया जाना है।
- स्वच्छ भारत मिशन, के माध्यम से, राज्य के सभी 12 जिलों में लागू किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रुप में जाना जा रहा है।
- मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली 10–75 वर्ष की आयु समूह की सभी महिलाओं को उनकी मौत या विकलांगता होने पर इस परियोजना क तहत लाया गया है। इस वर्ष के दौरान 118 परिवारों की सहायता की गई।
- शिक्षा की गुणवता के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।
- राज्य में विश्व विद्यालय स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए पिछड़े हुए ब्लॉकों में छात्रावास शुरू किए गए।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अधीन 16,834 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 10,000 डिजीटल नोट बुक्स प्रदान की गई हैं।
- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृति/बजीफा प्रदान कर रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत 95 स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित किये गए जिनमें कि 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं।

- सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों, ऑटो रिक्शा तथा टैक्सी चालकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाया गया।
- **बेटी है अनमोल** नामक योजना के तहत 16,111 कन्याएं लाभान्वित हुई।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना** के अर्न्तगत कम लिगांनुपात वाले ऊना जिले में प्रारम्भ की गई।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,516 लाभार्थी लाभान्वित हुए।
- अन्तरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत महिलाओं को नगद ₹6,000 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अभी तक 5,832 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
- बलात्कार प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। अब तक इस वित्तीय वर्ष में 30 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है।
- प्रदेश के 13 नए नगरों को नियोजित क्षेत्र अधिसूचित किया गया।
- धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का दूसरा नगर निगम बनाया गया।
- महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत् ₹90 करोड़ व्यय किए गए।
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अर्न्तगत नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,761 सरकारी कार्यालयों को हिम स्वान से जोड़ा है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई–सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।
- वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 36 जी.टू.सी. सेवाओं को राज्य पोर्टल www.eserviceshp.gov.in के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।
- आधार योजना के अंतर्गत् 70 लाख से अधिक निवासियों का नामांकन किया गया जिसमें से 67.77 लाख आधार कार्ड बनाए गए।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत् लाभ प्राप्ति की पात्रता हेतु ₹35,000 की वार्षिक आय की एक समान सीमा निर्धारित की गई।
- प्रदेश में 2 अतिरिक्त महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए।
- प्रदेश में ''सेवा अधिनियम'' के अर्न्तगत् 15 विभागों में 86 सेवाओं को कुशल और समय पर समाधान के लिए लागू किया गया है।

- राज्य में जन सुविधा हेतु सार्वजनिक सेवा वितरित हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने के लिए निशुल्क दूरभाष सेवा सुविधा प्रदान की गई है।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014–15 में ₹1,19,720 हो गई है जोकि वर्ष 2013–14 से 8.6 प्रतिशत अधिक है। **2015–16 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,30,067** होने का अनुमान है।

सारणी 1.3
राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

Item	2012–13 (वा.)	2013–14 (वा.)	2014–15 (सं.)	2015–16 (ब.)
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**15598**	**15711**	**18907**	**23535**
2. कर राजस्व	6908	7612	9063	10185
3. कर रहित राजस्व	1377	1785	1399	1507
4. सहाय अनुदान	7313	6314	8445	11843
5. राजस्व व्यय	**16174**	**17352**	**20445**	**23488**
क. ब्याज भुगतान	2370	2481	2750	2950
6. राजस्व घाटा (1–5)	**(-) 576**	**(-) 1641**	**(-) 1538**	**47**
7. पूंजी प्राप्तियां	**4434**	**4619**	**11451**	**4804**
क. उधार वसूलियां	21	17	26	17
ख. अन्य प्राप्तियां	1042	551	1775	900
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	3371	4051	9650	3887
8. पूंजी व्यय	**4540**	**4091**	**10265**	**4851**
9. कुल व्यय	**20714**	**21443**	**30710**	**28339**
क. योजना व्यय	4386	4714	6199	6821
ख. गैर योजना व्यय	16328	16729	24511	21517
सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत				
1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	**18.95**	**16.97**	**18.70**	**21.30**
2. कर राजस्व	8.39	8.22	8.96	9.22
3. कर रहित राजस्व	1.67	1.93	1.38	1.36
4. सहाय अनुदान	8.89	6.82	8.35	10.72
5. राजस्व व्यय	**19.65**	**18.74**	**20.22**	21.25
क. ब्याज भुगतान	2.88	2.68	2.72	2.67
6. राजस्व घाटा (1–5)	(-) 0.70	(-) 1.77	(-) 1.52	0.04
7. पूंजी प्राप्तियां	**5.39**	**4.99**	**11.33**	4.35
क. उधार वसूलियां	0.03	0.02	0.03	0.02
ख. अन्य प्राप्तियां	1.27	0.60	1.76	0.81
ग. उधार एवं परिसम्पतियां	4.10	4.38	9.54	3.52
8. पूंजी व्यय	**5.52**	**4.42**	**10.15**	4.39
9. कुल व्यय	**25.17**	**23.16**	**30.37**	**25.64**
क. योजना व्यय	5.33	5.09	6.13	**6.17**
ख. गैर योजना व्यय	19.84	18.07	24.24	19.47

टिप्पणीः 2012–13 ,2013–14 तथा 2014–15(द्रुत) वर्ष 2015–16 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।

2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2.1 राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014–15 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹89,050 करोड़ आंका गया, जबकि वर्ष 2013–14 में यह ₹82,866 करोड़ था। वर्ष 2014–15 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधारः2011–12) पर 7.5 प्रतिशत रही।

2.2 राज्य के द्रुत अनुमानों के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014–15 में पिछले वर्ष 2013–14 के ₹92,589 करोड़ की तुलना में ₹1,01,108 करोड़ आंका गया है, जो कि 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को जाता है। वर्ष 2014–15 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013–14 के 15.85 लाख मी.टन से बढकर 16.74 लाख मी.टन हो गया है। जबकि, वर्ष 2014–15 में सेब उत्पादन वर्ष 2013–14 के 7.39 लाख मी.टन से घटकर 6.25 लाख मी.टन रह गया।

2.3 हिमाचल प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 10.4 प्रतिशत योगदान केवल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है।

2.4 राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015–16 में वृद्वि दर 7.7 प्रतिशत दर रहने का अनुमान है।

2.5 गत तीन वर्षों में प्रदेश की आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई हैः–

सारणी 2.1

(प्रतिशत)

वर्ष	**हिमाचल प्रदेश**
1	2
2012–2013	6.4
2013–14(संशोधित)	7.1
2014–15 (द्रुत)	7.5

प्रति व्यक्ति आय

2.6 राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2014–15 (नई श्रंखला आधार वर्ष 2011–12) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹1,19,720 है जोकि वर्ष 2013–14 के ₹1,10,209 की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011–12 के स्थिर भावों पर वर्ष 2013–14 में प्रति व्यक्ति आय ₹98,425 आंकी गई,जो कि वर्ष 2014–15 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹1,04,838 हो गई है।

विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

2.7 क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2014–15 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 15.91 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 41.08 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 12.62 प्रतिशत, वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 15.08 प्रतिशत तथा सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 15.31 प्रतिशत रहा।

2.8 प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 2000–01 में 21.1 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2014–15 में 10.4 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थ–व्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 2000–01 में 25.1 प्रतिशत से घट कर 2014–15 में 15.9 प्रतिशत रह गया।

2.9 गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है जिस में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 41.1 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 8.6 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014–15 में 43.0 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

2.10 वर्ष 2014–15 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.5 प्रतिशत रही।

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र	2014–15 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. कषि एवं पशुपालन	9,858	- 4.0
2. वन	4,054	3.6
3. मत्स्य	73	11.6
4.खनन तथा उत्खनन	232	3.1
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**14,217**	**- 1.7**

2.11 प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2014–15 में 1.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्वि का प्रमुख कारण फल उत्पादन में गिरावट है।

गौण क्षेत्र

गौण क्षेत्र	2014–15 (₹करोड़ में)	% कमी /वृद्धि
1	2	3
1. विनिर्माण	21,502	4.5
2. निर्माण	7,064	4.7
3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति	7,471	12.4
कुल गौण क्षेत्र	**36,037**	**6.1**

2.12 गौण क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित हैं, वर्ष 2014–15 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इन क्षेत्रों में पिछले वर्षो की उपलब्धियों की अपेक्षा इस वर्ष विद्युत गैस व जल आपूर्ति क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र	**2014-15 (₹करोड़ में)**	**% कमी / वृद्धि**
1	**2**	**3**
1.परिवहन, संचार व व्यापार	10,195	14.6
2.वित्त एवं स्थावर सम्पदायें	12,287	11.4
3.सामुदायिक एवं वैक्तगत सेवाएं	12,456	13.9
कुल सेवा क्षेत्र	**34,938**	**13.2**

परिवहन, संचार एवं व्यापार

2.13 वर्ष 2014–15 में इस क्षेत्र की विकास दर 14.6 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के परिवहन के अन्य साधनों से सम्बन्धित विकास दर 21.8 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

वित्त एवं स्थावर सम्पदा

2.14 इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2014–15 मे 11.4 प्रतिशत रही ।

सामुदायिक एवं निजि सेवाएं

2.15 इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2014–15 में 13.9 प्रतिशत रही।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थानीय निकायों का योगदानः

2.16 राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थानीय निकायों का योगदान वर्ष 2014–15 में 0.32 प्रतिशत रहा। निम्न सारणी में वर्षवार स्थानीय निकायों का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।

स्थानीय निकायों का प्रतिशत योगदान

वर्ष	प्रतिशत योगदान
2012–13	0.27
2013–14 (अनन्तिम)	0.33
2014–15(द्रुत)	0.32

सम्भावनाएं– 2015–16

2.17 दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015–16 में विकास दर **7.7 प्रतिशत** आने की संभावना है। प्रदेश में गत दो वर्षों सें विकास की दर 7.0 प्रतिशत सें अधिक रही हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग ₹1,10,511 करोड़ होने की सम्भावना है।

2.18 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2015–16 में ₹1,30,067 अनुमानित है जोकि वर्ष 2014–15 में ₹1,19,720 की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

2.19 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

सारणी 2.2

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012	(+) 8.0	(+) 8.0
बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–2017		
(i) 2012-13	(+) 6.4	(+) 5.6
(ii) 2013-14	(+) 7.1	(+) 6.6
(iii) 2014-15	(+) 7.5	(+) 7.2
(iv) 2015-16	(+) 7.7	(+) 7.6

लोक वित्त

2.20 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2015–16 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹23,535 करोड़ है जोकि वर्ष 2014–15 (संशोधित) में ₹18,907 करोड़ थी। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2014–15 (संशोधित अनुमान) से 2015–16 में 24.48 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

2.21 राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2015–16 (बजट अनुमान) में ₹6,341 करोड तथा वर्ष 2014–15 (संशोधित) में ₹5,698 करोड़ व वर्ष 2013–14 (वा0) में ₹5,121 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2015–16

(बजट अनुमान) में वर्ष 2014–15 (संशोधित अनुमान) की अपेक्षा 11.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.22 राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें विषेशकर ब्याज प्राप्ति, उर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2015–16 (बजट अनुमान) में ₹1,507 करोड़ आंका गया हैं, जोकि वर्ष 2015–16 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.40 प्रतिशत हैं,।

2.23 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2015–16 (बजट अनुमान) में ₹3,844 करोड़ आंका गया है।

2.24 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ₹3,937 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 38.65 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 व वर्ष 2013–14 में यह क्रमशः 38.29 व 41.26 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015–16 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹1,138 करोड़ आंकी गई है।

2.25 वर्ष 2013–14 व 2014–15 में राजस्व घाटा, कुल सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता क्रमशः (-) 1.77 व (-) 1.52 प्रतिशत थी।

3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

3.1 हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिले शामिल हैं। प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों में, यूको बैंक को 4 जिलों में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों का कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। सितम्बर, 2015 तक राज्य में कुल 1,955 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और ये शाखा विस्तार लगातार बढ़ रहा है। अक्तूबर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक 96 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,564 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 302 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 89 शिमला में स्थित हैं, जिसे आर.बी.आई. द्वारा राज्य में केवल शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,511 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। राज्य में पंजाब नैशनल बैंक की सबसे ज्यादा 299, एस.बी.आई. और इसके सहयोगियों की 351 और यूको बैंक की 168 शाखाएं हैं। सहकारी बैंक का 475 शाखाओं का नेटवर्क है और निजी क्षेत्र के बैंक शाखाओं का नेटवर्क 109 है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुछ शहरी सहकारी बैंक भी कार्य कर रहे हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 390 बैंक शाखाएं जबकि जिला लाहौल–स्पिति में सबसे कम 22 शाखाएं कार्यरत हैं।

3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, एक तीन स्तरीय अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के 6 जिलों में 194 शाखाएं और 24 विस्तार पटलों (जिनमें से अधिकतर प्रदेश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं) के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं तथा अन्य बैंकों के ग्राहक भी सहकारी बैंक के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में बैंक ने अपने 51 ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। बैंक विस्तार को लेकर शाखाएं खोलने हेतु 28 आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुमति के लिए लम्बित हैं। बैंक सीधे तौर पर आर.टी.जी.एस. व एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से कहीं भी पैसों का हस्तांतरण कर सकता है। बैंक ने वित्तीय समावेश हेतु सार्थक पग उठाये हैं और दो ग्रामों में, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से बी.सी. मॉडल अपनाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पूरे प्रदेश में पैंशन देने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। बैंक रूपे (RuPay) के.सी.सी. कार्ड एवं डैबिट कार्ड जारी कर रहा है तथा अपने बहुमूल्य ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, एस.एम.एस. अलर्ट एवं एफ.डी.आर. के लिये ऑटो नवीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है।

3.4 राज्य में आर.बी.आई., नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और पी.एन.बी., एस. बी.आई., यूको, एस.बी.ओ.पी., तथा कैनरा बैंकों के नियंत्रित कार्यालय राज्य में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 1,616 ए.टी.एम. स्थापित करने के कारण बैंक सेवाओं में वृद्धि हुई है।

3.5 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहा है। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2015 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को निर्धारित 6 राष्टीय मानकों की तुलना में 4 राष्टीय मानकों को अर्जित किया। वर्तमान में कुल अग्रिमों में प्राथमिक क्षेत्रों के अग्रिम 71.82 प्रतिशत, कृषि अग्रिम 21.11 प्रतिशत, कमजोर वर्गो के अग्रिम तथा महिलाओं के अग्रिम क्रमशः 6.21 प्रतिशत, तथा 14.90 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं तथा क्रेडिट जमा अनुपात 58.90 प्रतिशत है। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 3.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.1
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2014	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2015	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार	73.37	71.82	40
2.	कृषि ऋण	20.78	21.11	18
3.	एम.एस.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	45.03	41.47	
4.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.)	26.26	29.12	
5.	कमजोर वर्ग ऋण	19.44	14.90	10
6.	पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी. आर.आई.ऋण	0.09	0.10	1
7.	महिला ऋण	8.29	6.21	5
8.	जमा एवं अग्रिम अनुपात	57.07	58.90	60
9.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ऋण (पी.एस.सी.)	28.89	9.75	
10.	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	4.30	5.24	

वित्तीय समावेशः

3.6 भारत में समाज के आर्थिक रूप से अपवर्जित भाग को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का प्रयास राज्य में नया नहीं है। वित्तीय समावेश कम आय वर्ग तथा वहन करने योग्य विशाल भाग के लिए सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाओं के वितरण को दर्शाता है। इस उद्देश्य के लिए देश भर में 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेश व्यापक अभियान के अन्तर्गत् "प्रधान मन्त्री जन–धन योजना" का शुभारंभ अपवर्जित समाज के लिए किया गया है। तथा इस अभियान ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। वित्तीय समावेश के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, दोनों छोटे और सीमांत किसानों तथा मजदूरों की तरफ विशेष ध्यान देते हुए व सशक्त करते हुए सस्ती वित्तीय

सेवाओं को देश के सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थितिः

(क) प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

3.7 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंको द्वारा कुल 9,98,915 नए बुनियादी बचत जमा खाते इस योजना की शुरूआत 28.8.2014 से लेकर सितम्बर, 2015 तक खोले गए है। प्रधान मन्त्री जन–धन योजना के अर्न्तगत् खोले गए कुल खातों में से 8,80,581 बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1,18,334 शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इस योजना के अर्न्तगत् बैंकों द्वारा 7.30 लाख ग्राहकों को रूपे (RuPay) डेबिड कार्ड जारी किए गए है।

(ख) प्रधान मन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः

3.8 प्रधान मन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अर्न्तगत् भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाएं राज्य में 9 मई, 2015 को शुरू की गई है तथा वर्तमान स्थिति निम्नलिखित हैः–

1. सूक्ष्म बीमा योजनाएः

i) प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

3.9 इस योजना के अन्तर्गत् 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर आकस्मिक मृत्यु सह विकलांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान कर रहा है। प्रधान मन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अर्न्तगत् योजना के शुभारम्भ से (8.05.2015 से 30.09.2015) अभी तक 7,38,649 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई)

3.10 इस योजना के अर्न्तगत् 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान कर रहा है। प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के शुभारम्भ से (8.5.2015 से 30.9.2015) अभी तक ₹2,71,822 ग्राहकों को नामांकित किया है।

2. सूक्ष्म पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

3.11 अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अर्न्तगत् ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, 2,000,

3,000, 4,000 तथा 5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अर्न्तगत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। यदि यह योजना बैंक खाताधारकों द्वारा निर्धारित आयु वर्ग में शुरू की गई हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल अंशदान का 50 प्रतिशत का योगदान या ₹1,000 प्रति वर्ष जो 5 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए दिया जाता है अगर इस योजना को 31 दिसम्बर, 2015 से पहले चुना हो और खाताधारक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो और न ही आयकर दाता हो।

3.12 अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार ने भी योगदान देने की घोषणा की है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के कामगार को अगले तीन वर्षो के लिए ₹1,000 प्रति वर्ष का सह–योगदान अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत दिया जाएगा जिन खाताधारकों ने 1.06.2015 से 31.03.2016 की अवधि में इस योजना को लिया हो। अटल पेंशन योजना के अर्न्तगत् हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 1 लाख श्रमिकों/ग्राहकों को समाविष्ट करने के लिए ₹10.00 करोड़ के बजट का आवंटन किया है। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु ध्यान दे रही है। अटल पेंशन योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 3,340 ग्राहकों को नामांकित किया है। इस योजना के अधीन बैंक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान का आयोजन करके लक्षित समूहों के नामाकंन को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(3) प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई)

3.13 प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 8.4.2015 से चल रही है। वह सुक्ष्म उद्यम जो मुख्य रूप से विनिर्माण व्यापार और गैर–कृषि उद्यमों से मिल कर बनतें है तथा उनकी आवश्यकता ₹10.00 लाख से कम है को आय सृजन के लिए दिए जाने वाले ऋण को मुद्रा ऋण कहा जाता है। प्रधान मन्त्री मुद्रा योजना में इस श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले सभी अग्रिम जो 8.04.2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.14 इस योजना के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश में बैंको को ₹1,236.50 करोड़, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लक्ष्य के रूप में आवंटित किया है। योजना के शुरू होने से ले कर, अक्टूबर, 2015 तक लक्ष्य की तुलना में ₹427.41 करोड़ के मुद्रा ऋण वितरित किए हैं तथा इस प्रकार 36 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

3.15 राज्य में बैंकों द्वारा सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रो में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए परिचालन केन्द्र तथा वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत् हिमाचल प्रदेश में 84 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 135 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 9

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 171 परिचालन केन्द्र बैंक शाखाओं के समीप कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कौशल प्रशिक्षुओं को समाविष्ट करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया है।

आर.बी.आई. रोडमैप 2013-16

हिमाचल प्रदेश में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवो में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार।

3.16 सितम्बर, 2015 तक आर.बी. आई. रोडमैप के अर्न्तगत ईंट और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक मित्र कहा जाता है) कुल 14,953 बैंक रहित गांवो में समाविष्ट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार मार्च, 2016 तक सभी गांवो के समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैंको की व्यापारिक मात्राः

3.17 सितम्बर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक ₹69,621.00 करोड़ से ₹80,529.97 करोड़ की वृद्वि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 72 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 4 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 18 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 6 प्रतिशत, की हिस्सेदारी के साथ दर्ज की गई। कुल अग्रिमों में सितम्बर, 2014 से सितम्बर, 2015 तक ₹27,128.82 करोड़ से ₹31,159.78 करोड़ में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है।

3.18 राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 15.44 प्रतिशत की वृद्धि से बैंकों का कारोबार ₹1,11,689.75 करोड़ को पार कर गया है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 70.18 प्रतिशत, से बाजार व्यापार पर कब्जा किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे सारणी 3.2 में दर्शाए गए है।

सारणी 3.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकडे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.9.2014	30.9.2015	सितम्बर, 2015 से परिवर्तन एवं वृद्धि प्रतिशत	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
	ग्रामीण	43036.06	49758.22	6722.16	15.62
	शहरी/अर्ध शहरी	26584.90	30771.75	4186.85	15.75
	कुल	**69620.96**	**80529.97**	**10909.01**	**15.67**
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	17186.86	16702.50	(-) 484.36	(-) 2.82
	शहरी/अर्ध शहरी	9941.96	14457.28	4515.32	45.42
	कुल	**27128.82**	**31159.78**	**4030.96**	**14.86**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**96749.78**	**111689.75**	**14939.97**	**15.44**
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभतियों में निवेश	3389.11	5546.96	2157.85	63.67
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	57.07%	58.90%	1.83	3.19
6.	प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:	**19632.09**	**22378.75**	**2746.66**	**13.99**
	(i) कृषि	5637.17	6579.61	942.44	16.72
	(ii) एम.एस.ई.	8839.35	9281.68	442.33	5.00
	(iii) ओ.पी.एस.	5155.57	6517.46	1361.89	26.42
7.	गरीबों को अग्रिम	5274.68	4643.94	(-) 630.74	(-) 11.96
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	24.10	44.31	20.21	83.86
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	7496.73	8781.03	1284.3	17.13
10.	शाखाओं की संख्या	1859	1955	96	5.16
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	2248.51	1937.14	(-) 311.37	(-) 13.85
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	1166.84	1172.72	5.88	0.50
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	6444.63	2183.33	(-) 4261.3	(-) 66.12

वार्षिक जमा योजना 2015–16 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

3.19 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बैंको ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए गए हैं। वार्षिक जमा योजना 2015–16 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 21 प्रतिशत की वृद्वि हुई तथा ₹15,311.72 करोड़ परिव्यय तय किया गया। सितम्बर, 2015 तक बैंको ने वार्षिक जमा योजना के अर्न्तगत ₹7,470.17 करोड़ के ताजा क्रेडिट वितरित किए तथा 49 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.9.2015 तक सारणी 3.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 3.3
सितम्बर–2015 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2015–16	लक्ष्य सितम्बर, 2015	उपलब्धि सितम्बर, 2015		लक्ष्य की प्रतिशत व उपलब्धि
				नई ईकाइयां	राशि	
1.	कृषि	5716.29	2858.15	182306	2917.31	102.07
2.	एम.एस.ई.	4309.15	2154.58	47953	2355.96	109.35
3.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3197.35	1598.67	23727	851.63	53.27
4.	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 3)**	**13222.79**	**6611.40**	**253986**	**6124.90**	**92.64**
5.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	2088.93	1044.47	29084	1345.27	1128.80
	कुल योग(4+5):	**15311.72**	**7655.87**	**283070**	**7470.17**	**97.57**

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यन्वयनः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार जनन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

3.20 इस योजना के अर्न्तगत राज्य में के.वी.आई.सी./के.बी.आई.बी.तथा डी.आई.सी. द्वारा प्रायोजित 364 परियोजनाएं, 956 इकाइयों की वार्षिक लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 2015 तक बैंको द्वारा मंजूर की गई।

(ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

3.21 शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कम आय वर्ग के लिए स्व–रोजगार वेंचर्स, कौशल विकास, और आवास के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत ऋण दिए गए। इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया। बैंको को चालू वर्ष में एस.ई.पी. (SEP) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹10.00 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य से 2,400 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

3.22 चालू वर्ष में सितम्बर, 2015 तक 642 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत् ₹11.04 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

(घ) डेयरी उद्यमी विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)

3.23 नाबार्ड ने केन्द्रीय प्रायोजित सरकारी योजनाओं जिनको भारत सरकार पूंजी अनुदान में देती है, के अर्न्तगत डेयरी उद्यमी विकास योजना को शुरू किया है। सितम्बर, 2015 को समाप्त छमाही में इस योजना के अर्न्तगत् 336 नए उद्यमियों को बैंकों द्वारा ₹294.58 लाख वितरित किए गए।

3.24 बैंक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) के माध्यम से परेशानी मुक्त तरीके से उनको उत्पादन हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर अभिनव ऋण वितरण के माध्यम से किसानों को अल्पविधि ऋण प्रदान किए जा

रहे है। अब तक बैंकों ने जरूरतमंद किसानों को 6.37 लाख (के.सी.सी.)किसान क्रेडिट कार्ड का जारी किए है।

3.25 राज्य के 10 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें यूको बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने में यह संस्थागत व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैंकों द्वारा अब तक कुल 24,956 ग्रामीण युवाओं को स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है।

नाबार्ड

3.26 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार को केंद्रीय प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.),जैविक खेती, कृषि विपणन बुनियादी ढांचे (ए.एम.आई.), सौर योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजना के अर्न्तगत् जैविक खेती के लिए आदानों पर अनुदान राष्ट्रीय पशुधन मिशन, वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश तथा एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण आधार संरचना

3.27 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अर्न्तगत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

3.28 ग्रामीण आधार संरचना विकास (आर.आई.डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वार्षिक आवंटन हर वर्ष जारी रखा गया है। इस व्यवस्था के अर्न्तगत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों तथा राज्य के अधीन आने वाले निगमों को चालू परियोजनाओं को पूरा करने व कुछ चिन्हित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रारम्भ में आर. आई.डी.एफ. निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के

उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 34 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों में विभक्त कर दिया है।

3.29 इस निधि के अर्न्तगत वर्ष 1995–96 में आर.आई.डी.एफ–I में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई.डी.एफ–XXI में (वर्ष 2015–16) में ₹ 590.00 करोड़ हो गया है। आर.आई.डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षो में पॉली हाउस व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है जो व्यवसायिक आधार, पर कृषि व्यवसाय और खेती के विकास के लिए नवीन दिशा है।

3.30 आर.आई.डी.एफ. निधि के अर्न्तगत राज्य को 31 दिसम्बर, 2015 तक 5,238 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹5,467.97 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिन में से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें तथा पुल के लिए 51 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 31 प्रतिशत, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 17 प्रतिशत तथा शेष अन्य परियोजनाओं के लिए जिन में शिक्षा, पशु पालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकृति दी है। चालू वित्त वर्ष के अंतगर्त 31 दिसम्बर, 2015 तक आर.आई.डी.एफ–XXI के अर्न्तगत् ₹ 584.19 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा राज्य सरकार को ₹ 343.60 करोड़ वितरित किए गए तथा अब तक कुल मिलाकर ₹3,897.74 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.31 स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 34.83 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 7,780 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 19,997 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 1,18,129 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3.32 इसके अतिरिक्त 27,180 हैक्टेयर भूमि का बचाव, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं से होगा, 6,219 हैक्टेयर भूमि जलागम विकास योजनाओं से लाभान्वित होगी। कृषि खेती हेतु 231 हैक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के साथ पॉली हाउस के अर्न्तगत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के लिए 2,921 कमरे, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 64 विज्ञान प्रयोगशालाएं, 25 सूचना तकनीक केन्द्र तथा 397 पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाकरण केन्द्रों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

नई व्यापार पहल

क) नाबार्ड भण्डारण योजना 2015–16 (एन.डब्ल्यू.एस.)

3.33 नाबार्ड ने सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे ऋण प्रदान करने हेतु साइलों/भण्डारण, शीत भण्डारण तथा अन्य वातानुकूलित चेन संरचना निर्माण के लिए ₹5,000.00 करोड़ से यह योजना शुरू की है। पहले से ही स्थापित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण एवम् वैज्ञानिक रूप से अधिक सक्ष्म करने हेतु भी यह योजना

उपलब्ध है। इस योजना के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को ₹855.00 लाख ऋण की तीन परियोजनाओं जिनमें सी.ए. भण्डार को आधुनिकीकरण करने के लिए जिला शिमला में औडी तथा रोहडू एंव कुल्लू जिला में पतलीकूहल में लागू करने की स्वीकृति दी गई। सेब कृषकों के लिए 3,480 मी.टन कुल क्षमता का आधुनिक एवम् वैज्ञानिक, तकनीकी से वायु नियन्त्रण करके भण्डारण सेवाएं देकर परियोजना पूरी की है।

ख) नाबार्ड अधोसंरचना विकास सहायता (नीडा)

3.34 वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है परन्तु इन संस्थानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य होगा। ऋण की यह व्यवस्था आर.आई.डी. एफ. ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत पी.पी.पी. मोड से भी वित्तपोषण किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलता है और आर.आई.डी. एफ. और रूरबन मिशन के तहत भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गतिविधियां भी पी.पी.पी. के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं।

ग) खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) 2015–16

3.35 नाबार्ड ने वर्ष 2014–15 में ₹2,000 करोड़ का खाद्य प्रसंस्करण निधि स्थापित किया है जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित फूड पार्को में खाद्य/कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम किया जा सके। क्रिमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सिंधा, ऊना में ₹ 32.94 करोड़ की वित्तीय सहायता से इस कोष के अधीन स्थापित किया जा रहा है।

पुनर्वित्त सहायता

3.36 ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण, एंव बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, पैकिंग और घर एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों को ₹420.44 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2014–15 के दौरान और ₹561.10 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2015–16 के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक दी गई। इस के अतिरिक्त नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए 2014–15 में एक नया फंड "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड" शुरु

किया है इस योजना के अधीन वर्ष 2014–15 में ₹116.70 करोड़ तथा वर्ष 2015–16 में (31 दिसम्बर,2015) तक ₹232.30 करोड़ वितरित किए गए हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए वर्ष 2015–16 में ₹720.00 करोड़ की ऋण सीमा एस.टी. (एस.ए.ओ.) के अंतर्गत स्वीकृत की थी। 31 दिसम्बर, 2015 तक इन बैंकों द्वारा ₹720.00 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹500.00 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई है और इसके अर्न्तगत् 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹396.23 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है।

सूक्ष्म ऋण

3.37 स्वंय सहायता समूह (एस. एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च, 2015 तक 52,448 क्रेडिट लिंकड स्वयं सहायता समूहों के लगभग 6.5 लाख ग्रामीण परिवारों का कुल 13.12 लाख ग्रामीण परिवारों में से ₹319.26 करोड़ का ऋण बकाया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों को दो जिलों जिनमें मण्डी जिले में 1,500 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तथा सिरमौर जिले में 1,455 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ₹ 29.55 करोड़, क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के लिए अनुदान समर्थन दिया गया। 30.09.2015 तक कुल 2,628 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बचत तथा 1,541 महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक के साथ जोड़ा गया।

3.38 केन्द्रीय बजट 2014–15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्त पोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से भूमिहीन किसानों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए घोषणा की गई है। 31 मार्च, 2015 तक राज्य में बैंकों द्वारा ₹223.32 लाख का ऋण लगभग 2,062 संयुक्त देयता समूहों को प्रदान किया गया है। नाबार्ड द्वारा 47 "स्वयं सहायता प्रचार संस्थाओं/ संयुक्त देयता प्रचार संस्थाओं की सांझेदारी से स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम तथा "संयुक्त देयता समूह" योजना का प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों के लिए जिन्होंने बैंको से एक बार से अधिक ऋण सुविधा का लाभ उठाया है, को लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करवा रहा है। वर्ष 2015–16 (31.12.2015) तक 36 माइक्रो उदयमियता विकास कार्यक्रम (एम.ई.डी.पी.) व्यक्तिगत रूप से या समूह के माध्यम से आजिविका गतिविधि शुरू करने के लिए 998 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी गई है।

कृषि क्षेत्र में की गई पहल

3.39 31 दिसम्बर, 2015 तक राज्य में 3,025 कृषक संघ बनाए गए हैं जिनके अर्न्तगत् 5,863 गांवों में 36,949 कृषकों को लाभ पहुंचाया गया है। जिला सिरमौर तथा बिलासपुर जिले में कृषक

संघों का गठन किया गया है, जो कृषकों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं।

क) जलागम विकास निगम

3.40 नाबार्ड के जलागम विकास निधि के अन्तर्गत पूर्ण अनुदान के आधार पर 7 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है (एक परियोजना सी.एस.आर. के माध्यम से कार्यान्वित की गई है) सोलन जिले में धुन्दन जलागम परियोजना ₹64.10 लाख की सहायता राशि के साथ पूरा किया जा चुका है। ₹158.03 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में सरयान्ज सरमा जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹122.19 लाख की अनुदान राशि से सोलन जिले में दसेरन जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹85.67 लाख की अनुदान राशि से ज़िला ऊना में सिद्धलेचर जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), ₹108.94 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में जुबैहर जलागम परियोजना (अंतरिम चरण), ₹105.88 लाख की अनुदान राशि से जिला ऊना में अम्बेदा धिराज जलागम परियोजना (पूर्ण कार्यान्वयन चरण), नाबार्ड की साहयता से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से विभिन्न वाटरशेड परियोजनांए कार्याविन्त की जा रही है। पटवा खड्ड वाटरशेड का विकास परियोजना ₹12.65 लाख के अनुदान से क्षमता निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। अब तक उपरोक्त परियोजनाओं के तहत ₹657.47 लाख की राशि स्वीकृत की गई है और ₹383.47 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹100.00 लाख की राशि जारी की गई थी। सभी परियोजनाएं में 118 गांवों में लगभग 7,687 हैक्टेयर भूमि और 4,908 परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इन से प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे राज्य के अन्दर पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

ख) जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः

3.41 नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, पहली परियोजना के तहत जनजातीय विकास कार्यक्रम में ऊना जिले के अम्ब खण्ड के 4 गांवों में – आलोह, सुहीन, बसुनी, और धरगुजरन को शामिल किया गया है और इसके लिए ₹92.81 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई है। बिलासपुर के झण्डुता ब्लॉक के बरोटी, स्नेहरा, बेहरी तथा टिहरी गांवों में जनजातीय परिवारों के लिए परंपरागत आजीविका के लिए द्वितीय परियोजना शुरु की गई है और इसके लिए ₹104.54 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई है, एकीकृत जनजातीय विकास के लिए तीसरी परियोजना एच.ए.आर.पी. शिमला को किन्नौर जिले के निचार ब्लॉक के रूपी, छोटा कम्बा और नाथ्था पंचायतों में स्वीकृत की गई हैं और इस हेतु ₹317.76 लाख का अनुदान और ₹40.50 लाख की ऋण सहायता मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य चयनित गांवों में वादी और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अन्तर्गत् 680 एकड़ भूमि

और 1,090 जनजातीय परिवारों को सम्मिलित किया गया है, आम, किन्नू, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं और इनके लिए नाबार्ड ने ₹ 515.00 लाख का अनुदान और ₹40.50 लाख का ऋण दिया है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत वादी और डेयरी के माध्यम से जनजातीय को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

ग) कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायताः (एफ.एस.पी.एफ.)

3.42 इस योजना के अर्न्तगत अब तक 20 परियोजनाओं और 12 सैमिनारों/कार्यशालाओं/मेलों के लिए ₹113.01 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई। 31 दिसम्बर 2015 तक संचित रूप से ₹112.15 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई और इन परियोजनाओं के तहत राज्य के सोलन, ऊना, बिलासपुर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मण्डी ज़िलों में धान गहनता प्रणाली, गेहूं गहनता प्रणाली, दुग्ध प्रसंस्करण, स्वदेशी शहद मधुमक्खी पालन (एपिस सेरनी) के सत्यापन और प्रोत्साहन, विदेशी सब्जियों की खेती, समशीतोषण फलों के एकीकृत बाग प्रबन्धन, चारे की उन्नत खेती, सत्त कृषि प्रणालियों को अपनाकर मुख्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, पशु चारे के रुप में अजोला को प्रोत्साहित करना, कृत्रिम गर्भाधान और वैज्ञानिक पशु प्रबन्धन द्वारा पशु विकास, गमला फूल पौधों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना, उन्नत सब्जी नर्सरी आदि सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं और सैमिनारों/कार्यशालाओं/ मेलों से लगभग 28,000 किसान लाभान्वित हुए हैं।

घ) किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन (एफ.पी.ओ.)

3.43 कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में 2,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन के लिए ₹200 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, किन्नौर, सिरमौर, चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल एवं स्पिति कुल्लू जिलों में 58 किसान उत्पाद संगठन के गठन/प्रोत्साहन के लिए 19 गैर सरकारी संगठनों को ₹18.49 लाख का अनुदान मंजूर किया है ये किसान उत्पाद संगठन सामूहिक आधार पर सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगे।

ङ.) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर अंब्रेला कार्यक्रम (यू.पी.एन.आर.एम.)

3.44 नाबार्ड के.एफ.डब्ल्यू. और जी.टी.जैड. की सहायता से भारत–जर्मन सहयोग के अर्न्तगत पिछले 16 वर्षों से वाटरशैड और वादी परियोजनाओं को क्रियान्वयन कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का पुनर्गठन करने के लिए भारत और जर्मनी–भारत सरकार ने यू.पी.एन.आर.एम. शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत नाबार्ड और जर्मन विकास सहयोग को दो रणनीतिक साझीदार के रूप में चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आजीविका सृजन, कृषि आय में वृद्धि, कृषि मूल्य श्रृंखला के सशक्तीकरण, संसाधनों के संरक्षण द्वारा गरीबी को कम करना है। समाज के सभी वर्गों के लिए पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास करने के लिए यू.पी.एन.आर.एम. के अर्न्तगत् इस

प्रकार की परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार में सांमजस्य स्थापित करती हैं। यू.पी.एन. आर.एम. परियोजनाओं के अर्न्तगत् नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हि0प्र0 द्वारा राज्य में वर्ष 2015–16 तक (31.12.2015) ₹ 50.55 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

3.45 नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। यह राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पुर्नवित्त सहायता भी प्रदान करता है। नाबार्ड ग्रामीण दस्तकारों और अन्य छोटे उद्यमियों के लाभ के लिए स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड योजना(एस.सी.सी.) के लिए पुर्नवित्त भी प्रदान करता है। स्वरोज़गार क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) योजना के तहत कार्यशील पूंजी या खण्ड पूंजी या दोनों के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया जाता है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुर्नवित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी, जैसी संस्थाएं ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें। कौशल विकास के अर्न्तगत समूह या व्यक्तिगत रूप से रोज़गार या आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मौजूदा कौशल का विकास करना/उन्नत करना या विविधिकृत करना शामिल है। दिसम्बर, 2015 तक राज्य में 233 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए है जिनके लिए ₹120.18 लाख की अनुदान सहायता दी जाएगी और इससे लगभग 4,832 लोग लाभान्वित होंगे।

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

3.46

क) वर्ष 2014–15 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह ₹10,964.98 करोड़ तक पहुंच गया जोकि वर्ष 2013–14 से 17 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी.एल.पी के आधार पर विभिन्न बैंकों के लिए ₹13,222.79 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर, 2015 तक ₹6,124.90 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

ख) नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक ऋण एवं गैर–ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है। विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर पी.एल.पी. तैयार की जाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2016–17 हेतु मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान ₹16,124.61 करोड़ आंकलित किया गया है।

वित्तीय समावेश

3.47 वित्तीय समावेश की मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सस्ती कीमत पर समाज के सभी वर्गो और विशेष रूप से कमजोर वर्गो और निन्न आय वर्ग को उचित वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है। देश में वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दो कोष अर्थात वित्तीय समावेशन कोष (एफ.आई.एफ.) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष(एफ.आई.टी.एफ.) का गठन किया है दोनों कोषों को मिलाकर वित्तीय समावेशन कोष (एफ.आई.एफ.) का गठन किया गया है। वित्तीय समावेशन अभियान को बड़े पैमाने पर संचालित करने के लिए एफ.आई.एफ. और एफ.आई.टी.एफ. के अर्न्तगत नाबार्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश में संचालित की गई है।

3.48 एफ.आई.एफ.का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों तथा पिछड़े क्षेत्रों बैंक रहित क्षेत्रों में अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए "विकास और प्रचार गतिविधियों" के लिए सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड विकास और प्रचार–प्रसार गतिविधियों पर होने वाले व्यय के लिए एफ.आई.एफ. का प्रबन्धन कर रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान (31 दिसंबर, 2015) तक की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं।

- राज्य में वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लाहौल–स्पीति सहित राज्य के सभी जिलों में 782 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं।
- अपेक्षाकृत दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए जिला/ खण्ड स्तर पर 13 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ.एल.सी.) की स्थापना के लिए राज्य के सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. को ₹ 65.60 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई।
- बिग एफ.एम., आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जिंगल/ टी.वी. स्क्रोलिंग के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया।
- अन्तराष्ट्रीय "लवी मेले" रामपुर, शिमला और अन्तराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में जादू शो/ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रधानमन्त्री जन धन योजना/ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- राज्य के सभी जिलों में जादू शो/ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया गया।
- राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में वित्तीय साक्षरता के सम्बन्ध में विज्ञापन दिए गए।
- कैलेंडर, डायरी, गाइड और पोस्टर आदि साक्षरता सामग्री के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संदेश प्रचारित करने के लिए एस.एल.बी.सी., आर. आर.बी. और सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान की गई।
- इस कोष के तहत राज्य में 98,600 रूपे केसीसी जारी करने के लिए

आर.आर.बी. और सहकारी बैंकों को तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई। रूपे किसान कार्ड से केसीसी खाता धारक कहीं भी कभी भी बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे।

- परिचालन लागत अर्थात ₹15 की दर से अंतर –परिवर्तन शुल्क कर प्रतिपूर्ति और रूपे के.सी.सी. कार्ड की प्रति लेन–देन ₹2.50 की स्वीचिंग फीस के लिए एक परियोजना सहकारी बैंक को स्वीकृत की गई है।
- बेसिक सेवा खाते धारकों को 2,97,394 रूपे कार्ड जारी करने के लिए एच.पी.जी.बी. मंडी को ₹57.41 लाख स्वीकृत किए गए।
- एच.पी.जी.बी. मंडी को 100 माइक्रो एटीएम की खरीद के लिए ₹28.80 लाख की राशि स्वीकृत की गई है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार संवाददाताओं के साथ शामिल किया जाएगा।

31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, एफ.आई.एफ. के तहत विभिन्न पहलों के लिए राज्य के सभी हितधारकों के लिए ₹353.09 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

नई व्यावसायिक पहलें

उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता (पी.ओ.डी.एफ.)

3.49 उत्पादक संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास कोष (पी.ओ.डी.एफ.) की स्थापना की है इस कोष की स्थापना का उद्देश्य उत्पादकों को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने, उत्पादकों का क्षमता निर्माण करने और उत्पादक संगठनों का सशक्तिकरण कर उत्पादकों (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर आदि) की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा स्थापित पंजीकृत उत्पादक संगठनों अर्थात् उत्पादक कंपनी ''(जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA की धारा 581 के तहत परिभाषित है)" उत्पादक सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान महासंघों, परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पंजीकृत महासंघों पैक्स, आदि को सहयोग और सहायता देना है।

पैक्स को बहुउद्देशीय गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता

3.50 पैक्स को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु और अपने लिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स को बहु–उद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम हो सके। वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय हि0प्र0 द्वारा ₹87.40 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

संघों को वित्तीय सहायता

3.51 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में विपणन महासंघों/सहकारी संस्थानों को सशक्त

बनाने के लिए विपणन महासंघों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग क्रेडिट लाइन अर्थात संघ को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, विपणन महासंघों/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरधारकों (पैक्स) या अन्य उत्पादक संगठन हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित फसल एकत्र प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

3.52 नाबार्ड पारम्परिक रूप से जिला सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्धित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूंजी और खेत परिसम्पति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी. को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने एक अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण उत्पाद डिज़ाइन किया है।

निवेश ऋण

3.53 विभिन्न कृषि उत्पादनों के उत्पादन, फसल एकत्र करने के उत्पादन और विपणन अधिशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में विपणन सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन बुनियादी, ग्रेडिंग और मानकीकरण विकास/सशक्तीकरण योजना (ए.एम.आई.जी.एस.) और ग्रामीण गोदामों के पुनः निर्माण के लिए ग्रामीण भण्डारण योजना नामक पूंजी अनुदान योजना तैयार की है। 1 अप्रैल 2014 से इन दोनों योजनाओं को मिलाकर कृषि विपणन बुनियादी योजना बनाई गई है। जो "एकीकृत कृषि विपणन योजना" के तहत एक उप योजना है। 2014-15 के दौरान एक इकाई की स्थापना की गई, जिसके लिए ₹6.16 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

3.54 बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्तत रोजगार के अवसर प्रदान करने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस. योजना को शुरू किया गया था। 2014–15 के दौरान 157 लाभार्थियों को ₹125.79 लाख का अनुदान जारी किया गया है। तथा 2015–16 के दौरान 31.12.2015 तक इसके अर्न्तगत् 171 लाभार्थियों को ₹141.59 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

3.55 इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित चार अन्य योजनाएं अर्थात "एग्रीक्लिनिक और कृषि व्यापार, केन्द्र योजना"" राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत वाणिज्यिक जैविक आदान उत्पादन इकाइयों के लिए "राष्ट्रीय पशुधन मिशन" और सिंचाई हेतु सौर फोटोवोल्टिक (एस.पी.वी.) जल उठाने की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।

नैबकॉन्स (Nabcons)

3.56 नाबार्ड परामर्श कार्य (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुदान योजना है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी परियोजनाएं, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता पर निर्भर है। नाबार्ड परामर्श कार्य जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त–पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण शाखा का मूल्यांकन, बैंक पर्यवेक्षण नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर संगोष्ठी, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

3.57 नैबकॉन्स द्वारा वर्ष 2015–16 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2013–14" अध्ययन पूरा किया गया है। 2015–16 में नैबकॉन्स हिमाचल प्रदेश में अनुसुचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का मूल्याकंन अध्ययन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त नैबकॉन्स ने हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.पी.एस.ए.एम.बी) के लिए "हिमाचल प्रदेश ए.पी.एम.सी. हेतु मन्डी प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारूप विकास कार्यान्वयन और रखरखाव" "हिमाचल प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए हिमाचल प्रदेश में सी.ए. स्टोर/कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए व्यवहायता अध्ययन,"आदिवासी विकास विभाग के लिए "हिमाचल प्रदेश में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2011–12 & 2012–13(बीएडीपी) परियोजनाओं का तृतीय पक्ष निरीक्षण" का काम पूरा किया गया इसके अतिरिक्त नैबकॉन्स ने हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के लिए ऋण मामलों का मूल्यांकन भी किया है।

संस्थागत विकास

3.58 सहकारी विकास कोष, सोफ्टकोब (SOFTCOB) के अधीन नाबार्ड द्वारा कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा उन कर्मचारियों का सामर्थ्य एंव कौशल जो सहकारी ऋण व्यवस्था (सी.सी.एस.) के अर्न्तगत् उपलब्ध है, उनके

प्रशिक्षण क्षमता की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत संस्थाओं के प्रशिक्षण व्यय के रूप में पूंजीगत खर्च योजना के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.59 सी.टी.आई. के बेहतर प्रदर्शन तथा सोफ्टकोब (SOFTCOB) के साथ सम्मिलित करने के लिए नाबार्ड ने सी.पी.ई.सी. की मदद से सहभागी अभ्यास शुरू किया तथा सी.टी.आई. को चयनित किया गया है। सहकारी बैंकों और पैक्स (PACS) में कोर बैंकिंग सामाधान, कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय लाभप्रदता पहलुओं और जोखिम प्रबंधन में प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए सी.टी.आई., द्वारा वित्तीय क्षेत्र में योग्यता आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथिमिकता दी जाती है। राज्य में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में ₹36.49 लाख तथा वर्ष 2014–15 में ₹27.59 की वित्तीय सहायता कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहल

3.60 राष्ट्रीय कियान्वयन इकाई (एन.आई.ई.) अनुकूल कोष (ए.एफ.) हरित जलवायु कोष (जी.सी.एफ.) को संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के अर्न्तगत् पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन नाबार्ड द्वारा नामित किया गया है।

3.61 पर्यावरण, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी, विभाग द्वारा सिरमौर जिले में जलवायु परिवर्तन की आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा हिमाचल प्रदेश की सूखा प्रवृत जिले में कृषि निर्भर समुदायों की निरंतर आजिविका पर एक परियोजना की तैयारी एंव विकास की मंजूरी नाबार्ड के प्रयासों द्वारा कियान्वित की गई है। जलवायु परिवर्तन के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति पर्यावरण, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा एक परियोजना को शुरू करने के लिए ₹20 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है। इस योजना को कियान्वित करने के लिए नाबार्ड कियान्वित इकाईयों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश देश के पहले तीन राज्यों में से एक है जिसने जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन एन.ए.एफ.सी.सी. के अन्तर्गत परियोजना हासिल की है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।

4. आबकारी एवम् कराधान

4.1 आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल ₹5,179.78 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण में से वैट संग्रह ₹3,660.57 करोड़ रुपये था जोकि कुल राजस्व का 70.67 प्रतिशत बनता है। शीर्ष–0039 राज्य आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य ₹1,014.81 करोड़ के स्थान पर ₹1,044.14 करोड़ का संग्रहण किया गया, जोकि कुल संग्रहित राजस्व का 20.16 प्रतिशत है, शेष 9.17 प्रतिशत हि0प्र0 पी0जी0टी0 अधिनियम, हि0प्र0 विलासिता अधिनियम, हि0 प्र0 सी0जी0सी0आर0 अधिनियम, हि0प्र0 मंनोरंजन कर अधिनियम और हि0प्र0 टोल टैक्स अधिनियम से किया गया है।

4.2 विभाग द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान करने एवं उनके अर्न्तगत लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है।

- दिनांक 01–04–2015 से वैट, सी. एस.टी. एवं प्रवेश कर में दी जाने वाली त्रैमासिक/मासिक विवरणियां एक ही फार्म वैट –XV में विलय कर दी गई है । इस से न केवल व्यापारी के समय की बचत होगी अपितु व्यापारी द्वारा दिए गए आंकड़ों की भी जांच होगी।
- दिनांक 01–05–2015 से गैर अनुसूचित विमानों को बेचे जाने वाले ATF (रक्षा को छोड़कर) पर कर की दर को 27 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
- जो व्यापारी होटल, ढाबा, बेकरी या ऐसा प्रतिष्ठान चलाते हैं, जिसमें चाय के साथ अन्य खाने का सामान भी तैयार किया जाता है, उनकी कर योग्य बिक्री सीमा 18 मई, 2015 से ₹5.00 लाख से बढ़ाकर ₹8.00 लाख कर दी गई है।
- दिनांक 18.05.2015 से जो वाहन या माल मालिक राज्य में प्रवेश करता है तथा जिसने विभाग की वैबसाइट के माध्यम से माल का इलैक्ट्रोनिक विवरण घोषित किया हो उसे पड़ताल नाके पर रुकना अनिवार्य नहीं है। यह भी उल्लेख करना जरुरी है कि प्रदेश से बाहर जा रहे माल वाहन जिन्होनें बेवसाइट पर इलैक्ट्रोनिक विवरण दे दिया है को पड़ताल नाके पर रुकने की अनिवार्यता से पहले ही छूट दे रखी है।
- सामान्य व्यापारी जो अर्न्तराज्यीय खरीद करते हों (दवाई विक्रेता एवं ऐसे रैस्टोरैंट चला रहे व्यापारी जिन्हें शराब की परचून बिक्री का लाईसैंस नियम–1986 के अंतर्गत प्रदान किया गया हो को छोड़कर) के लिए भी एक मुश्त योजना उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत कुल बिक्री सीमा ₹25.00 लाख है और 1 प्रतिशत की दर से कर योग्य बिक्री सीमा एक मुश्त त्रैमासिक कर दी गई है।
- Deemed Assessment की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है ताकि जिन व्यापारियों की विवरणियां पूर्ण व सही हैं उनको लाभान्वित किया जा सके।

- दिनांक 25.07.2015 से LED Bulbs एवं ट्रक व बसों के बाहरी ढांचे का निर्माण करने पर मूल्यवर्धित कर को 13.75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है ।
- दिनांक 25.07.2015 से दक्ष ऊर्जा वाले चूल्हे जोकि TERI या नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को मूल्यवर्धित कर से मुक्त किया गया है ।
- हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धित नियम, 2005 व केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1970 के अन्तर्गत व्यापारियों को लाभ देने के लिए दिनांक 01–10–2015 से e-payment को अनिवार्य किया गया है ताकि जमा किए कर का लेखा अच्छे से रखा जा सके।
- विभाग द्वारा 6.06.2015 से व्यापारियों को साइबर ट्रेजरी से जुड़े 40 से ज्यादा बैंकों के माध्यम से ई–पेमैंट करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
- दिनांक 14.12.2015 से जो व्यापारी सालाना विवरणी को digital signature सहित देते हैं, को इसकी hard copy नस्ति करवाने की आवश्यकता नहीं है ।
- 4.01.2016 से वह वस्तुऐं जिन पर अन्यथा कर की दर 4 प्रतिशत से अधिक है, (मोटर स्प्रिट, पैट्रोल (ATF सहित) एवं डीजल को छोड़कर) जब केन्द्रीय पुलिस बलों की कैन्टीन को बेचे जाएंगे तो 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगें उसी तरह जब केन्द्रीय पुलिस बलों की कैन्टीन द्वारा यह वस्तुएं अपने कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को बेची जायेगी तो भी 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य होगी।
- दिनांक 1.10.2015 से उन नई औद्योगिक इकाईयों जिन्होने व्यापारिक उत्पादन शुरु किया है को industrial inputs पर प्रवेश कर 2 प्रतिशत की दर से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दिनांक 01–04–2015 से शीर्ष 0045– विलासकर अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन कर का भुगतान करने तथा विवरणी दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसक उद्देश्य कर प्रशासन का सरलीकरण एवं पारदर्शी बनाना है।
- व्यापारियों/ उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी को उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से अतिरिक्त मालकर व सड़क द्वारा हि0प्र0 पी0जी0टी0 अधिनियम/ कतिपय माल के वहन पर कर एकत्रित करने की शक्तियां प्रदान की गई है ।
- सरकार ने बोतलबंद पीने के पानी पर सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर कर ₹7.50 प्रति 10 लीटर से घटाकर ₹ 2 प्रति 10 लीटर कर दी गई है ताकि इस उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके ।
- सरकार द्वारा 01.04.2014 के बाद शुरु/पंजीकृत हुए ग्रामीण क्षेत्र के होटलों को 10 वर्ष के लिए विलास कर की अदायगी में छूट प्रदान की गई है ।

- राज्य में मंनोरंजन के परम्परागत माध्यमों जैसे सर्कस व जादू का खेल इत्यादि को बढावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2015 से 10 वर्षों के लिए मनोरंजन शुल्क से मुक्त किया गया है ।
- वर्ष 2015–16 के लिए ₹1,124.10 करोड़ राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे इस वित वर्ष के अंत तक सफलतापूर्वक प्राप्त किये जाने की अपेक्षा है। प्रदेश ने अपना आबकारी अधिनियम–2011 लागू किया है जिसमें 18.08.2012 से शराब की तस्करी के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहन को जब्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अच्छी गुणवता वाली मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बिकने वाली देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलों पर होलो ग्राम लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

सारणी 4.1
शीर्षबार राजस्व बढ़ौतरी

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	राज्य आबकारी	बिकी कर	पी0जी0टी0	ओ0टी0डी0	योग
2000-2001	209.17	302.05	43.05	52.60	606.87
2001-2002	236.28	355.08	34.26	63.74	689.36
2002-2003	237.42	383.33	31.45	75.10	763.30
2003-2004	280.21	436.75	33.96	85.24	836.16
2004-2005	299.90	542.37	38.32	97.83	978.52
2005-2006	328.97	726.98	42.61	124.14	1222.70
2006-2007	341.86	914.45	50.21	118.64	1425.16
2007-2008	389.57	1092.16	55.12	137.13	1673.98
2008-2009	431.83	1246.31	62.39	169.00	1909.53
2009-2010	500.72	1488.16	88.74	197.13	2274.75
2010-2011	562.95	2103.39	93.26	283.35	3042.95
2011-2012	707.36	2476.78	94.36	294.96	3575.46
2012-2013	809.86	2728.22	101.39	331.88	3971.35
2013-2014	952.67	3141.09	104.86	326.28	4524.90
2014-2015	1044.14	3660.57	110.05	365.02	5179.78
2015-2016 दिसम्बर,2015 तक	790.21	2982.29	87.08	276.47	4136.05

5. भाव संचलन

भाव स्थिति

5.1 मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में से एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा–स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2014 को 178.7 से घटकर दिसम्बर, 2015 माह में 177.4(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर –(0.7) प्रतिशत दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2015–16 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 5.1

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार (2004–05=100)

मास	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	मुद्रा–स्फीति दर
अप्रैल	125.0	138.6	152.1	163.5	171.3	180.8	176.4	-2.4
मई	125.9	139.1	152.4	163.9	171.4	182.0	178.0	-2.2
जून	126.8	139.8	153.1	164.7	173.2	183.0	179.1	-2.1
जुलाई	128.2	141.0	154.2	165.8	175.5	185.0	177.6	-4.0
अगस्त	129.6	141.1	154.9	167.3	179.0	185.9	176.5	-5.0
सितम्बर	130.3	142.0	156.2	168.8	180.7	185.0	176.5	-4.6
अक्तूबर	131.0	142.9	157.0	168.5	180.7	183.7	176.9	-3.7
नवम्बर	132.9	143.8	157.4	168.8	181.5	181.2	177.6(P)	-2.0
दिसम्बर	133.4	146.0	157.3	168.8	179.6	178.7	177.4(P)	-0.7
जनवरी	135.2	148.0	158.7	170.3	179.0	177.3	..	..
फरवरी	135.2	148.1	159.3	170.9	179.5	175.6	..	..
मार्च	136.3	149.5	161.0	170.1	180.3	176.1	..	..
औसत	**130.8**	**143.3**	**156.1**	**167.6**	**177.6**	**181.2**	**..**	..

अ = अस्थाई

5.2 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,856 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस. के माध्यम द्वारा एफ.आई.वी.आई.एम.एस. खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का ओद्यौगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। दिसम्बर, 2015 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 6.32 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि केवल 6.25 प्रतिशत आंकी गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर निगरानी करनी जारी रखी गई ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

सारणी 5.2

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार 2001=100)

माह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	158	167	185	201	219	227	3.7
मई	158	169	185	205	219	229	4.6
जून	158	169	186	208	221	230	4.1
जुलाई	163	174	192	213	227	233	2.6
अगस्त	164	174	195	214	229	234	2.2
सितम्बर	165	176	195	215	228	236	3.5
अक्तूबर	165	179	195	217	227	239	5.3
नवम्बर	165	179	196	218	225	241	7.1
दिसम्बर	166	177	196	213	224	238	6.25
जनवरी	168	178	198	214	225		..
फरवरी	166	178	199	215	225		..
मार्च	165	180	199	217	226		..
औसत	**163**	**175**	**193**	**213**	**225**		..

सारणी 5.3

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए

(आधार 2001=100)

माह	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	170	186	205	226	242	256	5.8
मई	172	187	206	228	244	258	5.7
जून	174	189	208	231	246	261	6.1
जुलाई	178	193	212	235	252	263	4.4
अगस्त	178	194	214	237	253	264	4.4
सितम्बर	179	197	215	238	253	266	5.1
अक्तूबर	181	198	217	241	253	269	6.3
नवम्बर	182	199	218	243	253	270	6.7
दिसम्बर	185	197	219	239	253	269	6.32
जनवरी	188	198	221	237	254		..
फरवरी	185	199	223	238	253		..
मार्च	185	201	224	239	254		..
औसत	**180**	**195**	**215**	**236**	**251**		..

6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

6.1 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,856 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत् पूर्ति को सुनिश्चित करना है। खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

1) एन0एफ0एस0ए0 (पात्र गृहस्थियां)
   i) अन्त्योदय अन्न योजना
   ii) प्राथमिकी गृहस्थियां

2) नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए.पी.एल.)

6.2 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत प्रदेश में 18,27,900 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अर्न्तगत 77,33,519 राशन कार्ड धारकों को 4,856 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें सहकारी सभाएं के अंतर्गत 3,210, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 90, पंचायतों द्वारा 37, व्यक्तिगत 1,513 तथा महिला मण्डल द्वारा 6 उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं।

6.3 वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं:–

सारणी 6.1

क0 सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2015 तक
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,35,699
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	66,293
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	18,111
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	16,259
5	गेहूं (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	84,578
6	चावल (ए.ए.वाई./एन0एफ0एस0ए0)	मी. टन	60,927
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	51
8	चावल दोपहर का भोजन	मी. टन	11,617
9	लेवी चीनी/चीनी एन0एफ0एस0ए0 /ए0पी0एल0	मी. टन	38,902
10	दाल चना	मी. टन	12,394
11	उड़द(साबूत)	मी. टन	1,607
12	काबुली चना	मी. टन	11,019
13	काले मंसूर	मी. टन	4,100
14	आयोडीन नमक	मी. टन	10,080
15	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	19,135
16	सरसों का तेल	कि.लीटर	6,684

6.4 वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि0प्र0 राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा हैः–

सारणी 6.2

क0सं0	प्रति राशन कार्ड	वितरण (मात्रा)
1	एक से दो सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम आयोडीन नमक व केवल एक लीटर खाद्य तेल।
2	तीन से चार सदस्य तक	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम दाल चना, एक किलोग्राम आयोडीन नमक, दो लीटर खाद्य तेल।
3	पांच से अधिक सदस्यों को	एक किलोग्राम दाल राजमाह, एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम काला मसूर,एक किलोग्राम आयोडीन नमक, दो लीटर खाद्य तेल, राजमाह ₹30.00 प्रति किलोग्राम दाल चना ₹35.00 प्रति किलोग्राम, काले मसर ₹45.00 प्रति किलोग्राम, आयोडीन नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम तथा खाद्य तेल (रिफाईंड तेल) ₹55.00 प्रति लीटर,
4	**नान–एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0पी0एल0	15 किलोग्राम आटा ₹8.50 प्रति किलोग्राम की दर से, 6 किलोग्राम चावल ₹10.00 प्रति किलोग्राम की दर से। **नोटः** प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को 20 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल प्रति राशन कार्ड मासिक उपलब्ध करवाया जाएगा।
	ii) बी0पी0एल0	बी0पी0एल0 परिवारों को पहले की तरह 35 किलोग्राम प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी0पी0एल0 दरों पर (गन्दम ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से) अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूं और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से हैः– एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम गन्दम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम क्रमशः होगी।
	iii) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को	10 किलोग्राम चावल मुफ्त में
5	**एन0एफ0एस0ए0**	
	i) ए0ए0वाई0 कार्ड धारकों को	कुल 35 किलोग्राम प्रति परिवार जिसमें 20 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल 15 किलोग्राम ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
	ii) प्राथमिकी गृहस्थियां	कुल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से
6	चीनी	ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹19.50 प्रति किलोग्राम की दर से नान–ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 600 ग्राम प्रतिमाह ₹13.50 प्रति किलोग्राम की दर से

सारणी 6.3

जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का दिसम्बर, 2015 तक भण्डारण

क0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूं/ गेहूं का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	4,774
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	3,355
3	गेहूं (बी.पी.एल.)	मी. टन	417
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	166
5	गेहूं ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	2,394
6	चावल ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.	मी. टन	2,054
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	1
8	चीनी	मी. टन	1,393
9	मिट्टी का तेल	कि.ली.	266
10	एल.पी.जी. 14.2 कि.ग्रा.	संख्या	1,26,437
11	आयोडीन नमक	मी. टन	500
12	दाल चना	मी. टन	236
13	काला मसूर	मी. टन	149
14	काबुली चना	मी. टन	309
15	खाद्य तेल	कि.ली.	598

अन्य कार्य/उपलब्धियां

पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादन

6.5 इस समय प्रदेश में 28 मिट्टी के तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 329 पैट्रोल पम्प तथा 137 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

हि.प्र.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

6.6 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एवं वितरण की केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के रुप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹900.28 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य ₹867.90 करोड़ थी।

6.7 वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयों को उचित मूल्यों पर 117 थोक बिक्री केन्द्रों, 89 उचित मूल्यों की दुकानों/अपना स्टोर, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों सहित प्रदेश के कोने–कोने में वितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी.जी.आई. शीट्स, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण कर रहा है। जिससे निश्चित रुप से प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹340.30 करोड़ का

प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष के दौरान इसी अवधि में मूल्य ₹295.64 करोड़ की थी।

6.8 निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक 11,617 मी0 टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 12,557 मी.टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें, खाद्य तेल और नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक ₹277.62 करोड़ की विभिन्न वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹293.16 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2015–16 में ₹210.00 करोड़ राज्य अनुदान के रुप में बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,419.60 करोड़ रहने की संभावना है।

नए बिक्री केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

6.9 निगम द्वारा वर्ष 2015–16 में एक एल.पी.जी. एजैंसी जिला कुल्लू में जनहित में खोली गई है।

अपना स्टोर/मॉल खोलने की योजना :

6.10 निगम द्वारा हि0प्र0 पथ परिवहन निगम के चयनित बस अडडों में एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं को सभी जरुरत की वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रथम चरण में नगरोटा बगवां व पालमपुर में अपना स्टोर/मॉल खोला है। इसी तर्ज पर मण्डी, शिमला बस अड्डो में भी अपना स्टोर/मॉल खोलने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त वर्णित विक्रय केन्द्रों के अलावा कांगड़ा बस अड्डे में भी ऐसा अपना स्टोर/मॉल शीघ्र खोला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सालयों में और दवाई की दुकानें खोलने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी आपूर्ति

6.11 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को स्कूल की वर्दियों की आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015–16 में सरकारी आपूर्ति (अन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

1	सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को	₹ 101.92 करोड़
2	दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को	₹ 1.08 करोड़
3	जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को	₹ 65.00 करोड़
4	स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को	₹ 36.49 करोड़
	जोड़	**₹204.49 करोड़**

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.12 वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिसम्बर तक निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 22,00,489 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹56.21 करोड़ बनती

है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य में जन–जातीय एवं अगमय क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

6.13 निगम आवश्यक वस्तुएं, पैट्रालियम उत्पाद मिटटी तेल व एल.पी. जी. सहित जन–जातीय एवं अगमय क्षेत्रों में जहां निजी पार्टियां इस व्यवसाय को चलाने में घाटे के दृष्टिगत आगे नहीं आती है, जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निगम ने सरकार की जनजाति कार्य योजना के अनुसार जनजातीय व हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं व पैट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

लाभांश व मुख्यमन्त्री राहत कोष:

6.14 निगम ने वर्ष 2015–16 के दौरान ₹2.06 करोड़ का शुद्व लाभ अर्जित किया तथा ₹35.51 लाख हिमाचल सरकार को लाभांश के रूप में दिया है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ₹14.00 लाख की राशि नगरोटा बगवां में सामुदायिक भवन व व्यायामशाला और खेलकूद की विभिन्न गतिविधियों की सामग्री क्रय हेतु वर्ष 2015–16 में उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त ₹5.00 लाख राज्य बलिदान स्मारक धर्मशाला के रख–रखाव के लिए तथा जिला कुल्लू के गांव कोटला में अग्नि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी ₹5.00 लाख उपलब्ध करवाए हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष में भी ₹31.00 लाख का अंशदान दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयनः

6.15 हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आवंटित खाद्यानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण / भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 117 थोक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से चयनित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों में वितरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक 60,925 मी.टन चावल व 84,577 मी.टन गन्दम चयनित लाभार्थियों को क्रमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रति किलो प्रति माह की दर से वितरित करना सुनिश्चित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य वेयर हाउस कारपोरेशन न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 22,910 मी. टन अपनी व 36,558 मी. टन. किराये पर ली गई भण्डारण क्षमता का प्रबन्धन कर रहा है। राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण हेतु 300 मी.टन से 1,000 मी.टन के नए गोदाम के निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाही भी कर रहा है जिसके अन्तर्गत उपयुक्त सरकारी भूमि का चयन कर विभाग/ निगम के नाम पर स्थानान्तरण का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान अतिरिक्त खाद्यान भण्डारण क्षमता बढ़ाने के अन्तर्गत् गोदाम निर्माण हेतु

₹4.00 करोड़ की राशि (माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए) उपलब्ध करवाई है।

सेल यार्डः

6.16 वर्तमान वितीय वर्ष 2015–16 में निगम द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण से सरिया व सम्बन्धित अन्य उत्पाद इत्यादि को शिमला में भट्टाकुफर से सभी विभागों, निगमों तथा बोर्ड़ों को उपलब्ध करवाने में पहल करने पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेल यार्ड का दायित्व भी निगम को सौंपा है इसके अन्तर्गत् दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा 1,538 मी.टन सरिये की आपूर्ति की है।

7. कृषि एवम् उद्यान

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 62 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

7.2 राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 10.4 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.61 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.00 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2010–11 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.95 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 11.71 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.34 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.70 (69.78%)	2.73 (28.63%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
जोड़		**9.61**	**9.55**	**1.00**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्ध से उन्नत करना एवं जल संरक्षण कर बेकार जमीन का विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा

होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

मौनसून 2015

7.5 कृषि कार्यकलापों का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में ऊना में अधिक, हमीरपुर, कांगड़ा कुल्लू, मण्डी, शिमला में सामान्य, बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर सिरमौर और सोलन में कम, तथा लाहौल–स्पिति में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में (–) 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

सारणी 7.2
मौनसून वर्षा के आंकड़े
(जून–सितम्बर 2015)

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल (मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	704	877	(-) 173	(-) 20
चम्बा	725	1406	(-) 682	(-) 48
हमीरपुर	931	1079	(-) 148	(-) 14
कांगड़ा	1434	1582	(-) 148	(-) 9
किन्नौर	122	264	(-) 142	(-) 54
कुल्लू	483	520	(-) 37	(-) 7
लाहौल–स्पिति	146	458	(-) 312	(-) 68
मण्ड़ी	906	1093	(-) 188	(-) 17
शिमला	616	634	(-) 18	(-) 3
सिरमौर	774	1325	(-) 551	(-) 42
सोलन	759	1000	(-) 241	(-) 24
ऊना	1132	863	270	31
औसत	**613**	**844**	**(-) 231**	**(-) 27**

सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
अक्तूबर–दिसम्बर, 2015

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			कुल(मि.मी.)	प्रतिशतता
बिलासपुर	45	70	(-) 25	(-) 35
चम्बा	108	127	(-) 19	(-) 15
हमीरपुर	52	86	(-) 34	(-) 40
कांगड़ा	64	105	(-) 41	(-) 39
किन्नौर	31	102	(-) 71	(-) 69
कुल्लू	77	98	(-) 21	(-) 22
लाहौल–स्पिति	44	143	(-) 99	(-) 69
मण्ड़ी	79	81	(-) 2	(-) 3
शिमला	48	75	(-) 27	(-) 37
सिरमौर	16	87	(-) 71	(-) 81
सोलन	65	89	(-) 24	(-) 27
ऊना	41	72	(-) 31	(-) 43
औसत	**56**	**103**	**(-)465**	**(-) 46**

टिप्पणी:

सामान्य (–)19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक 20 प्रतिशत से अधिक
न्यून (–)20 प्रतिशत से (–)59 प्रति शत
अपर्याप्त (–)60 प्रतिशत से (–)99 प्रतिशत

फसल उत्पादन 2014–15

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2014–15 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 10.4 प्रतिशत योगदान रहा। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत् नए क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन

व जानकारी पर विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2014–15 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013–14 के 15.85 लाख मी0 टन की तुलना में वर्ष 2014–15 में 16.74 लाख मी0 टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2013–14 के 2.05 लाख मी0 टन आलू उत्पादन की तुलना में वर्ष 2014–15 में आलू उत्पादन 1.81 लाख मी. टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2013–14 के 14.65 लाख मी0 टन की तुलना में वर्ष 2014–15 में 15.76 लाख मी. टन हुआ।

2015–16 के अनुमान

7.7 वर्ष 2015–16 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.19 लाख मी0 टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन में बुआई अप्रैल अन्त में शुरू होती है और जून मध्य तक जाती है। मक्की और धान खरीफ सीजन की मुख्य फसलें हैं। रागी, छोटे अनाज तथा दालें कम मात्रा में होती हैं। खरीफ सीजन के दौरान 400.00 हजार हैक्टेयर क्षेत्र बोया गया था। लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र अप्रैल–मई तथा 70 प्रतिशत जून–जुलाई के महीने में बोया गया जो कि खरीफ सीजन का शीर्ष समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सामान्य वर्षा होने के कारण बीजाई समय पर की जा सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामान्य थी। जुलाई तथा अगस्त 2015 में भारी वर्षा ने कुछ फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस सीजन के दौरान वर्षा की प्रतिशतता न्यूनतम रहने के कारण सूखे जैसी स्थिति प्रदेश में प्रचलित रहेगी तथा निकट भविष्य में वर्षा नहीं होती है तो उत्पादन व क्षेत्रों के लक्ष्यों को पूरा करना सम्भव नहीं होगा। सब्जियां वर्षा तथा सींचित क्षेत्र दोनों में उगाई जाती हैं। रबी सीजन 2015 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण उत्पादन लक्ष्य भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत कुल खाद्यान सम्भावित उत्पादन अनुमान 16.19 लाख मी. टन है जोकि वर्ष 2014–15 की अस्थाई उत्पादन अनुमान 16.74 लाख मी.टन था। आलू का उत्पादन 2.00 लाख मी.टन सम्भावित है तथा सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2014–15 में 15.76 लाख मी0 टन की तुलना में वर्ष 2015–16 में 14.80 लाख मी.टन सम्भावित है। वर्ष 2016–17 में लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पादन('000 मी.टन में)

फसले	2013–14	2014–15 (अस्थाई)	2015–16 (अनु0 उत्पादन)	2016–17 (लक्ष्य)
I. खाद्यान्न				
चावल	128.49	119.17	132.00	131.00
मक्की	678.25	752.66	730.00	750.00
रागी	1.97	3.11	3.00	3.50
छोटा अनाज	3.60	4.26	4.00	6.00
गेंहू	685.45	720.86	690.00	650.00
जौं	35.18	31.63	35.00	38.00
चना	0.40	0.53	2.50	3.50
दालें	51.80	41.43	22.50	18.00
कुल खाद्यान्न	**1585.13**	**1673.65**	**1619.00**	**1600.00**
II वाणिज्यिक फसलें				
आलू	205.28	181.38	200.00	195.00
सब्जियां	1465.96	1576.45	1480.00	1500.00
अदरक (शुष्क)	1.84	1.84	3.00	5.00

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत् भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत् क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2014–15 में 832.60 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2010–11	795.18	1493.87	1.88
2011–12	788.06	1544.49	1.96
2012–13	786.43	1541.33	1.96
2013–14	774.72	1585.13	2.05
2014–15 अनुमानित उत्पादन	832.60	1673.65	2.01

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई. वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की,

धान, गेहूं के अंतर्गत् पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2015–16 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2010–11	278.65	75.20	327.00
2011–12	279.05	75.08	330.35
2012–13	279.60	76.90	336.56
2013–14	285.05	76.50	341.35
2014–15	288.00	74.00	352.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढानें के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण, 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2012–17 (12वी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य)	425.000	600.000
2012–13	92.000	161.189
2013–14	120.514	210.900
2014–15	108.000	190.110
2015–16(संभावित)	100.000	175.000

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा सशक्त की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। वर्ष 2014–15 में 1,03,685 मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया। वर्ष 2015–16 में लगभग 69,635 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण परियोजना को सरकार ने फलेंग–शीप कार्यक्रम के तौर पर अपनाया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत् पात्र किसानों को

मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगें जिससे किसानों को अपने खेतों की मिट्टी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भू–उर्वरकता नक्शे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जी.पी.एस. तकनीक बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मिट्टी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत् एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

जैविक खेती

7.12 सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/ गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को ₹5,000 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) 10x6x1.5फीट का बरमी गड्डा तैयार करने व दो किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2014–15 तक 4,14,230 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त जैविक खेती अपनाने पर अनुमोदित जैविक आदानों पर ₹10,000 प्रति हैक्टेयर (50 प्रतिशत) तथा प्रमाणीकरण हेतू ₹10,000 प्रति हैक्टेयर 3 वर्षों के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है।

बायो गैस विकास कार्यक्रम

7.13 पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च, 2015 तक राज्य में 44,573 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग 90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2015–16 में 150 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से दिसम्बर,2015 तक 89 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.14 उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 52,649 टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन. तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा या ₹2,500 प्रति क्विंटल जो भी कम हो, उपदान स्वरूप उपदान योजना के अंतर्गत् दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में लगभग 48,500 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों की दृष्टि के रूप में वितरित किया जाएगा।

कृषि ऋण

7.15 ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के

अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको आदान की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर उन फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत् आती है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्वेश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

7.16 यह योजना पिछले बारह से तेरह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,955 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। आज तक 6.37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए।

फसल बीमा योजना

7.17 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत् लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रवी फसलों पर अनुदान (10 से 50 प्रतिशत) लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि बीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है तथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत् ₹693.03 करोड़ से 3,48,294 किसानों को बीमाकृत किया गया। वर्ष 2014–15 रबी फसल के लिए ₹18.31 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में जारी की है। आलु को रबी (2013–14) जिला कांगड़ा में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी. आई.एस.) के अन्तर्गत् लाया गया है और वर्ष 2014–15 खरीफ सीजन से अदरक व मटर को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। यह योजना कृषि बीमा कम्पनी (AIC) और निजी बीमा कम्पनी यानि ICICI लोम्बार्ड और HDFC इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उक्त कम्पनियों द्वारा वर्ष 2015 खरीफ फसल के दौरान 12,284 किसानों

को ₹20.52 करोड़ के बीमा राशि से योजना के अधीन लाया गया तथा ₹2.21 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बीज प्रमाणीकरण

7.18 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "हिमाचल राज्यबीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी" उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

कृषि विपणन

7.19 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर भी मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मार्किट कमेटियां कार्य कर रही हैं 53 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। तथा 9 मार्किट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। किसानों के हित के लिए मार्किट फीस भी 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई।

चाय विकास

7.20 चाय उत्पादन के अन्तर्गत् 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 15 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। अनुसूचित जाति के चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से बाजार में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने के लिए प्रदर्शन एवम् नतीजों पर बल दिया जा रहा है।

कृषि का मशीनीकरण

7.21 इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाड़ी स्थिति के अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

बीज ग्राम कार्यकम (100 प्रतिशत सी.एस.एस.)

7.22 प्रमुख फसलों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा समय पर पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध न होना है। इस बाधा

से मुक्त होने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए नवीन कार्यक्रम जिसे "बीज ग्राम कार्यक्रम" के रूप में जाना जाता है, शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से बेहतर प्रजातियों के बीज उत्पादन, कम समय व स्थानीय स्तर पर कम लागत पर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के तहत बेहतर बीज उत्पादन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और 50 से 150 उपयुक्त इच्छुक किसानों को एक ही फसल हेतु सुसम्बद्ध क्षेत्र में पहचान की जाएगी। पहचान किए गए किसानों को 50 प्रतिशत लागत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज प्रत्येक किसान को आधा हैक्टेयर हेतु दिये जाएगें। चयनित किसानों को बीज उत्पादन और बीज तकनीकों का प्रशिक्षण बीज ग्राम में ही दिया जाएगा।

भू एवं जल संरक्षण

7.23 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रक्रिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य

ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण एवम् जल संरक्षण तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

डा0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना

7.24 कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए डा. वाई.एस.परमार किसान स्वरोजगार योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य जरूरत के हिसाब से संसाधनों की रचना एवं विभिन्न लक्ष्य जैसे अधिक पैदावार, गुणवता, विपरीत मौसम के लिए वचाव व कुशल आदानों का प्रयोग शामिल है। इसके साथ–साथ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ऐसे पॉली हाऊस विकसित करना जिसमें सुक्ष्म सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो। इस परियोजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा किसानों के समूह को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जल स्रोतों (कम/मध्यम लिफ्ट, पम्पिंग मशीनरी) के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वर्ष 2014–15 के दौरान इस घटक के लिए ₹12.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

सारणी 7.8
परियोजना घटक
(वर्ष 2014–15 से 2017–18)

क्र. सं.	घटक	संख्या	कवर क्षेत्र
1.	पाली गृह क्षेत्री सरंचना	4700	835350 वर्ग मीटर
2.	सूक्ष्म सिंचाई (स्पिंकलर / ड्रिप सिस्टम) पॉली गृह की क्षमतानुसार	2150	820050 वर्ग मीटर
3.	निम्न ऊठाऊ, मध्यम ऊठाऊ, एंव पम्प सयन्त्र/1एचपी क्षमतानुसार प्रत्येक पोली गृह के साथ	870	
4.	निर्माण कुल लागत	₹10178.10 लाख	
5.	किसान संवेदीकरण, आकस्मिक और लागत में वृद्धि	₹940.45 लाख	
6.	कुल परियोजना लागत	₹11118.55 लाख	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

7.25 कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजनाओं में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों, यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है। वर्ष 2015–16 में कृषि विभाग को ₹55.00 करोड़ आवंटित किए जिसमें से कि सामान्य योजना ₹36.19 करोड़, एस0सी0एस0पी0, ₹13.86 करोड़ व टी0ए0एस0पी0 ₹4.95 करोड़ का प्रावधान है।

कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

7.26 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत् तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। NMAET को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SAME)
2. बीज एंव रोपण सामग्री उप–मिशन(SMSP)
3. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन(SMAM)
4. पौध सरंक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य के 90:10 आधार पर व्यय किया जाएगा व ₹88.00 लाख परिव्यय का अनुमान है। वर्ष 2015–16 के लिए ₹263.00 लाख NMAET के तहत प्रस्तावित है।

स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA)

7.27 सतत कृषि उत्पादकता और गुणवता, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान पर विशिष्ट उपायों के माध्यम से दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। राज्य में खाद्यान के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बारिश पर निर्भर कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण महत्वपूर्ण है। वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एन.एम.एस.ए. का गठन किया गया है।

इस मिशन के तहत मुख्य मद्दे है।

1. बारिश पर निर्भर कृषि का विकास करना ।
2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन।
3. जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
4. मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार।
5. संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।

इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 के लिए ₹151.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

7.28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2012 में रबी सीजन के दौरान प्रदेश में शुरू की गई है। इसके दो मुख्य घटक एन.एफ.एस.एम.चावल और एन. एफ.एस.एम. गेहूं है। केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से एन.एस.एफ.एम. चावल राज्य के तीन जिलों में तथा एन.एस. एफ.एम. गेंहू 9 जिलों में कार्य कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर लक्षित जिलों में अर्जित करना है।

उद्यान

7.29 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

7.30 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता

जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2014–15 में 2,24,352 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 7.52 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक कुल फल उत्पादन 8.19 लाख टन आंका गया है। 2015–16 में 3,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर, 2015 तक 3,244.06 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 8.48 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.31 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2014–15 में 1,09,553 हैक्टेयर हो गया।

7.32 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2014–15 में 27,900 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2014–15 में 10,621 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं पोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2014–15 में क्रमशः 23,704 हैक्टेयर तथा 52,574 हैक्टेयर हो गया।

7.33 प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास की गति में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब को फल उद्योग में प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि इकलोजिकल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.34 फल–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अच्छी प्रवृतियों का बढ़ावा देकर विभिन्न फसलों जैसे अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम, लीची, स्ट्रावेरी तथा जैतून को विकसित किया जा रहा है।

7.35 मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में सेब, आम तथा निम्बू प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह प्रापण मूल्य पिछली वर्ष की भांति ही रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बागवानों से ₹23.42 करोड़ मूल्य का 36,033 मी.टन

"सी" श्रेणी सेब का प्रापण किया गया। आम मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत फल प्रापण शून्य रहा तथा नीम्बू प्रजाति फलों हेतु मण्डी मध्यस्था योजना की कार्यन्वयन अवधि 13.02.2016 तक है।

7.36 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर, 2015 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.9 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.9
फल उत्पादन

('000 टन)

मद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (31.12.2015)
सेब	412.39	738.72	625.20	754.95
अन्य समशीतोष्ण फल	55.02	66.13	43.61	29.57
सूखे मेवे	2.81	3.48	2.41	1.84
नीबू प्रजाति	24.32	22.27	22.17	7.33
अन्य उपोष्णीय फल	61.16	35.74	58.55	25.32
कुल	**555.70**	**866.34**	**751.94**	**819.01**

7.37 फल उत्पादकों को उतम गुणवत्ता की पैकिंग उपलब्ध करवाने एवं सेब के विभिन्न ग्रेडों हेतू प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 4.04.2015 जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्टैण्डर्ड (पूरा बक्सा) एवं स्टैण्डर्ड (हॉफ बक्सा) बक्से हेतू अधिकतम भार क्रमशः 24 कि.ग्र. व 12 कि.ग्रा. मान्य होगा।

7.38 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु 31.12.2015 तक 393 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अर्न्तगत लाया गया है। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, आर्दश पुष्प केन्द्रों महोगबाग, (चायल जिला सोलन) तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश के चार किसान को–ओपरेटिव सोसाईटी जिला शिमला, कांगड़ा, लाहौल–स्पिति तथा चम्बा में कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पाद एवं मौन पालन जैसे सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 241.41 मी0 टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल 4,672.00 मी0टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 में 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश मे 804.19 मी0टन शहद का उत्पादन हुआ।

7.39 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया। इस योजना को लोकप्रियता को दृष्टिगत अगले वर्षो में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। वर्ष 2015–16 में 36 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए, 41 विकास

खण्डों में आम फसल के लिए, 15 विकास खण्डों में किन्नू फसल के लिए, 13 विकास खण्डों में पलम फसल के लिए तथा 5 विकास खण्डों में आड़ू फसल के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत् लाया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु 17 विकास खण्डों को Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2014–15 में 97,246 बागवानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सेब फसल के लिए सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 61,69,865 पेड़ों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹9.22 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये गए। इस योजना के अर्न्तगत 92,423 बागवान ₹34.50 करोड़ से लाभान्वित होने की संभावना है।

7.40 प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं "MISSION FOR INTEGRATED DEVELOPMENT OF HORTICULTURE", (MIDH) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना प्रदेश में चलाई जा रही है। इन योजनाओं के अर्न्तगत बागवानी फल फसलों के उत्पादन, आधारभूत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं में विकास हेतु अनेक विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु ₹70.04 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹25.75 करोड़ की राशि प्राप्त कर ली गई है। इन योजनाओं के अर्न्तगत माह दिसम्बर, 2015 तक 17,545 किसान लाभान्वित किये गए हैं वर्ष 2015–16 में इन योजनाओं में फूलों तथा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 1,89,000वर्ग मी. क्षेत्र ग्रीन हाऊस के अंतर्गत लाया जाना लक्षित है। वर्ष 2015–16 में बागवानी फल फसलों में विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर उपलब्ध 50 प्रतिशत उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 1,13,570 वर्ग मीटर क्षेत्र को ओलारोधक जालियों के अर्न्तगत लाया जाना लक्षित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेब के लिए जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है जिसमें पुराने बगीचों को जीर्णोद्धार करके नई, उन्नत तथा लगातार फसल देनेवाली स्पर प्रजातियों के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015–16 में दिसम्बर,2015 तक 180 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अर्न्तगत लाया गया है। इसके अतिरिक्त बगीचों में सिंचाई प्रबन्धन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतू जल भण्डारण टैंकों, बोरवेल की स्थापना प्रदेश में की जा रही है।

हि.प्र. विपणन निगम (एच.पी.एम.सी.)

7.41 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन, अतिरिक्त उत्पादन जो बाजार तक नहीं पहुंच सका, उनसे विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

7.42 वर्ष 2015–16 में दिसम्बर,2015 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹4,750.24 लाख के उत्पाद, ₹9,000.00 लाख के लक्ष्य के विरूद्व अपने संयंत्रों से तैयार करके घरेलू बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना (MIS 2005) के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने 20,134.56 मी.टन (प्रत्येक 40 कि.ग्रा. के 5,03,364 बैग) सेबों की खरीद की इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में 3,535.22 मी.टन सी ग्रेड सेब प्रोसेस किया जिसमें से 298.00 मी0टन का सेब कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। निगम इस वर्ष आमों की खरीद नहीं कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 15 जनवरी, 2016 तक 21.00 मी.टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित खरीददारों को जिसमें रेलवे उत्तरी कमान मुख्यालय, उधमपुर, विभिन्न धार्मिक संस्थानों, निजी संस्थानों, मै0 पार्ले खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। एच.पी.एम.सी. के द्वारा 254.72 मी.टन का जूस ₹395.70 लाख में तथा अन्य उत्पाद ₹1,225.65 लाख में उपरोक्त संस्थानों को बेचा गया। एच.पी. एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹477.08 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹492.37 लाख का सामान प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 5 सी.ए. भण्डार गृहों से ₹531.26 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। निगम एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से ₹3,949.95 लाख तकनीकी उन्नतिकरण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत कराने में सफल हुआ। यह सहायता अनुदान निम्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त हुआ है :–

i) ग्रेडिंग व पैंकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू), तथा रिंकांगपियो (किन्नौर) के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹797.30 लाख।
ii) वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ़) के लिए ₹1,009.00 लाख।
iii) नादौन (हमीरपुर) पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹353.42 लाख।
iv) घुमारवी जिला बिलासपुर में फलों की पैकिंग व ग्रडिंग के लिए व फलों व सब्जीयों तथा जड़ी बुटियों की वातानुकुलित स्टोरेज के लिए पैकिंग व ग्रेडिंग हाउस व कोल्ड रुम के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹435.08 लाख।
v) एच पीएम सी फल विधायन संयंत्र, परवाणू में स्थित जुसों की टैटा पैकिंग के लिए टी.बी.ए.–9 टी.वी.ए.–19 में परिवर्तित करने के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹355.15 लाख।
vi) सरकार ने एच.पी.एम.सी. के फल विधायन संयंत्र परवाणू का उन्नतिकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए ₹1,000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की है जिसकी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

8. पशु तथा मत्स्य पालन

पशु पालन तथा डेरी उद्योग

8.1 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधन जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा व फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं जोकि सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

8.2 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2014–15 में 11.72 लाख टन दूध, 1,662 टन ऊन, 108.433 मिलियन अंडे, 3,998 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2015–16 में 12.10 लाख टन दूध, 1,412 टन ऊन, 100.00 मिलियन अंडे तथा 4,040 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 8.1
उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2014–15	11.72	468
2015–16 (अनुमानित)	12.10	483

8.3 ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत ध्यान दिया जा रहा है।

i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण।
ii) गोजातीय विकास।
iii) भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास।
iv) कुक्कट विकास।
v) पशु आहार व चारा विकास।
vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा।
vii) पशु गणना।

8.4 वर्ष 31.12.2015 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय–पशु–चिकित्सालय, 284 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,768 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,251 पशु औषधालय खोले गए है।

8.5 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही है। एक नर भेड़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है। वर्ष 2014–15 में इन प्रक्षेत्रों में 1,715 भेड़ें पाली गई और 317 नर मेंढ़े भेड़ पालकों में वितरित किए गए। प्रदेश

में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान 1,412 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाईं में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

8.6 हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गऊओं को क्रॉसब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गऊओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गऊएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2014–15 में 11.28 लाख गायों के व 2.96 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015–16 के लिए 11.50 लाख गायों और 3.00 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2014–15 में 0.31 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन (एल.एन.2) गैस उत्पादित की गई और 2015–16 में 0.80 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2014–15 में 2,399 संस्थाओं के माध्यम से 7.47 लाख गायें व 2.29 लाख भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया तथा वर्ष 2015–16 के दौरान 7.64 लाख गायों व 2.30 लाख भैंसो में कृत्रिम गर्भधान किया जाएगा। गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है।

8.7 बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 3.40 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 1,050 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत 3,036 परिवारों के लिए 1.80 लाख चूजे नवम्बर, 2015 तक बांटे गए। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 315 ईकाईयां स्थापित की गई। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2014–15 में इस प्रक्षेत्र में 53 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2014–15 में 53 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.65 लाख चारा पौंधों के वितरण की संभावना है।

दूध उद्यम विकास योजना (दूध गंगा योजना)

8.8 दुध गंगा योजना 25 सितम्बर, 2009 से नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं:–

- छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना(एक यूनिट में 2 से 10 दुधारु पशु) 10 पशुओं को खरीदने के लिए ₹6.00 लाख का बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद व दूध ठण्डा करने की यूनिटों के लिए ₹20.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- देसी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए व डेयरी प्रोसैसिंग उपकरणों के खरीद के लिए ₹13.20 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- डेयरी उत्पादों के परिवहन व कोलचेन के लिए ₹26.50 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध व दूग्ध पदार्थो के कोल्ड स्टोरेज प्रावधान मुहैया करवाने के लिए ₹33.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध विपणन केन्द्रों हेतू 1.00 लाख रुपये बैंक ऋण का प्रावधान है।

सहायता का पैटर्न:–

i) कुल प्रोजैक्ट लागत का 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी व 33.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को बैंक सम्भावित अनुदान का प्रावधान हैं।

ii) ₹1.00 लाख से अधिक ऋण राशि पर परियोजना लागत की 10 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करवानी होगी।

राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन एवं दुग्ध विकास योजना

8.9 राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन एवं दुग्ध विकास योजना के अंर्तगत भारत सरकार (शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) द्वारा कुल ₹23.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं तथा वर्ष 2014–15 में 5.71 करोड़ में जारी किए जा चुके हैं। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. ई.टी.टी.लैब को सुदृढ़ बनाना ।
6. स्थानीय नस्लों का विकास व संरक्षण।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

8.10 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार यह योजनाएं चला रही है। आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जो कि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए

जाते हैं। एक यूनिट में 50 से 100 चूजे होते हैं। केन्द्रीय संचालित योजना "राज्य के कुक्कट पालन सहायता" के अंतर्गत यह चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में पैदा किए जाते हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

8.11 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्काड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है। जिन रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एच0एस0बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रानीकाइट, मारक्स और रैबीज रोग इस परियोजना में सम्मिलित हैं।

भेड़पालक बीमा योजना

8.12 यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में शुरु की गई। इस स्कीम में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष 100:150:80 आधार पर जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया वहन करेगा।

भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ₹ 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु ₹1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता ₹1,50,000
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता ₹1,50,000
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता ₹75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुश्त लाभ, जिसे एड ऑन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है। इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए ₹1,200 वार्षिक वजीफा मिलता है।

दूध पर आधारित उद्योग

8.13 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध संघ में 865 दुध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 38,970 है जिसमें 196 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 21 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 81,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है। और एक 16 मी0 टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भौर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 63,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 25,000 लीटर दूध की

आपूर्ति कर रहा है जिसमें प्रतिष्ठित डेरीयों को थोक मात्रा में तथा सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल भी शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता है जहां से इसे प्रसंस्कृत करके पैकेट व खुला बिकने के लिए बाजार में भेजा जाता है।

8.14 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 01–04–2015 से दुग्ध के मूल्य में ₹1.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 38,970 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हि0प्र0 दुग्ध संघ से जुड़े हैं।

विकासात्मक प्रयत्न

8.15 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र रिकांग–पिओ, जिला किन्नौर, नालागढ़, जिला सोलन व जंगलबैरी, जिला हमीरपुर में लगाए गए हैं।
- जिला हमीरपुर की भौरंज तहसील के भौर में दो नए संयंत्र ''यूरिया मौलैसिस व मीनिरल मिंक्सर'' प्लॉट लगाए जा रहे हैं।
- हिमाचल दुग्ध प्रसंघ द्वारा जिला बिलासपुर में कम्परैस्ड फोडर संयन्त्र स्थापित किया गया है।
- तीन पशु आहार गोदाम जिला बिलासुपर, ऊना एवं नादौन जिला हमीरपुर में स्थापित किये जा चुके हैं।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लोगों का रोजगार प्रदान किया गया है।

नया नवीकरण

8.16 कल्याण विभाग के आई.सी. डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र चक्कर (मण्डी) में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2015–16 में 42,529.75 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स व 2,118.77 क्विंटल स्कीमड मिल्क पाउडर की आपूर्ति (आई.सी.डी.एस.) और सबला खण्ड को कल्याण विभाग के माध्यम से की जा चुकी है। वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी.–III के अंतर्गत 300 पशुओं को ₹15,000 प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 300 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2015–16 में लोहड़ी त्यौहार पर 30 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां सारणी संख्या 8.2 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 8.2
हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं	विवरण	2014–15	30.11.15 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	845	865
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	38,740	38970
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	199.39	157.00
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	68.92	61.21
5	घी की बिक्री (मी0 टन)	158.54	96.07
6	पनीर की बिक्री(मी0 टन)	70.10	91.57
7	मक्खन की बिक्री(मी0 टन)	22.65	18.00
8	दही की बिक्री(मी0 टन)	150.77	105.00
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	28,649.48	20752.00

8.17 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाए है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह सुनिशिचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 97 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 174 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सीमित

8.18 ऊन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्वेश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर कर्तन की मशीन, ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक 41,064.40 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹23.79 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रामिक मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन स्थानीय ऊनी बाजार में किया जा सके।

वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित कार्य सारणी संख्या 8.3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 8.3

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	अनुमानित व्यय– (₹लाख में)
1	भेड़ ऊन खरीद	94,000	49.68
2	अंगोरा ऊन खरीद	100	0.60
3	भेड़कर्तन संख्या	95,000	–
4	भेड़ ऊन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग	40,000	–

मत्स्य एवं जलचर पालन

8.19 हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकाक्षी "इन्डो–नार्वेयन ट्राउट फार्मिग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 6,284 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान दिसम्बर,2015 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से 6,636.88 मी0टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹5,822.67 लाख है। इस वर्ष मूल्य ₹6.25 लाख की सहायता से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में निजि क्षेत्र में 10 नए टाउट यूनिट स्थापित करवाये जा रहे है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाशय को वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक राज्य में फार्मों से 13.17 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ₹95.50 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन को सारणी संख्या 8.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.4

टेवल साईज ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2011–12	17.98	83.01
2012–13	19.18	98.48
2013–14	13.81	115.41
2014–15	17.07	114.66
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	13.77	95.50

8.20 मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण तालाबों और सरकारी व निजी जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की स्थापना की है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2014–15 में ₹245.98 लाख था तथा 2015–16 में ₹148.38 लाख फार्म बीज का उत्पादन दिसम्बर, 2015 तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के बाबजूद भी प्रदेश में मत्स्य पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" ₹63.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई है

जसका विवरण सारणी संख्या 8.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.5

क्र. सं	योजना का नाम	परिव्यय राशि
1.	बैकयार्ड फिश फार्मिंग यूनिटों का निर्माण	₹ 43.20 लाख
2.	मछली पकड़ने के उपकरणों का वितरण तथा मत्सय बीज संग्रहण	₹ 5.15 लाख
3.	अनुसूचित जाति बहुल गांव में सामुदायिक तालाब निर्माण	₹ 8.40 लाख
4.	हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में ट्राऊट ईकाइयों का निर्माण	₹ 6.25 लाख
	कुल	**₹63.00 लाख**

8.21 विभाग द्वारा जलाशय मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष " बैकयार्ड फिश फार्मिंग" (किचन फिश पौड) नामक नई योजना 120 किचन फिश पौड निर्मित करवाएं जा रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय मत्स्यिकीय विकास बोर्ड हैदराबाद की 90 प्रतिशत सहायता से "मोबाईल फिश मार्कीट" नामक नई योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों के घर द्वार पर ताजा मछली पहुंचाना है। मछुआरों को अब जीवन सुरक्षा निधि के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत मृत्यु /स्थाई अपंगता की दशा में संतप्त परिवार को ₹2.00 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹1.00 लाख तथा चिकित्सा उपचार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। अर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो मासिक बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगिरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे सारणी संख्या 8.6 में दर्शाया गया है:–

सारणी 8.6

क्र. सं	योजना का नाम	अधिकतम अनुदान राशि
1	मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना (केन्द्र व राज्य में 50:50 के आधार पर)	₹2.00 लाख (मृत्यु उपरांत स्थाई अपंगता) ₹1.00 लाख (आंशिक अपंगता पर)
	चिकित्सा उपचार हेतु	₹10,000
2	वर्जित काल के दौरान सहायता	₹1,800 (दो किश्तों में प्रत्येक मछुआरे को)

8.22 मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 460 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाश्य मत्स्यकीय, हिमाचल मत्स्यकीय का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। "पिंजरों में मछली पालन योजना" के अन्तर्गत ₹334.00 लाख की राशि केन्द्रीय अन्तर्देशीय अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकता को स्थानान्तरित कर दी गई है। ताकि ऐसी तकनीक विकसित करवाई जाए जिससे जलाशयों से मछली उत्पादन बढ़ सके। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित

करके जलाशय के दोहन हेतु प्रेरित किया है। वैज्ञानिक प्रबन्धन के परिणामस्वरूप मछुआरों को पकड़ी गई मछलियों का लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो रहा है।

8.23 विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष 2016–17 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 8.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.7

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर,2015 तक की उपलब्धियां	वर्ष 2015–16 का लक्ष्य	प्रस्तावित लक्ष्य 2016–17
1	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनों से)	6636.88	11286.00	11,600.00
2	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	148.38	495.00	500.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र (टन)	13.78	17.00	20.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	273.80	383.00	440.00
5	रोजगार सृजन (संख्या)	-	570.00	590.00
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	381.53	400.00	410.00

9. वन तथा पर्यावरण

वन

9.1 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है। इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

वन रोपण

9.2 वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वनाच्छादन में सुधार, विभागीय पौधारोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चारागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज, सांझी वन योजना, टी.एफ.सी., भू एवं जल संरक्षण एवं वाह्य सहायता पोशित परियोजनाएं इत्यादि शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 6,028 है0 क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ₹16.84 करोड़ व्यय होने सम्भावित है तथा दिसम्बर, 2015 तक 5,450 है0 क्षेत्र में पौधारोपण कर लिया है। वर्ष 2015–16 के दौरान ₹13.00 करोड़ की लागत से 45 लाख औषधीय पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण

9.3 हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरण्यस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹484.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹340.22 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष धनराशि 31 मार्च, 2016 तक व्यय कर दी जाएगी।

वन प्रबन्धन योजना संचार तंत्र

9.4 वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकडी़ के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्वंसक तत्व है, अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹405.61 लाख का प्रावधान है जिसमें 31 दिसम्बर, 2015 तक ₹125.75 लाख व्यय कर लिये गए हैं तथा शेष राशि 31 मार्च, 2016 तक व्यय कर दी जाएगी।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना

9.5 यह परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से ऊना जिले में चलाई

जा रही है। आरम्भ में यह योजना वर्ष (2006–07 से 2013–14) 8 वर्षो के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना खर्च ₹160.00 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म–योजना के स्तर पर क्रियान्वित करने पर तथा वर्ष 2011 में योजना की मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन (MTRE), सिफारिशों के अनुसार व संसाधन उपरान्त यह योजना (2006–07 से 2015–16) 10 वर्षो के लिए ₹215.00 करोड़ की राशि के साथ चलाई जाएगी। स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना ऊना जिले की 96 पंचायतों में चलाई जा रही है। इस परियोजना का वहन 85:15 के आधार पर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹8.05 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹5.17 करोड़ व्यय किए गए हैं तथा शेष राशि मार्च, 2016 तक व्यय कर ली जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः

9.6 मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश में 01.10.2005 से शुरू की गई। यह योजना 6 वर्षो के लिए थी जिस की कुल लागत ₹365.00 करोड़ निर्धारित की गई थी। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 अनुपात से वहन की जा रही है तथा परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब ₹231.25 करोड की लागत से मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना अतिरिक्त वित्तीय सहायता 2015–16 तक स्वीकृत की गई है। यह परियोजना प्रदेश की 710 पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना तथा योजना–क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना है। वर्ष 2015–16 के लिए ₹100.00 करोड़ का बजट अनुमोदित है और दिसम्बर, 2015 तक ₹60.12 करोड़ व्यय कर दिए गए हैं। शेष राशि मार्च, 2016 तक व्यय कर ली जाएगी। वन विभाग तथा प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब इस परियोजना की अवधि मार्च, 2017 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस परियोजना में लगभग ₹70.00 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको–सिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट

9.7 जर्मन सरकार के के.एफ. डब्ल्यू. बैंक की सहायता से ₹286.00 करोड़ की लागत से प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में आगामी 7 वर्षो की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको–सिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। इस परियोजना के कार्यान्वयन पर ₹240.00 करोड़ जर्मन सरकार द्वारा तथा शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना का वित्तीय करार 29.12.2015 को किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 में ₹40.00 करोड़ व्यय किए जाने प्रस्तावित है। जर्मन सरकार के एक अन्य बैंक जी.आई.जेड. के तकनीकी सहयोग के द्वारा 3 वर्षो के लिए लगभग ₹25.00 करोड़ की लागत से प्रदेश में एकीकृत ईको सिस्टम सर्विसिज अपनाने हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है।

पर्यावरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वर्ष 2015–16 के अंतर्गत विभाग की महत्वूपर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

हि0प्र0 राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

9.8 हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो कि विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ पर्यावरण विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, का कार्य कर रहा है। जलवायु माडलिंग सुविधा का आरंभ ज्ञान प्रकोष्ट में किया गया है तथा जलवायु से संबधित अध्ययन और जलवायु परिवर्तन ज्ञान आधारित वैब पोर्टल भी विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत् विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, (भारत सरकार) के साथ सक्रिय समन्वय के तहत जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और एकजुट कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त समन्वय प्रक्रिया/तंत्र स्थापित करने हेतु जलवायु परिवर्तन पर आंकड़े का कोष तैयार करेगा और ज्ञान के अंतराल को भरेगा। यह प्रकोष्ट/ज्ञान केन्द्र एक जीवांत एंव गतिशील ज्ञान प्रणाली का निर्माण करेगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संग्रहण, मिलान और जलवायु परिवर्तन का ज्ञान प्रसार होगा। पर्यावरण विभाग एक सुसंगत डेटाबेस को विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो कि भूगर्भीय, जल विज्ञान, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक आयामों पर आधारित है और पारिस्थितिकी तंत्र के सरंक्षण पर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली तथा जलवायु परिवर्तन पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए निगरानी और विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान का एक मजबूत आधार बनेगा।

विकास नीति ऋण (डी.पी.एल.)/ भारत सरकार से अनुदान

9.9 डी.पी.एल.–1 और 2 को जारी रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरित एवं सतत विकास में बदलाव के लिए द्विपक्षीय वित्तपोषण के अन्तर्गत भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक में डी.पी. एल.–3 का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें राज्य के हिस्से के रूप में 100 मिलियन यू.एस. डालर की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

साईंस लर्निंग एवं कियेटिविटी केंद्र की स्थापना

9.10 राज्य में साईंस लर्निंग एवं कियेटिविटी केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विज्ञान का रहस्यनावृत तथा इसके उपयोग के बारे में आम लोगों तथा किसानों को जागरूक करना है।

जैव प्रौद्योगिकी नीति का कियान्वन

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में जैव प्रौद्योगिकी नीति को अपनाया गया है ताकि राज्य के इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। विभाग जैविक भोजन, जैविक ऊर्जा, फसलों के बेहतरी, पशुधन एवं जैविक खेती के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए धन उपलब्ध करवा रहा है। नीतिगत पहलुओं के अंतर्गत् विभाग ने 2016–17 के लिए जैव प्रौद्योगिकी एवं सहयोगात्मक

अनुसंधानों को राज्य के किसानों सहित अंत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। जैव प्रौद्योगिकी को प्रमुख साधन बनाने हेतू राज्य में जैव प्रौद्योगिकी में सबसे अच्छे अनुसंधान वैज्ञानिकों और विद्वानों के विकास हेतु पुरस्कृत किया जा रहा हैं। राज्य की जैव प्रौद्योगिकी रिपोर्ट का सभी हितधारियों में आबंटन किया जा रहा है जो कि राज्य में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनांओ के बारे में शोधकर्ताओं तथा छात्रों को नई जानकारी उपलब्ध करवाएगा।

पर्यावरण मंजूरी

9.12 सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को सरल कर दिया है और आवेदन सम्बंधी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज एंव सुलभ हुई है।

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूल कोष के तहत एक कार्यक्रम

9.13 पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुकूल करने हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एन.ए.एफ.सी.सी.) के तहत ₹20.00 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। यह कार्यक्रम पर्यावरण, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नाबार्ड के माध्यम से जो राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजैंसी भी है, इस वर्ष से कार्यान्वित किया जाना है। कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- जिला सिरमौर के लिए जलवायु मानचित्रण और जलवायु संवेदनशीलता सूचकांक।
- जिला सिरमौर के 30,000 ग्रामीणों को सूखे के प्रति अनुकूलन एंव जलवायु स्मार्ट पैकेज हेतु प्रशिक्षण।
- कम से कम 26 प्रतिशत जल की उपलब्धता को मृदा जल संरक्षण एंव सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करना ।
- जिला सिरमौर में 20,000 किसानों को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में सम्मिलित करना एवं 15,000 किसानों को मौसम बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना।

10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

पेयजल

10.1 जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च, 1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल आपूर्ति योजना के नवीनतम वैधीकरण सर्वेक्षण के अनुसार मार्च, 2008 तक सभी 45,367 बस्तियों को शुद्व पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है। 1.04.2009 में राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति निर्देशों के लागू होने से सभी बस्तियों के मानचित्रण के उपरांत राज्य में कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई, जिसमें से 19,473 बस्तियां (7,632 बस्तियां जहां शून्य प्रतिशत से अधिक तथा सौ प्रतिशत से कम जनसंख्या वाली तथा 11,841 बस्तियां शून्य जनसंख्या वाली) चिन्हित हुई जहां पर पेयजल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित हैं ताकि प्रत्येक घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने राज्यों को डाटा में सुधार कर आंकलन करने के निर्देश दिये थे। वर्ष 2015 के डाटा आंकलन के अनुसार 1.04.2015 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें शत–प्रतिशत जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0 and <100 सम्मिलित किया गया
53,604	32,154 (59.98%)	21,450 (40.02%)

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 2,074 बस्तियों जिनमें 1,037 बस्तियों को राज्य भाग के अन्तर्गत तथा 1,037 बस्तियों को केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹173.20 करोड़ एवं ₹125.00 करोड़ रखा गया है। दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹159.14 करोड़ जिसमें ₹47.44 करोड़ केन्द्रीय भाग के अन्तर्गत तथा ₹111.70 करोड़ राज्य क्षेत्र के रूप में परिव्यय करके 1,332 बस्तियां जिसमें से 1,199 बस्तियां केन्द्रीय क्षेत्र एवं 233 राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

10.2 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2015 तक प्रदेश में कुल 32,219 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 में नवम्बर, 2015 तक प्रदेश में कुल 881 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

शहरी पेयजल कार्यक्रम

10.3 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 50 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 38 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया गया है। धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, सरकाघाट, नगरोटा बगवां, कुल्लू,

मण्डी, रामपुर तथा मनाली की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन UIDSSMT कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। नाहन व बंजार शहरों की पेयजल योजनाओं का सर्म्वधन कार्य राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में कुल ₹17.00 करोड़ योजनाओं के सर्म्वधन के कार्य के लिए रखे गये हैं, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक कुल ₹8.80 करोड़ खर्च किये जा चुकें हैं।

सिंचाई

10.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति उन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां वर्षा बहुत कम या अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके पूर्ण उपयोग पर विशेष ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता में है।

10.5 हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है। अब तक 2.64 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10.6 राज्य में कांगड़ा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा 15,287 हैक्टेयर में से 6,386 हैक्टेयर भूमि को CAD के अन्तर्गत लाया जा चुका है। मध्यम सिंचाई योजनाऐं चंगर क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हैक्टेयर, सिधांता कांगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना 3,150 हैक्टेयर तथा बल्ह घाटी लैफ्ट बैंक परियोजना 2,780 हैक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है व सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में फीनासिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, 4,025 हैक्टेयर, नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना, 2,980 हैक्टेयर का कार्य प्रगति पर है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

10.7 वर्ष 2015–16 में ₹4,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा इन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, क्योंकि ये योजनाएं प्रारम्भिक चरण में है तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹362.68 लाख व्यय किये गये हैं।

लघु सिंचाई

10.8 वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 3,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान

करने के लिए ₹15,245.00 लाख का बजट प्रावधान किया है। दिसम्बर, 2015 तक 2,300.95 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को ₹3,378.36 लाख व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

कमांड विकास कार्यक्रम

10.9 वर्ष 2015–16 के दौरान ₹5,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है और 964.50 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 23 लघु सिंचाई, 39 शैल्फ की लघु सिंचाई योजनाओं में भी सी.ए.डी. के कार्य भी प्रगति पर है और दिसम्बर, 2015 तक ₹163.34 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

बाढ़ नियन्त्रण

10.10 वर्ष 2015–16 में 2500 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए ₹19,005.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे दिसम्बर, 2015 तक ₹1,431.72 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा इस अवधि में 936.97 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि को बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है, स्वां नदी तटीयकरण–चरण–4, तथा छोंच खड्ड के तटीयकरण का कार्य प्रगति पर है।

11. उद्योग एवम् खनन

उद्योग

11.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए हाल ही में बहुत सी पहलें की है।

औद्योगिकरण की स्थिति

11.2 प्रदेश में 31.12.2015 तक 40,712 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत है इसमें 138 बडे और 380 मध्यम स्तर के उद्योग शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र/ सम्पदा का विकास

11.3 वर्ष 2015–16 में औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न आधारभूत सरंचनाओं के विकास के लिए ₹34.30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 31.12.2015 तक ₹19.87 करोड़ ओद्यौगिक क्षेत्र/ औद्योगिक सम्पदा के विभिन्न विकासात्मक निर्माण कार्यों पर व्यय किया जा चुका है । शेष बचे ₹14.43 करोड़ को भी 31.03.2016 से पहले व्यय कर लिया जाएगा।

एम0आई0आई0यू0एस0 के अधीन स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया

11.4 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने (संशोधित औद्योगिक अधोसरंचना विकास स्कीम) के अंर्तगत 2 स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया पण्डोगा जिला ऊना व कन्दरोरी जिला कांगडा में स्थापित करने की अन्तिम स्वीकृत दी गई है। इन परियोजनाओं का निधिकरण निम्न सारणी 11.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 11.1

वित्तीय स्रोत	राशि (करोडों में)	
	स्टेट आफ आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया पण्डोगा, जिला ऊना	**स्टेट आफ** आर्ट इण्डस्ट्रियल एरिया कन्दरोरी जिला कांगडा
केन्द्रीय अनुदान	22.62	24.07
स्टेट इमपलिमेंटिग एजेंसी	23.97	17.00
ऋण	41.46	54.70
योग	**88.05**	**95.77**

परियोजना अनुदान का व्यय अधोसरंचना विकास के लिए इन औद्योगिक क्षेत्रों के भौतिक अधोसरंचना के अंतर्गत (सडकें, तूफान पानी निकासी नली, स्ट्रीट लाईट व 132 KVG पावर सब स्टेशन की स्थापना), तकनीकी अधोसरंचना के अंतर्गत (सामूहिक सुविधा केन्द्र इत्यादि), सामाजिक अधोसरंचना के अंतर्गत (कामगार महिला आवास, बस ठहराव, वर्षा शालिका व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) तथा विविध/ प्रशासनिक अनुदान के लिए प्रयोग किया जाएगा।

तीसरे स्टेट आर्ट आफ एरिया के विकास के लिए सरकारी/वन की 515.00 बीघा भूमि दबोटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में चिन्हित कर ली गई है। इसका प्रारुप वन विभाग को भेज दिया गया है और इस विषय पर FCA-1980 के अर्न्तगत कार्य चल रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

11.5 इस योजना के अंतर्गत 382 मामलों का लक्ष्य निर्धारित था परन्तु 902 मामले/ आवेदन विभिन्न बैंको को प्रायोजित किए गए, जिसमें से 475 मामलों में ₹620.64 लाख की अनुदान राशि की स्वीकृति की जा चुकी है। 155 मामलों में प्रार्थियों को ₹210.19 लाख की अनुदान राशि वितरित कर दी गई है तथा इन उद्यमों में 506 व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है।

एसाईड योजना

(राज्यों के निर्यात उद्योगों की अधोसंरचना एवं सहबद्व गतिविधियों के विकास हेतु सहायता)

11.6

1) राज्य घटक

वर्ष 2015–16 के लिए एसाईड योजना के अर्न्तगत राज्य घटक में कोई बजट प्राप्त नही हुआ है क्योंकि भारत सरकार ने एसाईड योजना को बन्द कर दिया है वर्तमान में जारी कार्यों को योजना के दिशा निदेंश अनुसार पूर्ण कर लिया जाएगा ।

2) केन्द्रीय घटक

वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय घटक के अधीन कुल ₹71.45 करोड़ की परियोजना लागत से वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पांच परियोजनाएं स्वीकृत की गई । जिसमें से भारत सरकार से मिलने वाली कुल ₹57.96 करोड की एसाईड अनुदान में से ₹35.49 करोड की राशि राज्य के लिए जारी की जा चुकी है। पांच परियोजनाओं में दो परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

i) लिंक रोड अजौली (पंजाब बार्डर) से सन्तोखगढ, टाहलीवाला इण्डस्ट्रियल एरिया से लालूवाल जिला ऊना आर0डी0 0/0 से 14/150 के सुधार एवं मजबूती का कार्य।
ii) निर्यात इकाईयों के लिए कम्पोजिट फार्मा लेब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

शेष तीन परियोजनाओं पर काम जारी है जो कि निम्नलिखित हैं :–

i) बददी बरोटीवाला में निर्यात इकाईयों की के लिए कन्टेनर पार्किंग सुविधा की स्थापना।
ii) औद्योगिक क्षेत्र, काला अम्ब, जिला सिरमौर में विद्युत अधोसरंचना का विकास।
iii) बददी बरोटीवाला में स्थित निर्यात इकाईयों के लिए भण्डारण व्यवस्था।

जिनके लिए स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि का व्यय किया जा चुका है व दूसरी किस्त अभी जारी की जानी शेष है ताकि शेष बचे 3 परियोजनाओं को भी पूरा किया जा सके।

रेशम उद्योग

11.7 रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,200 ग्रामीण परिवारों को रेशम

कोकून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त हो रहा है और उनके आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। 13 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजी क्षेत्र जिनमें जिला कांगडा, बिलासपुर में 5–5 तथा हमीरपुर, मंडी एवं उना में 1–1 यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित की गई है 31 दिसम्बर, 2015 तक 224.65 मी.टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिन में से 28.94 मी.टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री से ₹723.50 लाख की आय प्राप्त हुई है। रेशम कोकून का पूर्वानुमानित उत्पादन 224.65 मी.टन तथा परिवर्तित कच्चा रेशम 28.94 मी.टन रहेगा।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प

11.8 हि0प्र0 राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम को इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु जन–जातीय उप योजना के अन्तर्गत ₹85.00 लाख तथा अनुसूचित जाति घटक योजना के अन्तर्गत ₹1.00 करोड दिए गये हैं।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

11.9 वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक प्रदेश में महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अर्न्तगत 2,740 बुनकरों को लाया गया है।

जिला स्तरीय आयोजन

11.10 हतकरघा उत्पादों के विपणन हेतु वर्तमान वित वर्ष में हिम बुनकर कुल्लू के पक्ष में जिला स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित करवाने हेतू 16 प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए है।

खनन

11.11 खनिज प्रदेश के अर्थिक आधार का मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना–पत्थर जो कि पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग के लिये आवश्यक पदार्थ हैं यहां प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है । वर्तमान में प्रदेश में छः सीमेंट प्लांट, जिनमें मै0 ए0सी0सी0 की बिलासपुर जिला के बरमाणा में (दो इकाईयां), मै0 अम्बूजा सीमेंट लि0 की सोलन जिला कें कशलोग में (दो इकाईयां), मै0 जे0पी0 इण्डस्ट्रीज की बागा भलग, जिला सोलन में (एक इकाई) तथा मै0 सी0सी0आई0 की सिरमौर जिला के राजबन में (एक इकाई) कार्यरत है, जबकि सुन्दरनगर जिला मण्डी में (मै0 हरीश सीमेंटस (ग्रासिम सीमेंट), गुम्मा रूहाना, जिला शिमला में (मै0 द इण्डिया सीमेंट लि0) अलसींडी, जिला मण्डी में (मै0 लर्फाजे इण्डिया लि0) के पक्ष में तीन बड़े सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतू खनन पटटे प्रदान कर दिये हैं।

11.12 इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी कम्पनियों को जारी किए हैं, ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन किया जा सके। यह लाईसैंस मै0 एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी (धारा बडू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी), मै0 डालमिया सीमेंट कम्पनी (करयाली–कोटी–साल–बाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला), मै0 अम्बूजा सीमेंट लिमिटिड (गयाणा–चलयान–बसयाना–बरसाणू–मांगू, तहसील अर्की, जिला सोलन), मै0 रिलायंस सीमन्टेशन क0 (संगरोठी–थांगर–कुरा खेरा–पॉली खेरा–कंडल–डंडेरा, तहसील चौपाल, जिला शिमला), मै0 एशियन सीमेंट कम्पनी(रौड़ी–लाम्बा–सनून इत्यादि,

तहसील अर्की, जिला सोलन) को दिए गए।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिजयक दोहन किया जा सकता है जैसे शेल, बेराईटस, रॉक सॉल्ट, सिलिका सैंड, भवन सामग्री जैसे कि पत्थर, रेत व बजरी और ईमारती पत्थर इत्यादि भी प्रदेश में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। उद्योग विभाग की भौमिकीय शाखा द्वारा खनिजों के विकास एवं दोहन के लिये मापदण्ड बनाने के अतिरिक्त प्रदेश में बनाई जा रहे भवनों और पुलों का भौमिकीय अध्ययन एवं भू–पर्यावरण सम्बन्धित अध्ययन इत्यादि का कार्य कर रहा है ।

11.13 वर्ष 2014–15 के दौरान खनन से प्रदेश को ₹161.52 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक) ₹87.58 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि इस वित्तिय वर्ष में अनुमानित ₹130.00 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

i) **नए खनन के पटटे प्रदान करनाः** विभाग ने वर्ष 2014–15 में वित्तिय वर्ष में मुख्य खनिज के 3 खन्न पट्टे प्रदान/नवीकरण किये गये तथा वर्ष 2015–16 (सितम्बर, 2015 तक) के दौरान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) संशोधित अधिनियम, 2015 की धारा 8 ए (5) एवं 8 ए (6) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप 30 खन्न पटटा मामलों में खनन पट्टा की अवधि, स्वीकृति तिथि से आगामी 50 वर्षो के लिए बढ़ाई गई जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में, 7 खनन पटटे गौण खनिजों के प्रदान किये गये थे जबकि 2015–16 (सितम्बर, 2015 तक) 30 खन्न पट्टे, गौण खनिजों के प्रदान किये गये है।

ii) **भू–तकनीकी अन्वेषणः** विभाग द्वारा 2014–15, में प्रदेश में बनाए जा रहे पुलों, सड़कों, बड़े–बड़े भवनों, भू–स्खलन क्षेत्रों इत्यादि की नींव सम्बन्धी भौमिकीय अध्ययन किये और 28 भू–तकनीकी अन्वेषण रिर्पोटस सम्बन्धित एजेंसियों को आगामी कार्यवाही के लिए भेजी गई हैं। जबकि वित्तिय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) 18 भू–तकनीकी अन्वेषण रिर्पोटस सम्बन्धित एजेंसियों को भेजी गई है।

12. श्रम और रोजगार

रोजगार

12.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.80 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं। सभी 67 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है तथा 64 रोजगार कार्यालय ओन लाईन है बाकि 03 रोजगार कार्यालयो को शीघ्र ही औन लाईन किया जा रहा है।

न्यूनतम मजदूरी

12.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.05.2015 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹170 से ₹180 प्रतिदिन अथवा ₹5,100 से ₹5,400 प्रतिमाह कर वर्तमान में 11 अनुसूचित व्यवसायों में निर्धारित किये हैं।

राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अर्न्तगत 8 नये अनुसूचित व्यवसाय सम्मिलित किये हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं:–(1) हाईड्रो विद्युत परियोजनाएं (2) फार्मास्यूटिकल उद्योग (3) अस्पताल/नर्सिग होम और कलीनिक (4) घरेलू कामगार (5) सफाई कर्मचारी नियोजन (6) सूरक्षा सेवाएं (7) मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं (8) टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार, इस प्रकार से इन अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत अधिकतर कामगारों को उक्त अधिनियम के अर्न्तगत लाया गया है और न्यूनतम वेतन के लाभ व अन्य सुविधाएं दी गयी है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

12.3 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकडे. जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.12.2014 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,75,490 निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,51,686 और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,239 व निजी क्षेत्र में कुल 1,715 नियोक्ता है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

12.4 श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के

संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.04.2015 से 31.12.2015 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 110 कैम्प आयोजित किए गए।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

12.5 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2015–16 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित कामगार उपलब्ध होते हैं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की अकुशल कामगारों की मागं हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है । दिनांक 1.4.2015 से 31.12.2015 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से 164 कैंम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें से 2,334 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है। केन्द्रीय रोजगार कक्ष राज्य भर में रोजगार मेलों का आयोजन भी करता है। दिनाकं 1.04.2015 से 31.12.2015 तक विभाग 04 रोजगार मेलों का आयोजन कर चुका है, जिसमें 2,674 नियुक्तियां की गई है।

विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतू)

12.6 सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतू) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वांईट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30वां, 73वां, 101वां, 130वां, 173वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए, 30वां तथा 130वां गुंगे–बहरों के लिए, 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2015–16 के दौरान 1.04.2015 से 31.12.2015 तक सक्रिय पंजिका में 1,157 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,318 हो गई है तथा 34 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

श्रमिक कल्याण उपाय

12.7 बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम–1976 के अंतर्गत् राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर,सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। श्रम न्यायलयों एवं औद्योगिक अधिकरणों के पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायधीश नियुक्त किये गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

12.8 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, रती, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 6,291 संस्थानों में 2,28,380 बीमा कामगार/कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 तक 9,289 संस्थानों में कार्यरत 10,90,957(अनुमानित) कामगारों को लाया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध

12.9 प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या को औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण पर्याप्त महत्व दिया गया है। प्रदेश में समझौता तन्त्र विभाग के अधीन कार्यरत हैं तथा औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति बनाने, समन्वय और उत्पादनता बनाये रखने में महत्वपूर्ण एजेंसी साबित हुई है। समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, तथा श्रम अधिकारियों, व श्रम निरिक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार सौंपे गये हैं। यदि निम्न स्तर पर समझौता करवाने में यह प्रक्रिया असफल हो जाती है तो निदेशालय स्तर उच्च अधिकारियों द्वारा उस प्रकार के विवादों/मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम–1996 व उपकर अधिनियम–1996

12.10 इस अधिनियम के अंतर्गत जिसमें कल्याणकारी योजनायें जैसे कि मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पैंशन, अपंगता पैंशन, दाह संस्कार सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतू वित्तीय सहायता, बच्चों या अपने सदस्यों की शादी हेतु वित्तीय सहायता, महिला कामगार को साईकिल, वाशिंग मशीन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ईण्डक्शन चुल्हा या सोलर कुकर और सोलर लैम्प सभी लाभार्थियों को प्रदान करने के प्रावधान किये गये हैं। औज़ार खरीदनें और भवन निर्माण/खरीद

हेतु ऋण का प्रावधान किया है। ऐसे संस्थान जहां पर 300 से अधिक भवन एंव सन्निर्माण कामगार कार्यरत हों, वहां पर बोर्ड ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण/किराये पर ले सकता है। बोर्ड इस उद्देश्य से दुलैहड़ जिला ऊना तथा जिला सोलन के घनसोत (नालांगढ) में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों का निमार्ण कर रहा है जबकि जिला शिमला, मण्डी, चम्बा और किन्नौर में कामगार ट्रांजिट हॉस्टलों हेतु उपयुक्त भुमि की चयन प्रक्रिया जारी है। बोर्ड भवन एंव सन्निर्माण कामगारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अर्न्तगत भी लाया गया है, ऐसे कामगार जो भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के साथ पंजीकृत होंगे। दिनांक 31.12.2015 तक 1,678 संस्थान, 88,534 लाभार्थी पंजीकृत किये गये हैं तथा 65,738 लाभार्थीयों को ₹20.25 करोड़ की राशि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बांटी गयी है और लगभग ₹283.71 करोड़ की धनराशि हि0प्र0 भवन एवं सन्निनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पास जमा हुई है।

कौशल विकास भत्ता योजनाः

12.11 यह योजना हि0प्र0 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ₹100.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना का उद्देश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढाने हेतु सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं को कौशल विकास भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।

इस वित्तीय वर्ष में, दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2015 तक कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत 60,869 लाभार्थियों (26,748 लाभार्थी पिछले वित्तीय वर्ष से चल रहे हैं तथा 34,121 नए लाभार्थी) को ₹26.27 करोड़ की राशि वितरित कर दी गई है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर दिनांक 31.12.2015 तक कुल ₹68.93 करोड़ कौशल विकास भत्ता 1,07,887 अभ्यार्थियों में वितरित किया गया है।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

12.12 1.04.2015 से 31.12.2015 में कुल 1,46,741 प्रार्थियों का पंजीकरण हुआ तथा 262 को सरकारी क्षेत्र व 2,607 को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। विभिन्न नियुक्तिकों द्वारा इस अवधि में अधिसुचित खाली स्थानों की संख्या 2,542 थी। सभी रोजगार कार्यालयों में 31.12.2015 तक सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 8,08,767 थी।

जिलावार रोजगार केन्द्रों का 1.04.2015 से 31.12.2015 का कार्य निम्न सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 12.1

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सजीव पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	10548	1	6	131	53241
चम्बा	9509	2	7	697	55758
हमीरपुर	11129	6	34	516	64761
कांगड़ा	34835	366	128	526	177135
किन्नौर	1398	3	0	0	9036
कुल्लु	6526	339	4	13	44490
लाहौल स्पिति	817	0	19	0	4103
मण्डी	25258	14	30	317	158038
शिमला	15249	767	11	40	76812
सिरमौर	9216	314	0	26	55992
सोलन	10382	366	1	236	51826
ऊना	11874	364	22	105	57575
हिमाचल प्रदेश	**1,46,741**	**2,542**	**262**	**2,607**	**8,08,767**

नोटः सेवा नियोजन आंकडों में वे नियोजन आंकड़े सम्मलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डो, निगमों एवं हि0प्र0 लोक सेवा आयोग व एच0 पी0 एस0 एस0 एस0 बी0 द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर नियोजित किये जाते है।

13. विद्युत

13.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण घटक है। अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भुमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

13.2 जल विद्युत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत के विकास के आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। यह भी उसी तर्ज पर है जैसा हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में सम्मिलित हरित व सतत विकास की दिशा में जलवायु परिवर्तनशील पगों को बढ़ावा देती है जो कि प्रदेश की आर्थिक विकास के मुख्य घटक हैं। वस्तुत यह जल विद्युत के 27,436 मैगावाट क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना है। इसकी कुल क्षमता में से 24,000 मैगावाट का ही दोहन, 5 नदी घाटियों जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब व यमुना में सम्भव है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है। जल विद्युत विकास को आवश्यक रूप से चलते बहाव पर चाहे नदियों का संगम हो या जल प्रपात पर ही बल देना चाहिए।

सारणी 13.1
विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत दोहन

क्षेत्र	क्षमता(मैगावाट)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	487.55
केन्द्रीय / संयुक्त	7457.73
हिमऊर्जा (राज्य)	2.37
हिमऊर्जा (निजी)	260.25
निजी 5 मैगावाट से अधिक	1897.40
हिमाचल प्रदेश भाग	159.17
कुल	**10264.47**

13.3 सरकार ने मौजूदा क्षमता व नई क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए मै. एल.आई.आई.पी.एल. कनसल्टैन्ट से पांचो नदी घाटियों को अनुकुलन अध्ययन करवाया है ताकि शेष बची हुई क्षमता का पता लगाया जा सके। इन अध्ययनों से पता चला है कि प्रदेश में चिन्हित क्षमता 27,436 मैगावाट है, जिसमें से कि सतलुज घाटी में सबसे अधिक 13,332 मैगावाट उसके बाद व्यास घाटी में 5,995 मैगावाट, रावी घाटी में 3,237 मैगावाट, चिनाव घाटी में 4,032 मैगावाट, और यमुना घाटी में 840 मैगावाट की क्षमता है अभी तक सभी क्षेत्रों को मिलाकर 10,264 मैगावाट क्षमता का ही दोहन किया गया है।

भौतिक व वित्तीय उपलब्धियां 1.04.2015 से 31.12.2015 और पुर्वानुमानित लक्ष्य 31.3.2016 तक (वित्त वर्ष 2015–16)

सारणी 13.2

क0 सं0	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां 31.12.2015 तक	पुर्वाअनुमानित 31.03.2016
1	क्षमता में बढ़ोतरी	1050 मैगावाट	830 मैगावाट	76 मैगावाट
2	मुफ्त हिस्से का विद्युत विक्रय	300 करोड़	1009 करोड़	30 करोड़
3.	तकनीकी एंव आर्थिक मंजूरी	40 न0	23 न0	10 न0
4	परियोजना का निरीक्षण	20 न0	09 न0	–

5 मैगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं :

13.4 अभी तक 5 मैगावाट की क्षमता से 7,666 मैगावाट की 91 परियोजनाएं निजी क्षेत्रों में आंबटित की गई है जिसमें से कि 1,897 मैगावाट क्षमता की कुल 18 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं जबकि 720 मैगावाट क्षमता की 23 परियोजनाएं निर्माण /कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है और 5,049 मैगावाट क्षमता की कुल 50 परियोजनाएं शोधन/जांच के स्तर पर हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड –

13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाऐं

(i) **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (10वीं व 11वीं योजना):** ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए ₹34,405.62 लाख (₹30,965.06 लाख भारत सरकार सहायता + ₹3,440.56 लाख ऋण) की आर.जी.जी.वी.वाई. योजना स्वीकृत की थी जिसमें से ₹26,118.70 लाख मै0 आर.ई.सी. (नोडल एजैन्सी) द्वारा अनुदान के रूप में तथा ₹2,919.14 लाख ऋण के रूप में मार्च, 2015 तक दिए गए। दिसम्बर, 2015 तक दायित्व सहित कुल ₹32,854.63 लाख खर्च हुए हैं। जिला चम्बा के पांगी ब्लॉक की 33 के.बी.एच.टी. लाईन को छोड़ कर योजना के सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

109 विद्युत रहित गांवों (2011 की जनगणना के अनुसार) में से 9 गांवो का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना शुरू होने से पहले ही विद्युतीकरण कर दिया था। 10 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए सम्भव नहीं है और 90 विद्युत रहित गांवों का आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत् विद्युतीकरण कर दिया गया है।

i) **आर.जी.जी.वी.वाई.(वी.पी.एल.) लक्ष्य/उपलब्धियाः**

आर.जी.जी.वाई स्कीम में 12,483 वी.पी.एल. घरों को मै0 आर.ई.सी. द्वारा मुफ्त में कनैक्सन देने स्वीकृत किए थे। मार्च, 2015 तक स्कीम के अन्तर्गत् 15,293 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

आर.जी.जी.वाई के प्रगति कार्य दिसम्बर, 2015 तक निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी 13.3

क0 स0	जिला	ग्रामीण उप–भोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करवाई गई (वी.पी.एल. के सहित)	वी.पी. एल. परिवारो को बिजली उपलब्ध करवाई गई।	स्वीकृत राशि (₹लाख मे)	उपलब्ध करवाई गई राशि (₹ लाख में)			31.3.15 तक खर्चा	कलोजर स्टेटस
					ग्रांट	लोन	उपलब्ध करवाई गई राशि		
1.	चम्बा	2865	1174	6634	5369	597	5966	5942	बन्द नही हुई
2.	सोलन	5668	1524	4619	3483	389	3871	4397	बन्द हो गई
3.	ऊना	8628	1451	2306	1735	194	1928	2165	बन्द हो गई
4.	सिरमौर	4302	1236	4939	3741	418	4159	4599	बन्द हो गई
5.	बिलासपुर	1385	322	417	347	39	386	430	बन्द हो गई
6.	हमीरपुर	1406	530	597	449	50	499	613	बन्द हो गई
7.	कांगडा	11208	3362	2655	1959	222	2181	2896	बन्द हो गई
8.	मण्डी	7342	2398	3366	2526	283	2809	3158	बन्द हो गई
9.	शिमला	4914	2266	5194	3862	432	4294	5057	बन्द हो गई
10.	कुल्लू	2905	874	777	593	66	659	890	बन्द हो गई
11.	लाहौल–स्पिति	753	118	1324	1017	113	1131	1215	बन्द हो गई
12.	किन्नौर	850	38	1578	1039	115	1154	1493	बन्द हो गई
	कुल	**52226**	**15293**	**34406**	**2611**	**2919**	**29038**	**32855**	

(ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना(DDUGJY):-

ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने 3.12.2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) की शुरूआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण करने के लिए की है:–

क) परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए विवेकपूर्ण तरीके से सुविधाजनक बनाने के कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग करेगी।

ख) फीडरों को अलग करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं और गैर कृषि उपभोक्ताओं को निरन्तर बिजली आपूर्ति करने के लिए है।

ग) परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उप–संचार और वितरण (ST&D) के बुनियादी ढॉचे को मीटरिंग, वितरण ट्रांसफार्मर तथा उपभोक्ताओं सहित मजबूत और सम्वर्धन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवता बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है।

घ) वर्तमान आर.जी.जी.वी.वाई. प्रोग्राम को 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए जोकि CCEA द्वारा भी अनुमोदित किया गया है यह परियोजना अलग से एक

ग्रामीण विद्युतीकरण घटकों के रुप में सम्मिलित हो जाएगी जिसके लिए CCEA ने इस स्कीम की लागत ₹39,275 करोड़ स्वीकृत की है जिसमें वित्तीय सहायता ₹35,447 करोड़ है। इस लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना की नई स्कीम को आगे बढाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्कीम के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹43,033 करोड़ की लागत, जिसमें ₹33,453 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा है।

तदनुसार उपरोक्त उद्देश्यों के लिए परियोजना हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों जिसमें 35 विद्युतरहित गांव तथा 14,088 ग्रामीण घर, 3,288 बी.पी.एल. घरों के विद्युतीकरण के लिए एच.पी.एस.ई.बी.लि. द्वारा तैयार की है। योजना भारत सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति के अनुमोदन के अनुसार विभागीय आधार पर कार्यान्वयन की जा रही है। निगरानी समिति द्वारा ₹159.12 करोड़ की योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

(iii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर0 ए0 पी0 डी0 आर0 पी0)

पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर.–ए.पी.डी.आर. पी.) के अंतर्गत योजनाएं दो भागों में कार्यान्वित की जाएंगी।

भाग–अ

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे को 15 प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों में कम करने के लिए पुनर्गठित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (क) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसेः आधारभूत आंकडे स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसेः मीटर आंकडे एकत्रण, मीटर अध्ययन, बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. ऊर्जा ऑडिट, नए कनैक्शन, कनैक्शन काटना, ग्राहक देख–रेख सेवाएं, वेब आधारित सेवाएं इत्यादि। भाग (ख) में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऊर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र कस्बों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त, 2010 में ₹ 96.40 करोड़ की राशि मंजूर की है। आर. ए.पी.डी.आर.पी. भाग (क) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत ₹128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.) को इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है।

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. (क) के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बे अर्थात् शिमला, सोलन, नाहन, पौंटा, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये और इसकी सहायता से मीटर आंकडे एकत्रण प्रणाली, ऊर्जा ऑडिट, आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली, बिज़नैस इंटैलिजेंस एवं डाटा वेयर हाऊसिंग युक्त मैनेजमेंट

सूचना प्रणाली, इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

सलाहकार/कार्यान्वयन संस्था का चयन

मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड़, नई दिल्ली को मै0 वयाम टैकनोलोजी इंड़िया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आई. टी. सलाहकार के रुप में 31 जुलाई,2009 ₹39,70,800 की लागत से चयन किया गया। आई.टी. सलाहकार का उद्देश्य संभावना विवरण बनाने, बोली दस्तावेज/बोली प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड की सहायता करना है।

मै0 एच.सी.एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रुप में 30.08.2010 को कुल लागत ₹99.14 करोड़ के साथ आंवटन किया गया था जिसे बाद में ₹ 99.13 करोड़ पर संशोधित किया है।

नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणीः

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है।
- डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में चालू हो गया है।
- हि.प्र. रा.वि.प.लि. ने जुलाई, 2014 में 14 कस्बों को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष लाइव घोषित कर दिया है।
- डाटा सैंटर का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (UAT) पूर्ण कर लिया है।
- TPIEA आई. टी. ने डाटा सैंटर और डिजास्टर रिकवरी सैंटर, उपमंडल कार्यालयों तथा 14 कस्बों के दूसरे कार्यालयों का प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया है और इनकी अन्तिम रिपोर्ट आपेक्षित है जिसकी शीघ्र ही पूर्ण होने की सम्भावना है।

कार्यक्रम से अपेक्षित लाभः

आर–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (क) योजना का मुख्य उद्देश्य घाटे को नियंत्रित करना है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, ऊर्जा ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

भाग–ख

हिमाचल प्रदेश में 14 कस्बों बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, मण्डी, नाहन, पॉवटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह कस्बे आर–ए.पी.डी.आर.पी. (भाग–ख) के अधीन रखे गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों /ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच.वी.डी.एस. (11के.वी.), एरियल बन्चड कन्डकटोरिंग विद्युत चुम्वकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के.वी. या 66 के.वी. प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

शुरू में आर–ए.पी.डी.आर.पी. (भाग–ख) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश

के सभी 14 कस्बों के लिए ₹322.18 करोड़ (भारत सरकार से ₹289.97 करोड़) मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन /ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के.वी. उप केन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के.वी. लाईनों के मार्गाधिकार की समस्या के चलते बद्दी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया। शिमला और बद्दी कस्बों की संशोधित आर–ए.पी.डी.आर.पी. (भाग–ख) की डी.पी.आर. के लिए मै0 पॉवर फाईनैंस कार्पोरेशन ने क्रमशः ₹120.34 करोड़ और ₹84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02.2012 को स्वीकृत कर दी थी और योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि ₹322.18 करोड़ (ऋण की राशि ₹289.97 करोड़) को ₹338.97 करोड़ (ऋण की राशि ₹305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया।

शुरू में मै0 पी.एफ.सी. द्वारा इन 14 कस्बों के लिए ₹101.68 करोड़ की पहली किस्त अग्रिम राशि के रूप में जारी की है।

कस्बावार आर–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (ब) की योजनाओं की स्वीकृति स्थिति निम्न प्रकार से हैः

सारणी 13.4

क0 स0	कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र	लोन (₹करोड़ में)	कांउटर पार्ट लोन(₹करोड़ में)	परियोजना की कुल लागत ₹करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
1	बद्दी	75.69	8.41	84.10	दिसम्बर, 2016
2	बिलासपुर	1.87	0.21	2.08	दिसम्बर, 2016
3	चम्बा	2.64	0.29	2.93	कार्य पूर्ण
4	धर्मशाला	9.28	1.03	10.31	दिसम्बर, 2016
5	हमीरपुर	5.81	0.65	6.46	लगभग कार्य पूर्ण
6	कुल्लू	6.66	0.74	7.40	कार्य पूर्ण
7	मण्डी	17.32	1.92	19.24	दिसम्बर, 2016
8	नाहन	5.46	0.61	6.07	कार्य पूर्ण
9	पॉवटा सहिब	32.97	3.66	36.63	दिसम्बर, 2016
10	शिमला	108.30	12.04	120.34	दिसम्बर, 2016
11	सोलन	20.32	2.26	22.58	दिसम्बर, 2016
12	सुन्दरनगर	5.90	0.65	6.55	दिसम्बर, 2016
13	ऊना	6.58	0.73	7.31	कार्य पूर्ण
14	योल	6.27	0.70	6.97	दिसम्बर, 2016
	कुल	**305.07**	**33.90**	**338.97**	

इस योजना में उन शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है जहां पर सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT & C loss) को 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाता है। इस उद्देश्य हेतु अधिकतम राशि आर.–ए.पी.डी.

आर.पी. (भाग–ख) परियोजना के 2 प्रतिशत के बराबर आबंटित किया गया है। 14 कस्बों के लिए ₹9.76 करोड की प्रोत्साहन योजना भी आर.–ए.पी.डी.आर.पी. (भाग–ख) के अंर्तगत मै0 पी.एफ.सी.लि. द्वारा संचालन समिति की 24वीं बैठक में स्वीकृत की गई है।

समकक्ष वित्तपोषण के लिए (कुल परियोजना का 10 प्रतिशत) ₹33.90 करोड़ की प्रस्तावित राशि बोर्ड निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थी तदनुसार इसे मै0 पी.एफ.सी.लि. द्धारा दिनांक 22.06.2012 को स्वीकृत किया गया। दिंनाक 19.12.2013 को मै0 पी.एफ.सी. लि. व हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के बीच विद्युत भवन शिमला में समकक्ष वित्तपोषण के लिए इकरार ज्ञापन और गिरवीनामा हस्ताक्षरित किये गये।

सिविल कार्य और अन्य घटक के वित्तपोषण के लिए जो कि आर.ए.पी.डी.आर. पी. (भाग–ख) के कार्यान्वयन के जरूरी है की प्रस्तावित प्रांरभिक राशि ₹65.53 करोड़ (ऋण सहायता ₹59 करोड़) जो कि बाद में 49.29 करोड़ की ऋण सहायता के लिए गिरवी के लिए परिसंपत्ति की अनुपलब्धता के कारण संशोधित की गई और हाल ही में दिनांक 22.9.2015 को मै0 पी.एफ.सी. द्धारा स्वीकृत की गई है। 28.9.2015 को आर.ए. पी.डी.आर.पी. (भाग–ख) के तहत सिविल कार्यों व अन्य घटको के लिए मै0 पी.एफ. सी.लि. और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के बीच में ऋण दस्तावेज हस्ताक्षरित किये गये हैं और 30.9.2015 को ₹18.40 करोड़ की धनराशि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई है। पांच कस्बों का कार्य जैसे कि चम्बा, नाहन, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर (कुछ मामूली कार्यों को छोड़कर) लगभग पूरा हो गया है। अब तक भारत सरकार के ऋण और समकक्ष ऋण घटको के रूप में मै0 पी.एफ.सी. लि. द्वारा ₹122.96 करोड़ (भारत सरकार के ऋण के रूप में) व ₹27.67 करोड़ समकक्ष ऋण के रूप में जारी किये गये हैं। अभी तक मै0 पी.एफ.सी. लि. द्वारा भारत सरकार के ऋण और समकक्ष ऋण घटकों के रूप में कुल ₹150.63 करोड़ जारी किये है। दिनांक 30.11.2015 तक 14 कस्बों में कुल ₹199.00 करोड़ खर्च किये गये है।

9 कस्बों बद्दी, बिलासपुर, धर्मशाला, मण्डी, पांवटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर और योल में कार्य प्रगति पर हैं तथा दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण होने सम्भावित हैं।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई. पी.डी.एस.):–

शहरी घरों के विद्युतीकरण के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3.12.2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना शुरू की गई। आई.पी.डी.एस. परियोजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

क) ये परियोजनाएं सरकारी भवनो पर सौर पैनलो, व मीटरिंग के प्रावधानों सहित शहरी क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेगी।

ख) ये परियोजनाएं शहरी क्षेत्रो के उपभोक्ताओ, फीडरों/ वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग भी करेगी।

ग) यह परियोजना, आर.ए.पी.डी.आर.पी. के प्रावधानों को, जिन्हे 12 वीं और 13वीं

योजना के लिए आर.ए.पी.डी.आर.पी. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 21.6.2013 को सी.सी.ई.ए. की मंजूरी के अनुसार, पूरा करने व आर.ए.पी.डी.आर.पी. को आई. पी.डी.एस. के साथ आगे ले जाते हुए, वितरण क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी।

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के 12 वृतों (54 शहरी कस्बों 2011 की जनगणना के अनुसार) को एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत रखा गया है। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति से अनुमोदन के लिए 12 वृतों की ₹115.43 करोड़ की डी. पी.आर. मै0 पी.एफ.सी. को प्रस्तुत की गई है। केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति ने ₹110.60 करोड़ और ₹0.55 करोड़ (परियोजना लागत का 0.05 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश के 12 सर्कलो की डी. पी. आर. व परियोजनाप्रंबधक एजेंसी के लिए सैद्वान्तिक मंजूरी दे दी है। परियोजना प्रवंधक एजेंसी के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड ने मै0 वैपकोस लिमिटेड को 9.09.2015 को आई0 पी0 डी0 एस0 परियोजना का कार्य अवार्ड किया है। दिसम्बर, 2015 में त्रिपक्षीय समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड और मै0 पी0एफ0सी0 लि0 के बीच हस्ताक्षरित किया गया।

सर्कल बार सिद्वान्तिक अनुमोदित लागत सारणी–ख में नीचे दी गये है:–

सारणी 13.5

क्र0 स0	वृत का नाम	कस्बों की संख्या	कवर किये गये कस्बों का नाम	मूल्य निरूपित लागत(₹करोड़ में)
1	बिलासपुर	5	बिलासपुर, सुन्दरनगर, धुमारवीं और तलाई, श्री नैना देवी	8.83
2	डलहौजी	5	चंबा, डलहौजी, चुवाड़ी खास, नुरपुर और बकलोह	3.63
3	हमीरपुर	5	हमीरपुर, भोटा, नादौन, टिहरा सुजानपुर और ज्वालामुखी	3.96
4	कांगडा	6	कांगडा, धर्मशाला, योल, देहरा गोपीपुर, पालमपुर और नगरोटा बगवां	14.27
5	कुल्लू	4	कुल्लू, मनाली, बन्जार और भुन्तर	14.09
6	मण्डी	4	मण्डी, जोगिन्द्रनगर, रिवालसर और सरकाघाट	4.89
7	नाहन	3	नाहन, पांवटा–साहिब और राजगढ	3.00
8	रामपुर	2	रामपुर और नारकंडा	10.81
9	रोहडू	4	रोहडू, चौपाल जुब्बल और कोटखाई	13.21
10	शिमला	3	शिमला, ठियोग और सुन्नी	7.56
11	सोलन	8	सोलन, बद्दी, अर्की, स्पाटू, परमाणू, कसौली, डगसाई और नालागढ	14.22
12	ऊना	5	ऊना, मैहतपुर, गगरेट, संतोखगढ़ और	12.13
कुल		**54**		**110.60**

13.6 आई.टी.पहलः

i) जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित परिसम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडैक्सिग एवं एच. पी. एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच.पी.एस.ई.बी. एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना, जी.आई.एस. पैकैज कहा जाता है।

- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ में पूरे बोर्ड का जी. आई. एस./जी.पी. एस. आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी.एस.ई.बी.एल. के पूर्ण सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बोर्ड के नवीनतम बैंलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण खण्डों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई सम्पति पंजिका को तैयार किया जाएगा।
- परियोजना के भाग–। को पहले ही दिसम्बर, 2011 के अन्त में पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के भाग–।। के अन्तर्गत तीनों फर्मों ने फील्ड सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है। फर्मों द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिर्पोट एच.पी.एस.ई.बी. एल. बोर्ड के सम्बंधित कार्यालयों में स्वीकृति के लिए भेज दी है।

(ii) कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज)

नवीनतम स्थितिः–

कम्पयूटरीकृत बिलिंग और ऊर्जा लेखा पैकेज (आई.टी. पैकेज), त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी. आर.पी.) के तहत विद्युत मन्त्रालय (एम.ओ. पी.) द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत परिचालन उपमण्ड़लों की गतिविधियॉ जैसे कि पूर्व बिलिंग क्रियाएं, बिलिंग क्रियाएं, डाक बिलिंग क्रियाएं, कानूनी एवं सर्तकता गतिविधियां उपमण्ड़ल स्तर पर स्टोर प्रबन्धन, ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन, विद्युत नैटवर्क प्रबन्धन और ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा और प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) को कम्पयूटरीकृत करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को कुल लागत ₹3,057.88 लाख का आंवटन किया गया है। परियोजना 27 मण्ड़लों के 128 उपमण्ड़लों और 12 वृतों जिनमें 12 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, में लागू किया गया है।

(iii) 61 विद्युत उपमंडलों में एस.ए. पी. आधारित कम्पयूटरीकृत बिलिंगः–

विभिन्न विद्युत उप–मण्डलों में कम्पयूटरईज बिलिंग के कार्यान्वयन के दौरान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड प्रबन्धन द्वारा बिलिंग के लिए मानक मंच में जाने का निर्णय लिया है। ई. आर.पी. परियोजना के अन्तर्गत् हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा SAP के विभिन्न मौडयूल्ज़ का कार्यान्वयन किए जा रहे हैं। अतः विभिन्न प्लेटफार्मो की हैंडलिंग से बचने के लिए बचे हुए 61 विद्युत उप–मण्डलों में कम्पयूटरईज बिलिंग को SAP प्लेटफार्म के आधार पर स्वीकृत की है। SAP बिलिंग को 61 नए विद्युत

उप–मण्डलों में कार्यान्वयन के लिए यह कार्य मै0 टी. सी. एस. लि. को जुलाई, 2015 में ₹16.47 करोड़ में आबार्ड किया गया है।

आवार्ड के अनुसार यह कार्य 15 महीने में करना होगा और कम्पनी ने प्रणाली की आवश्यकता, आंकडे जुटाने का अध्ययन करने इत्यादि को अन्तिम रुप देने के लिए अपनी टीम को तैनात किया है। इसमें 350 उपभोक्ताओं जिनका कनैक्टड लोड 100 किलोवॉट से ऊपर है का ए.एम. आर. (स्वाचालित मीटर रीड़िंग) के लिए प्रावधान है।

(iv) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर. पी.) का हि. प्र. रा. वि. प. लि. में कार्यान्वयनः–

ई.आर.पी. परियोजना के तहत हि.प्र.रा. वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यों को पूरी तरह से स्वचलित किया जाएगाः–

क) वित्तीय प्रबन्धन और लेखा।
ख) मानव संसाधन प्रबन्धन पेरोल सहित
ग) परियोजना प्रबन्धन
घ) सामग्री प्रबन्धन
ड़) रख–रखाव प्रबन्धन
च) उपलब्धता के आधार पर टैरिफ एम.आई.एस. उद्देश्य के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए डैश बोर्ड भी उपलब्ध होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग ₹24.00 करोड़ है। इस कार्य को मै0 टी.सी.एस. को अवार्ड किया गया है। अभी तक हि0प्र0रा0 वि.प.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों में ई.आर.पी. के अन्तर्गत SAP को चालू किया गया है।

- मुख्यालय विद्युत भवन, शिमला
- परिचालन वृत शिमला (विद्युत मण्डल–I,II व शहरी विद्युत मण्डल) सोलन, नाहन, रोहडू तथा रामपुर।
- परियोजना हि.प्र. रा.वि.प.लि. की सभी इकाइयों में चरणबद्व तरीके से कार्यान्वयन की जा रही है तथा दक्षिण क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण कर लिया है और ट्रांसमिशन विंग को मार्च, 2016 SAP, ई.आर.पी. प्रणाली से चालू कर दिया जायेगा।

(v) हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना का कार्यान्वयन :–

स्मार्ट ग्रिड परियोजना उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढ़ांचा प्रणाली AMI पीक लोड प्रबन्धन प्रणाली (PLM) और आऊटेज प्रबन्धन प्रणाली(ओ.एम.एस.) स्थापित करेगा। परियेाजना के अन्तर्गत आपूर्ति के साथ साथ सम्पूर्ण AMI की स्थापना, परीक्षण और चालू करना, ओएमएस और पीएलएम जिसमें स्मार्ट मीटर भी शामिल, वितरण ट्रासंफार्मर निगरानी ईकाई डी.टी.एम.यू., रिमोट टर्मिनल इकाइयों,एम.डी.ए.एस., एम. डी.एम., पी.एल.एम., ओ.एम.एस., एस.सी.ए. डी.ए. प्रणाली, संचार प्रणाली, नियन्त्रण केन्द्र के लिए हार्डवेयर और सॉफटवेयर, रिले की प्रतिस्थापना आदि सहित नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना। सी.आई.एस. मैपिंग और आई.वी.आर. प्रणाली जो पहले से ही ओ. एम.एस. और ए.एम.आई प्रणाली ई.आर.पी. (SAP) जोकि कार्यन्वयन के अधीन है के साथ एकीकरण किया जाएगा। स्मार्ट ग्रिड के कार्यन्वयन से पीक फाल्ट में कमी, आऊटेज में कमी, उपभोक्ता के प्रति वचनबद्धता और सन्तुष्टि में सुधार से प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार होगा और उन्नत मीटरिंग ईम्पिलिटेशन अधोसंरचना (AMI), मांग पक्ष प्रबन्धन (DSM) और

जी.आई.एस. अधारित आउटेज प्रबन्धन पद्वति के कार्यान्वित से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिमिटिड के समग्र वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, काला अम्ब में स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजना के कार्यान्वयन कर रहा है। विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत मन्त्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार मै0 पी.जी.सी.आई.एल. को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड का इस परियोजना के लिए Advisor cum consultancy services provider नियुक्त किया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य M/s Alstom T&D India Pvt. Ltd. और M/s Genus Power Infrastructure Ltd. को फरवरी, 2015 में ₹24.99 करोड़ में आवार्ड कर दिया गया है तथा आवार्ड के अनुसार यह कार्य 18 महीने में पूर्ण करना होगा।

वर्तमान स्थितिः–

- कम्पनी द्वारा पांवटा साहिब में कार्यालय खोल दिया गया है।
- परियोजना को पूर्ण करने के कार्यक्रम को स्वीकृत एवं अन्तिम रुप दे दिया गया है।
- कंट्रोल रुम की लेआऊट को अन्तिम रुप दे दिया गया है।
- 258 स्मार्ट मीटर पहले ही स्थापित किए जा चुके है और मीटर डाटा, बिलिंग डाटा, टैंपर अलर्ट और अलार्म इत्यादि देना शुरु कर दिया है। स्मार्ट मीटर के सभी लक्षणों को रिमोट से आप्रेट किया जा सकता है।
- थ्री फेज़ आप्रेटिड मीटरज़, CT/PT आप्रेटिड मीटर, CT आप्रेटिड मीटर योग्य CT के साथ और फीडर मीटर का निरिक्षण दिनांक 4.11.2015 से 6.11.2015 में कर दिया गया है। इन 1,104 मीटर की आपूर्ति कर दी गई है तथा जल्दी ही स्थापित कर दिए जाऐंगें।
- DMTU, FPI, ऑटो रिक्लोज़र विस्तृत इन्जनीयरिंग और कार्यस्थल सर्वे प्रगति पर है। कन्ट्रोल सैंटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर DRS की आपूर्ति अन्तिम चरण में है।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड में नई आई0टी0 पहलः–

अ)आर.–ए.पी.डी.आर.पी.अगला चरण

ऊर्जा मंत्रालय आर.–ए.पी.डी.आर.पी. कार्यक्रम का एकीकृत विद्युत विकास योजना के अन्तर्गत अगले चरण हेतु विस्तार पर विचार कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र कस्बों हेतु आवश्यक मूल्यांकन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि के अनुसार कार्यन्वित किये जांएगे ।

13.7 विभाग की भविष्य योजनाएं

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व

संवर्धन, संचार व वितरण हानियों को कम करना।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटिड के अधीन

- **उहल चरण –III हाईड्रो विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)**

परियोजना के नेरी खड्ड इनटेक, राणा खड्ड इनटेक, सर्ज शाफ्ट तथा भण्डारण जलाशय के निर्माण कार्य पूरे कर लिये गए हैं। पैनस्टाक तथा पावर हाऊस के कार्य सिविल कार्यो सहित (कुछ छुट–पुट कार्यो को छोड़ कर) भी पूर्ण कर लिए गए है।

परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले है जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू–संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक ढ़ंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुंरग की संविंदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त शेष कार्य ठेकेदार को दिनांक 15.10.2010 को अवार्ड किया गया। मुख्य सुंरग की खुदाई का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है तथा कंकरीट लाईनिंग का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज का सम्पूर्ण कार्य जुलाई, 2016 तक पूरा होना प्रस्तावित है। ईलैक्ट्रो–मैकेनिकल के सामान की सप्लाई का कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा 97 प्रतिशत ईरैक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत दिसम्बर, 2012 के मुल्यों पर आधारित ₹1,281.52 करोड़ आंकी गई है। चुलाह से बस्सी 132KV Single Circuit (15.288KM) चुलाह से हमीरपुर Double Circuit (34.307 KM) ट्रांसमिशन लाईन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अक्तूबर, 2015 तक परियोजना के विभिन्न कार्यो पर ₹1,190.63 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना के अक्तूबर, 2016 तक चालू होने की सम्भावना है।

- **नई परियोजनाएं:**

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को साईं कोठी–1 (15 मै0वा0), साई कोठी–2 (16.5 मै0वा0), देवी कोठी (16 मै0वा0), हेल (18 मै0वा0) और रायसन (18 मै0वा0) कार्यन्वयन हेतु आंबटित की गई हैं जिनकी निर्माण पूर्व गतिविधियों के कार्य प्रगति पर हैं।

हि. प्र. पा. का. लि. के अधीन परियोजनाएं :

सारणी 13.6

13.8

हि. प्र. पा.का.लि. के अधीन परियोजनाएंः–

क्र0स0	परियोजना का नाम	क्षमता (मै0वा0)
क)	**निष्पादित परियोजनाएं (राज्य भाग)**	
1.	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	111
2.	कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण–I)	65
3	कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण–II & III)	130
4.	सैंज जल विद्युत परियोजना	100
5.	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	450
	योग(क)	**856**
ख)	**अन्वेक्षित परियोजनाएं (राज्य भाग)**	
1.	चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना	60
2.	एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण– IV)	48
3.	जिस्पा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की)	300
4.	सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना	48
5.	नकथान जल विद्युत परियोजना	460
6.	थाना पलोन जल विद्युत परियोजना	191
7.	त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना	78
8.	रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय महत्व की)	40
9.	दियोथल चान्जू जल विद्युत परियोजना	30
10.	चान्जू –III जल विद्युत परियोजना	48
11.	धमवारी सून्डा जल विद्युत परियोजना	70
	योग(ख)	**1,373**
ग)	**प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं**	
1.	छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना	26
2.	सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना	117
3.	लुजाई जल विद्युत परियोजना	45
4.	सायचू जल विद्युत परियोजना	58
5.	खाब जल विद्युत परियोजना	636
	योग(ग)	**882**
	कुल योग (क+ख+ग)	**3,111**

हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/ निष्पादनाधीन परियोजनाएंः

1. साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना (111 मै0वा0)

- साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना (111 मै0वा0) रोहडू के समीप शिमला जिला में पब्बर नदी पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के एच.आर.टी.

पैकेज को छोड़ कर वित्त पोषण एशियन डेवलपमैंट बैंक द्वारा किया गया है। एच.आर.टी. पैकेज का वित पोषण पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से 385.78 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी।

- इस परियोजना के एच.आर.टी. में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है। एच.आर.टी. पैकेज के पुनः टैंडर की प्रकिया आरम्भ की जा चुकी है और यह कार्य मै0 एच.सी.सी.लि. 25.11.2014 को सौंप दिया गया है। इस परियोजना को दिसम्बर, 2017 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना कशांग और कैरांग नालों (जोकि सतलुज नदी की उपनदियां) हैं पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाया जा रहा हैः–

- **चरण–I(65 मै0वा0):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पुवारी गांव में भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख मिलियन यूनिट ₹2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण–II एवं III (130 मै0वा0):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख मिलियन यूनिट 1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा।
- **चरण– IV(48 मै0वा0):** यह योजना मूलतः स्वतंत्र योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 ऊंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना की प्रथम इकाई को मार्च, 2016 और दूसरी इकाई को मई, 2016 में चालू कर दिया जाएगा।

3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मै0वा0)

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जोकि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में

प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिट ₹3.74 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना की प्रथम इकाई जून, 2016 और दूसरी इकाई जुलाई, 2016 में चालू कर दिया जएगा।

4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मै0वा0)

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 129 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1,579 लाख यूनिट ₹3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही हैं। इस परियोजना का सिविल और जल–यांत्रिक पैकेज अगस्त, 2017 और ई.एण्ड.एम पैकेज को जनवरी, 2020 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

ई.पी.सी प्रणाली पर सिविल और एच0एम0 निर्माण हेतु कार्य पटेल इजींनियरिंग को प्रदान किया गया है। एच.आर.टी. के एडिट इजींनियरिंग द्वारा पहला विस्फोट दिनांक 27.12.2013 को कर दिया था। ई0 एंड एम0 कार्यों के लिए एल.ओ.ए. एंड्रिज हाईड्रो प्राइवेट लि. को दिनांक 4.03.2015 को प्रदान किया गया है। सभी स्तरों पर परियोजना का काम पूरे जोरों पर है।

5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40 मै0वा0):

रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर ऊंची चट्टान से पानी गिराकर छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर मीटर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युमिक्स मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 मिलियन यूनिट ₹2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। परियोजना की संशोधित लागत मार्च, 2015 के मूल्य स्तर पर ₹5,242.89 करोड़ अनुमानित की है। परीक्षा हेतु केन्द्रीय जल आयोग की दिनांक 01.05. 2015 को प्रस्तुत की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ई. एण्ड एम. कार्यो (मार्च, 2015 के मूल्य स्तर पर) की लागत ₹108.71 करोड़ तथा ट्रांसमिशन कार्यो की लागत ₹11.74 करोड़ को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय द्वारा परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिनांक 23.10.2009 को प्रदान की गई है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण /नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में चुनौती दी गई है। परियोजना के वन कलींयरेन्स अनुमोदन के उन्नत चरण है। पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा धारा–2 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धांतिक मंजूरी रेणुकाजी बांध

परियोजना के निर्माण हेतु 909.00 हेक्टेयर वन भूमि (मूलतः 901.10 हेक्टेयर प्रस्तावित) का पथांतरण मै0 हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में प्रदान कर दी।

6. थाना पलोन परियोजना (191 मै0वा0)

थाना पलोन जल विद्युत परियोजना की परिकल्पना हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में ब्यास नदी पर 107 मीटर ऊंचे रोलर जमा कंकरीट गुरूत्वाकर्षण बांध के रूप में की गई है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 668.07 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन के संचालन हेतू संशोधित टी. ओ.आर. पर पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय की स्वीकृति दिनांक 05.06.2014 को प्राप्त हुई है। ई.आई.ए./ ई.एम.पी. अध्ययन आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून द्वारा किया जा रहा है। नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 हिमाचल प्रदेश सरकार ने परियोजना के निर्माण हेतू वन भूमि के पथातरण का प्रस्ताव ऑनलाइन रूप में दिनांक 07.12.2015 को स्वीकार कर लिया गया है।इंडो जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत के.एफ.डब्लयू., जर्मनी ने थाना पलोन जल विद्युत परियोजना के वित्तोषण के लिए सहमत हो गया है और 200 मिलियन यूरो का ऋण और ₹15.00 लाख यूरो का अनुदान की वित्तीय सहायता हेतु के.एफ.डब्लयू. के साथ करार अग्रिम चरण में है। टेन्को आर्थिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न सरकारी संस्थाओं से उन्नत चरण है।

7. सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना (48 मै0वा0)

इस परियोजना की परिकल्पना बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना का टेल पानी के उपयोग द्वारा की गई है ताकि 48 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सके। इस परियोजना को बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना के साथ मिलकर संचालित करने की योजना बनाई गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEAC) द्वारा टी ओ आर कर मंजूरी दिनांक 13.10.2011 को दी गई है। ई.आई.ए. एंव ई.एम.पी. का अध्ययन (ICFRE) देहरादून द्वारा किया जा रहा है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन (केद्रीय) भारत सरकर द्वारा 32.91 हैक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के लिए पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय की सैद्धांतिक मंजूरी दिनांक 15.07.2013 को प्रदान की गई है। टैक्नो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 20.10.2012 को प्रदान की है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 209.60 मिलियन यूनिट उर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। ए.डी.बी. से इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया है।

8. चान्जू–।।। जल विद्युत परियोजना (48 मै0वा0)

चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में चान्जू नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 176.19 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव

आकलन प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.आर. कर मंजूरी दिनांक 26.10.2013 को दी गई है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजना के सम्पादक हेतू कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अर्न्तगत मै0 वैपकोस को दिनांक 16.01.2014 को प्रदान कर दिया है। (AFD) फ्रैंच विकास एजैंसी द्वारा इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है। टैक्नो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 14.07.2015 को प्रदान कर दी गयी है।

9. दियोंथल चान्जू जल विद्युत परियोजना (30 मै0वा0)

दियोंथल चान्जू जल विद्युत परियोजना का विकास चम्बा जिला में रावी बेसिन में दियोंथल नाले पर किया जा रहा है जो कि बैरा नदी की एक सहायक नदी है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 101.35 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न करने की उम्मीद है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा टी.ओ.आर. कर मंजूरी दिनांक 26.10.2013 को दी गई है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन/ पर्यावरण प्रबंधन योजना के निष्पादन हेतु कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अर्न्तगत मै0 वैपकोस को दिनांक 16.01.2014 को प्रदान कर दिया है। AFD फ्रैंच विकास एजैंसी द्वारा इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया है। टैक्नो आर्थिक मंजूरी (टी.ई.सी.) ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 22.07.2015 को प्रदान कर दी गयी है।

10. बैरा डोल सौर परियोजना (5 मै0वा0)

जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मन्दिर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए (बेरा–डोल–5 मै0वा0) क्षेत्र का चयन किया गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 8.2 मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस परियोजना का औसत उत्पादन मूल्य ₹8.03 कि0वा0 यूनिट अनुमानित किया गया है। हि.प्र. रा.वि.प.लि. ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमन के अनुसार अक्षय उर्जा बिजली खरीद बाध्यता के तहत इस परियोजना से बिजली खरीदने के लिए सहमत हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत परियोजना के लिए 6.46 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण के प्रस्ताव का अनुमोदन पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटिड के पक्ष में दिनांक 21.08.2015 को किया है।इस परियोजना की डी.पी.आर. हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा बना ली गई है।

11. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :

हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन जल विद्युत विकास के अलावा ऊष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्त्रोत्र, राज्य के विकास और भारतीय राष्ट्र की बदली ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए अपनी विकास गतिविधियों में विविधता लाने का इरादा रखती है।

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

13.9 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड जो कि हि.प्र. सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

हि0 प्र0 सरकार के द्वारा कार्पोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से ऊपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैषी तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि. प्र. ऊर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण परियोजना ट्रांसमिशन जिला किन्नौर (सतलुज बेसिन) और (शिमला पव्वर वेसिन)के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी,2012 से प्रभावी हो गया है और निम्न संचार परियोजनाएं कियान्वित हुई हैं।

- किनौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2×315 एम.वी.ए. क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹310.00 करोड़ है, और अगस्त, 2017 में चालू हो जाएगी।

- किनौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टू का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹27.00 करोड़ है, और मई, 2016 में चालू हो जाएगी।

- 400/220/66 के0वी0 2×315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगति नगर, (कोटखाई) जिला शिमला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत

₹144.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।

- हाटकोटी से प्रगति नगर जिला शिमला में 220 के.वी. क्षमता की संचार लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹62.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 33/132 के.वी. 31.5 एम वी ए के क्षमता के विद्युत उपकेंद्र पंडोह का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹37.00 करोड़ है, और जनवरी, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 33/132 के.वी. 2X25/31.5 एम वी ए के क्षमता के विद्युत उपकेंद्र चंबी (शाहपुर) का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत ₹45.00 करोड़ है और अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

निम्न ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी कर दिया गया है और जिसके लिए निधि स्थानीय ऋण से वहन की जा रही है।

- जिला कुल्लू में 33/220 के. वी. तथा 2×315 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोजल का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के.वी. तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां का निर्माण कार्य जून, 2013 में पूर्ण हो गया है और संचार लाईन करियां–चमेरा का निर्माण प्रगति पर है।

एशियन विकास बैंक ऋण के ट्रांच–।। में 110 मिलियन डालर के ऋण का समझौता सितम्बर, 2014 में हस्ताक्षरित हो चुका है जिसके अन्तर्गत सात परियोजनाओं का कार्य जारी कर दिया गया है।

- 66 के.वी. विद्युत उप–केन्द्र उर्नी का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹28.00 करोड़ है, और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 400/220/33 के.वी. विद्युत उप–केन्द्र लाहल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹233.00 करोड़ है, और जून, 2018 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन छरोर से बनाला का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹47.00 करोड़ है और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन लाहल से बुधिल का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹5.00 करोड़ है, और जुलाई, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 132 के.वी. विद्युत उप–केन्द्र चंबी से कांगड़ा–देहरा लाईन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 18.00 करोड़ है, अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

- 66 के.वी. संचार लाईन उर्नी से वांगतु का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹14.00 करोड़ है, और जून, 2017 में चालू हो जाएगा।
- 220 के.वी. संचार लाईन सुंडा से हाटकोटी का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की तय लागत ₹56.00 करोड़ है, और अप्रैल, 2017 में चालू हो जाएगा।

हिमऊर्जा

हिमऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। ऊर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक ऊर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर कुक्कर सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मै0वा0 तक)के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2015–16 के दौरान उपलब्धियां (दिसम्बर, 2015) तक तथा मार्च, 2016 तक प्रत्याशित तथा वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न हैः

क) सौर उष्णता संबन्धी कार्यक्रम

i) **सौर जल तापीय संयत्रः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 4,200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र स्थापित किए गए हैं तथा मार्च,2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 10,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2016–17 के लिए 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

ii) **सौर कुक्करः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 127 वाक्स टाईप तथा 63 डिशटाईप सौर कुकर की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च,2016 तक प्रत्याशित 500 वाक्स टाईप तथा 250 डिश टाईप सौर कुकर होंगें। वर्ष 2016–17 के लिए 500 वाक्स टाईप तथा 50 डिश टाईप सौर कुकर का लक्ष्य भारत सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

ख) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

i) **सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियांः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 9,766 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां सामूहिक प्रयोग के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीरकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम तथा अन्य के अन्तर्गत् स्थापित की जा चुकी हैं, मार्च,

2016 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 10,000 होगी। वर्ष 2016–17 के लिए 10,000 सौर प्रकाशवॉल्टिय गली रोशनियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 600 के.डब्लयू.पी. के सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित किए जा चुके हैं। मार्च 2016 तक 1,000 के.डब्लयू.पी. सौर प्रकाशवोल्टिय पावर प्लांट की स्थापना प्रस्थापित है। वर्ष 2016–17 के लिए 1,000 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि भारत सरकार के जन–जातीय योजना के अन्तर्गत् प्रस्तावित है।

iii) **सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेनः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 1,000 सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन पूर्ण मूल्य पर वितरित किए जा चुके हैं तथा मार्च, 2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 1,000 होगी। वर्ष 2016–17 के लिए 2,000 सौर प्रकाशवोल्टिय लालटेन लक्ष्य रखा गया है।

iv) **सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियांः** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2016 तक 800 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत् वितरित किए जा चुकी हैं तथा मार्च,2016 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,000 होगी। वर्ष 2016–17 के लिए 2,000 सौर प्रकाशवोल्टिय घरेलू रोशनियां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग) निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएं

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 9 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 20 मै0वा0 है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 219 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 448.95 मै0वा0 है, निजी उद्यमियों को आबंटित की गई। 1 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 5 मैगावाट है स्थापित गई है तथा 6 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 22.50 मै0वा0 है की स्थापना के लिए तैयार है, परन्तु इन्टर कनैक्शन पवांइट उपलब्ध न होने के कारण इन्हें ग्रिड से नहीं जोड़ा जा सका। वर्ष 2016–17 के लिए 12 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 43.10 मैगावाट है, की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

आबंटित परियोजनाओं बारे आरम्भ से लेकर 31.12.2015 तक की स्थिति (5 मै0 वा0 क्षमता तक) विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

सारणी 13.7

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	**659**	**1604.31**
क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर	255	808.85
i) स्थापित	70	265.25
ii) निर्माणाधीन	41	145.39
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	144	398.21
ख) पूर्व कार्यान्वयन समझौते चरण पर	404	795.46
i) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	106	216.01
ii) सर्वेक्षण व अन्वेषण चरण में	298	579.45

घ) हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही जल विद्युत परियोजनाएं

हिमऊर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच(900 किलोवाट) तथा विलिंग (400किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक इन परियोजनाओं से 28,55,219 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाएं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमऊर्जा द्वारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम ऊर्जा को 3 परियोजनाओं जिनकी क्षमता 14.50 मै0वा0 है आंवटित की हैं। इन परियोजनाओं को राज्य सरकार की अनुमति अनुसार बी.ओ.टी. आधार पर आंवटित किया गया है। इन परियोजनाओं हेतु विभिन्न अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ङ बजट प्रावधानः

वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ₹270.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर.एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

14. परिवहन एवम् संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

14.1 सडकें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवयश्क घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 2015 तक 35,775 कि0मी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2015–16 के लिए इस हेतु ₹901.84 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2015–16 का लक्ष्य एवं दिसम्बर, 2015 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 14.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 14.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2015–16	उपलब्धियां दिसम्बर 2015 तक	2015–16 सम्भावित (31–3–2016) तक
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	425	228	430
जल निकास	कि0मी0	570	407	550
पक्की तथा विरालित सड़कें	कि0मी0	520	775	850
जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	40	13	30
पुल	संख्या	35	14	30
गांव जुड़े	संख्या	65	23	60

14.2 हिमाचल प्रदेश मे 31.12.2015 तक 10,099 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 14.2 में दिया जा रहा है:–

सारणी 14.2

सडकों से जुडे गांव	31 मार्च को संख्या			दिसम्बर, 2015 तक
	2013	2014	2015	
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	208	208	208	208
1000–1499	270	280	283	285
500–999	1238	1245	1252	1255
250–499	3374	3422	3449	3449
250 से कम	4827	4864	4884	4892
कुल	**9917**	**10019**	**10076**	**10099**

राष्ट्रोय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

14.3 हिमाचल प्रदेश में 2,002.69 कि0मी0 लम्बे राज्य उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोडज तथा बाई पास सम्मिलित हैं, इन सभी के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। दिसम्बर, 2015 तक ₹105.58 करोड़ खर्च किये गये।

रेलवे

14.4 प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

पथ परिवहन

14.5 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का

एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसीलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 2,748 बसों (दिसम्बर,2015 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। एच.आर.टी.सी. द्वारा प्रतिदिन 5.20 लाख किलोमीटर (लगभग) दूरी के साथ 2,289 रूटों पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

14.6 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो कार्ड व ग्रीन कार्ड का समायोजन** : यलो कार्ड व ग्रीन कार्ड का समायोजन नये ग्रीन कार्ड में कर दिया है। इस योजना के तहत नये ग्रीन कार्ड धारकों को किराये में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। इस कार्ड की वैधता दो वर्ष तक है। तथा कार्ड की कीमत ₹50 है। पुराने कार्ड धारकों को किराये में निर्धारित वैधता तक छूट का प्रावधान रखा गया है।

ii) **सिलवर कार्ड योजनाः** निगम द्वारा 22.9.2015 से सिलवर कार्ड योजना आरम्भ की गई है। इस कार्ड की कीमत ₹20 है व वैधता दो वर्ष है, यह कार्ड दूसरे राज्यों में भी निगम की बसों में 18 कि. मी. तक यात्रा करने पर मान्य है व किराये में इस कार्ड पर 30 प्रतिशत छूट दी जाती है।

iii) **महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** महिलाओं को रक्षा बन्धन तथा भैया दूज के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुस्लिम महिलाओं को ईद तथा वकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

iv) **महिलाओं को किराये में छुटः** निगम द्वारा साधारण बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छुट दी जा रही है।

v) **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः**— सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vi) **गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा केंसर, रीड की हडडी व किडनी ग्रस्त मरीजों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा जारी की गई पर्ची पर राज्य व राज्य के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vii) **शौर्य आवार्ड विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** शौर्य आवार्ड विजेताओं को हिमाचल

प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डिल्कस बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

viii) **नई बसों की खरीदः** लोगों को सुरक्षित तथा आरामदायक बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निगम के बेड़े में 500 नई बसें शामिल की गई हैं। इसके अतिरिक्त शहरी परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा 800 बसें जवाहरलाल नेहरु नेशनल अर्वन रिन्यूल मिशन के अन्तर्गत खरीदने तथा सम्बन्धित अधोसंरचना के विकास के लिए ₹289.00 करोड़ स्वीकृत किये हैं। 800 बसों में से निगम को 31.12.2015 तक 731 बसें प्राप्त हो चुकी हैं।

ix) **24X7 हैल्पलाईनः** निगम व निजी बसों के यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के सामाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा 9418000529 व 0177–2657326 शुरू की है।

x) **वाहन उपयुक्तता केंद्रों का संचालनः** अतिरिक्त आय अर्जित करने हेतु 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहन उपयुक्तता केंद्रों का संचालन किया गया है व भविष्य में इसे सभी क्षेत्रीय कार्यालय में संचालित किया जाएगा। इन केंद्रों से निगम को अक्तूबर, 2015 तक ₹1.38 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है।

xi) **ऑन लाईन बुकिंगः** निगम ने निजी ऑनलाईन बुकिंग एंजेन्सियों जैसे कि "travelyari.com. busindia.com redbus.in" व स्थानीय बुकिंग ऐजेन्टों द्वारा बसों की ऑनलाईन बुकिंग शुरू की है। इसके अतिरिक्त डाक विभाग के साथ 156 डाकघरों से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की बुकिंग हेतु अनुबन्ध किया गया है।

xii) **प्रतिबन्धित मार्गो पर टैक्सियांः**–शिमला शहर में लोगों की सुविधा हेतु 8 टवेरा टैक्सियां शहर के प्रतिबन्धित मार्गो पर निगम द्वारा चलाई जा रही है।

xiii) **इलैक्ट्रिक बसेंः**–निगम द्वारा प्रदेश में 25 पूर्णतः इलैक्ट्रिक बसें (Zero Emission) चलाई जायेगी। इन बसों की खरीद हेतु 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी व 25 प्रतिशत राशि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा खर्च की जाएगी। हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष का पहला ऐसा राज्य होगा जो सर्वप्रथम Zero Emission वाली बसें चलायेगा। निगम ने भारत सरकार से 90 प्रतिशत व 10 प्रतिशत के अनुपात में राशि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है।

xiv) **निःशुल्क Hot Spot (Wi-Fi) की सुविधा :** यात्रियों के मनोरंजन हेतु वोल्वो/ ऐसी बसों में Hot Spot (Wi-Fi) की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस डिवाइस में पर्याप्त संख्या मे फिल्में व गाने उपलब्ध

है, जिसे सभी यात्री अपने मोबाइल पर देख/ सुन सकते हैं। भविष्य में यह सुविधा निगम की सभी बसों में उपलब्ध करवाने का विचार है।

xv) **भोजन की सुविधा** : निगम द्वारा लोगों को पौष्टिक भोजन कम कीमत पर प्रदान करने के उद्देश्य से हमीरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, मण्डी, बिलासपुर व ऊना में "हिमअन्नपुर्णा" नामक ढाबे खोले गए है व भविष्य में और अधिक ढाबे खोले जायेंगे।

परिवहन विभाग

14.7 हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई व वाहन जल सेवाऐं नाम मात्र है। इसलिये राज्य अधिकतर सड़क सेवाओं पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग का कार्य विभिन्न नियमों/अधिनियमों को कियान्वित करना है इसमें मुख्य रूप से केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम है। दिनांक 31.3.2015 तक प्रदेश में कुल 10,77,404 गाड़ियां है जिनमें से 5,673 बसें, 34,796 टैक्सियॉ/ मैक्सी कैब, 9,236 आटोरिक्शा, 16,565 अन्य माल वाहन, 22,309 ट्रैक्टर (व्यवसायिक) और 1,64,773 मालवाहक वाहन है।

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान ₹5,023.00 लाख विभाग को वार्षिक योजना के अन्तर्गत् उपलब्ध करवाया गया जिसमें से ₹4,146.00 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को बस अडडे के निर्माण हेतु दिनांक 31.12.2015 तक पूंजीगत व्यय के रुप में जारी किए जा चुके हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 30.11.2015 तक कुल 24,519 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹384.00 लाख की राशि वसूल की गई।

परिवहन नीतिः

14.8 वर्ष 2015–16 के अंतर्गत विभाग की महत्वूपर्ण उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्रमुख नीतिगत कार्ययोजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

i) **सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप**
प्रदेश में उपभोक्ताओं को लाईसैन्स, परमिट और अन्य सुविधाऐं सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के द्वारा प्रदान की जा रही है। विभाग की योजना है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड आधारित लाईसेन्स और पंजीकरण प्रमाण पत्र सुविधाजनक निगरानी हेतु नवीनतम रूप में जारी किये जाऐं। विभाग की यह भी योजना है कि व्यवसायिक वाहनों के टैक्स को ऑनलाईन जमा किया जाए। साथ ही विभाग के अंर्तगत आने वाले सभी बैरीयरों को आधुनिकीकृत करके उनको राज्य मुख्यालयों के साथ समयबद्ध निगरानी और नवीनतम जानकारी हेतु जोड़े जाने की योजना है।

वर्तमान में पोर्टल प्रणाली में सरकार से नागरिक, सरकार से

व्यापार तथा सरकार से सरकार, को जोड़ते हुए एक ऐसा केन्द्रित डेटाबेस तैयार किया गया है जिसके माध्यम से एक ही स्थान पर व्यापक सूचना तुरन्त उपलब्ध हो । वैब पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शुल्क/ वाहन कर की अदायगी तथा वास्तविक समय में अद्यतन सूचना का आदान प्रदान उपलब्ध है।

विभाग द्वारा गाडियों और ड्राईविंग लाईसैन्स के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और पंजीकरण एवम अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्य/राष्ट्रीय पंजिकाए बनाई गई है जो कि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए धूरी/केन्द्र का कार्य करेगी जिससे उपभोक्ता किसी भी समय व कहीं भी सुविधा का उपयोग कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश में ई–पेमेंट सुविधा परिवहन सॉफटवेयर के साथ आरम्भ की गई है जिसमें नागरिकों को बिना किसी रूकावट के सुविधा प्रदान की जा सके। लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा गाडियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के शुल्क/कर व लाईसैंस की अदायगी में सुविधा प्रदान की गई है। इसके साथ विभाग की स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें कागजों को खराब होने से बचाया जा सके। ताकि स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण पुस्तिका के माध्यम से वाहनों के बारे में अनिवार्य जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

ii) **निरीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र**

वर्तमान में वाहनों के निरीक्षण / प्रमाणिकता को पांरपरिक तरीके द्वारा किया जाता है। बैज्ञानिक निर्धारिण एवं तथ्यों के मध्यनजर वाहनों को प्राद्यौगिकी के हस्तक्षेप के तहत निरीक्षण एवं प्रमाणिकता केंन्द्र को प्रदेश में नालागढ क्षेत्र में मोर्ठ (MORTH) के सौजन्य से शीध्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, उपरोक्त केन्द्र के सफल होने पर और स्थान पर भी इस तरह के केन्द्र खोले जायेंगे।

iii) **परिवहन नगर का सृजन**

वर्तमान में अधिकतर कार्यशालाऐं सडकों के किनारे पर स्थापित है, जहां पर भारी संख्या में वाहनों को ठीक करने का कार्य किया जाता है, जो कि न केवल सड़क के किनारे भीड़ पैदा करती है बल्कि जनता के रोष व दुर्घटना का कारण भी बनती है। विभाग की योजना के अनुसार इन कार्यशालाओं को सड़क से दूर ऐसी जगह जहां पर बहुसुविधा पार्किंग, बैठने व खाने का स्थान, शौचालय, मनोरंजन केन्द्र और अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन नगर का सृजन करना है।

iv) **पर्यावरणीय सुरक्षा**

प्रदेश में वाहन ही पर्यावण प्रदूषण फैलाने का मुख्य स्त्रोत है। प्रदूषणयुक्त वाहनों को धीरे–धीरे

एक प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत पहचान कर उनके स्थान पर उचित तकनीक वाले बिना प्रदूषण युक्त वाहन भारत स्टेज–IV&V को लाकर हटाया जाना है। विभाग द्वारा प्रदूषित गाड़ियों के निरीक्षण हेतु वशिष्ठ, मनाली में प्रदूषण चेक केन्द्र स्थापित किया गया है।

v) **जल परिवहन**

विभाग द्वारा जल परिवहन के क्षेत्र में प्रगति लाने हेतु गोबिन्द सागर झील (बिलासपुर) चमेरा डेम (चम्बा) कोल डेम (शिमला, बिलासपुर व मण्डी) जलाशयों में यात्री परिवहन व माल ढुलाई हेतु कार्य किया जा रहा है। इस हेतु भारत सरकार ने E-Meritime Consultancy Pvt. Ltd., Mumbai की परियोजना की संभावयता रिपोर्ट बनाने हेतु कार्य दिया गया है जो कि छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

vi) **चालक प्रशिक्षण संस्थान व प्रदूषण निरीक्षण केन्द्रः** वर्तमान में राज्य में 11 सरकारी, 14 हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम तथा 185 निजी चालक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 सरकारी और 66 निजी प्रदूषण निरीक्षण केन्द्र कार्य कर रहें है।

15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

15.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को राज्य की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है तथा यह विकास का मुख्य आधार तंत्र है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7.2 फीसदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ वातावरण, बर्फ से ढके पहाड़, कल–कल बहती नदियॉ, ऐतिहासिक स्मारक व स्नेहिल लोग इत्यादि पर्यटन में सहायक संसाधन राज्य में मौजूद हैं।

15.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा सरकार पर्यटन अधोसरंचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत् है तथा जिसमें जन उपयोगी सेवाएं सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य में 67,097 बिस्तरों की क्षमता के 2,416 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के अन्तर्गत 1,838 कमरों वाली लगभग 662 इकाईयां भी पंजीकृत है।

15.3 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने प्रथम चरण व तृतीय चरण के अर्न्तगत 95.16 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। चरण–1 के अर्न्तगत 33.00 मिलियन अमेरिकन डालर, 20 उप–योजनाओं के लिये स्वीकृत किए गये हैं। चरण–1 का कार्य जून, 2017 तक पूर्ण किया जाना है। सभी 20 उप–परियोजनाओं को आबंटित कर दिया गया है जिनमें से सात उप योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अन्य कार्य प्रगति पर है। चरण–3 के संदर्भ में, कुल 15 उप–परियोजनाएं के सिवल कार्य, जिनके लिए कुल 62.16 मिलियन अमेरिकी डालर स्वीकृत हुए हैं तथा इन कार्यों में से 4 उप कार्य आबंटित हो चुके हैं व अन्य परियोजनाएं प्राप्ति स्तर (Procurement Stage) पर हैं। चरण–3 का कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) निधिबद्व परियोजना के अन्तगर्त गांवों में सामूहिक पर्यटन गतिविधियों जैसे कि कौशल विकास तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य भी चार विभिन्न स्थानों धमेटा, प्रागपुर (कांगड़ा), नैनादेवी जी तथा शिमला में किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2015 तक, सामुदायिक समितियां जैसे कि 5 पंचायत पर्यटन विकास समिति, 1 शहरी पर्यटन विकास समिति तथा 14 स्वंय सहायता समूह, जिसके सदस्य स्थानीय महिलाएं तथा पुरुष हैं, बनाई गई हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत पर्यटन कौशल सम्बन्धी 15 प्रशिक्षण तथा वर्कशॉप आदि भी आयोजित की जा चुकी है जिसमें पाक कला, नौका बिहार, जल संबधी क्रियाएं, ठोस अपशिष्ट प्रवधंन (Solid Waste Management) वाणिज्य तथा संचार (Communication) आदि शामिल हैं, और कुल 1,187 लोग (703 महिलाएं व 484 पुरुष) ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता, हमारी

सांस्कृतिक विरासत तथा धरोहर को संरक्षित करने हेतु चित्रकला तथा नारा लेखन, स्वच्छ गली प्रतिस्पर्धाएं आदि भी आयोजित की गईं। इस जागरुकता अभियान में 900 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। आशा है कि मार्च, 2016 तक 150 अतिरिक्त लोगों को पर्यटन संबंधी कौशल में प्रशिक्षित कर लिया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष में, राज्य में पर्यटन विकास हेतु राज्य बजट के अन्तर्गत ₹5,273.01 लाख आबंटित किए गए हैं।

राज्य में पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु विभाग ने 'स्वदेश दर्शन' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को ₹100.00 करोड़ की परियोजना मंजूरी हेतु भेजी है। इस परियोजना की निकट भविष्य में मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दिये जाने की संभावना है।

15.4 पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन संबंधी सुविधाओं को पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकसित करने हेतु निजि उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रहा है। निजि क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से निम्नलिखित रोपवे परियोजनाओं को सार्वजनिक व निजि सांझेदारी (PPP Mode) के तहत प्रस्तावित किया गया हैः–

1. **धर्मशाला–दलाईलामा मन्दिर–मकलोड़गंज (जिला कांगड़ा)**
   इस रोपवे परियोजना का रियायती समझौता 22.7.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा M/s TRIL Urban Transport Private Ltd. और A Power Himalayas Ltd. Mumbai, के मध्य हस्ताक्षरित हो चुका है। इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, द्वारा 17.01.2016 को किया गया है। आयोजक (promoter) द्वारा रोपवे निमार्ण हेतु विभिन्न वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
2. **हिमानी चामुंडा जी (जिला कांगड़ा)**
   इस रोपवे प्रोजैक्ट का रियायती समझौता 5.6.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश व M/S Usha Breco Chamunda Devi Ropeway Pvt.Ltd, Delhi, के मध्य हस्ताक्षरित हो चुका है जिसका सर्वेक्षण कार्य शुरु हो चुका है तथा आयोजक द्वारा विभिन्न अनापति (NOCs) प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरु की गयी ।
3. **पलचान से रोहतांग, विशिष्ट से रोहतांग, जिला कुल्लु**
   इस रोपवे परियोजना का रियायती समझौता 21.10.2015 को पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं M/S Manali Ropeway Pvt. Ltd. के मध्य हस्ताक्षरित किया जा चुका है जिसका सर्वेक्षण कार्य शुरु हो चुका है तथा विभिन्न वैधाानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने का कार्य आयोजक द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त रोपवे परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित रोपवे परियोजनाएं प्राप्ति स्तर (procurement stage) पर हैं।

1. **बिजली महादेव (कुल्लु), न्युगल (पालमपुर,कांगड़ा) तथा सराहन से बाशल कांडा (शिमला–किन्नौर):**
   उपरोक्त रोपवे परियोजनाओं की शुरुआती रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा

बनाई जा चुकी है तथा Request for Proposal (RFP) दस्तावेज हिमाचल प्रदेश अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

2 **धर्मकोट– त्रियूंड (कांगड़ा), टोबा–नयना देवी जी (बिलासपुर) तथा शाहतलाई–दियोटसिद्व (बिलासपुर–हमीरपुर):**

विभाग द्वारा 27.9.2015 तथा 28.9.2015 को HPIDB के सहयोग से इन तीन रोपवे परियोजनाओं के निमार्ण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के पास निम्नलिखित पांच स्थान उपलब्ध हैं जिन्हें विकसित करने के लिए दीर्घकालीन पट्टे पर देने हेतु प्रक्रिया चलाई जा रही है:–

क्र.सं.	स्थल का नाम
1.	बद्दी, जिला सोलन
2.	झटींगरी, जिला मण्डी
3.	शोजा (बन्जार), जिला कुल्लू
4.	बिलासपुर, जिला बिलासपुर
5.	सुकैती, जिला सिरमौर

विभाग द्वारा इन स्थानों पर पर्यटन संबंधित गतिविधियों के निर्माण के लिए पट्टे पर देने हेतु बोली दस्तावेज तैयार कर दिया गया है। सरकार ने इन स्थानों को सार्वजनिक व निजि सांझेदारी के तहत विकसित करने के लिए इच्छुक विकासकों को पट्टे पर देने के लिए स्वीकृति दे दी है।

15.5 प्रदेश में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रॉनिक सामग्री जैसे पर्यटक साहित्य, पैंम्फलेट, पोस्टर, ब्लॉ–अप्स इत्यादि तैयार किए जाते हैं तथा विभाग द्वारा वर्ष भर देश/विदेश मे होने वाले मेलों एवं उत्सवों में भी भाग लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस वित्तिय वर्ष के दौरान विभिन्न निजि उद्यमियों के साथ 21 से भी अधिक मेलों व उत्सवों में प्रदेश व प्रदेश से बाहर भाग लिया गया है।

15.6 विभाग द्वारा समय समय पर प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन भी जारी किये गए हैं। पर्यटन नीति, 2013 व सतत् कार्य योजना धर्मशाला, 2013 तैयार किये गए हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने हेतु विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश दलाली और कदाचार रोकथाम नियम–2015 बनाया जा रहा है।

15.7 विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगाार युवाओं को विभिन्न साहसिक गतिविधियों, सामान्य प्रशिक्षण/पाठयक्रम जैसे ट्रैकिंग गाईड,जल क्रीड़ा,स्कींग,रीवर राफटिंग इत्यादि तथा कौशल विकास पाठयक्रम जैसे पुलिस/गृह रक्षक, ढ़ाबा मालिक/श्रमिकों और टैक्सी चालकों को विविध प्रशिक्षण दिये गए हैं जिनके अर्न्तगत 822 युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। विभाग द्वारा 150 हिमाचली व बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन संस्थान से प्रशिक्षण हेतु छात्रवृति उपलब्ध करवाई गई। विभाग द्वारा विभिन्न साहसिक गतिविधियों का संचालन/आयोजन भी किया जाता है। द्वितीय All India Open Catch-n-Release Trout Angling Championship

तथा Oral Intrective workshop 10 से 12 अप्रैल, 2015 के दौरान गांव झीवी, बंजार जिला कुल्लू व विभाग तथा बीड़–बिलिंग पैरागलाईडिंग एसोसियशन द्वारा दिनांक 24.10.2015 से 31.10.2015 के मध्य बीड़–बिलिंग कांगड़ा में विभाग के समन्वय से पैरागलाईडिग विश्व कप, 2015 का आयोजन किया गया जिसमें देश व विदेशी पायलटों द्वारा भाग लिया गया। Himalayan Adventure Sports & Tourism Promotion Association (HASTPA) शिमला द्वारा दिनांक 27.09.2015 से 04.10.2015 के मध्य Hero MTB Himalaya-India's Premier Mountain Biking Challenge का ग्यारहवां संस्करण आयोजित किया गया जिसके लिए विभाग द्वारा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाई गई थी तथा M/s Himalayan Heli Adventures Pvt. Ltd., मनाली, जिला कुल्लु, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (Heli Skiing and out trial of the Snow Leopards) परिवहन व्यवस्था की खोजपूर्ण उड़ानों का दिनांक 2.01.2016 से 31.05.2016 तक आयोजन भी विभाग के प्रशासनिक सहयोग से किया जा रहा है।

विभाग, पर्यटन सम्बन्धी गतिविधियों/उत्सवों का आयोजन तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहायता भी करता है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग ने निम्नलिखित आयोजनों का संचालन/सहायता की तथा निम्न उत्सव/गतिविधियों में भाग लियाः–

1. विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन (27.09.2015)
2. एप्पल फैस्टीवल (शिमला व मनाली 2015)
3. बिग शिमला कार्निवाल (23.12.2015 से 01.01.2016).
4. इसके अतिरिक्त India Travel Mart (ITM)- अमृतसर, जयपुर व लखनऊ एवं भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी India International Travel Exhibition (IITE) औरंगावाद व इन्दौर, भारतीय अर्न्तराष्ट्रीय यात्रा मार्ट India International Travel Mart (IITM) बैंगलूरू, चैन्नई, पूणे, हैदराबाद एवं कोचीन, पर्यटन यात्रा मेला Tourism Travel Fair (TTF) कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत एवं पूणे, व्यापार मेला नागपुर, बिजयवाड़ा, रायपुर, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, गोवा, चैन्नई, बैंगलूरू, नई दिल्ली, मुम्बई, भुवनेश्वर, रांची, कोयम्बाटूर, कोची व सेटे (SAATE) नई दिल्ली।

नागरिक उडडयन

15.8 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में शिमला, भुन्तर (कुल्लू–मनाली) और कांगड़ा तीन हवाई अड्डे विद्यमान हैं जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार हैः–

क) शिमला हवाई अड्डाः शिमला हवाई अड्डे के रनवे की चौड़ाई एयरपोर्ट आर्थोरिटी आफ इंडिया द्वारा 23 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दी गई है, तथा अब यह हवाई अड्डा ए.टी. आर. 42 के लोड पनैल्टी सहित उतरने के लिए उपयुक्त है शीघ्र ही यहां से उड़ानों का संचालन शुरु किया जायेगा।

ख) भुंतर हवाई अड्डाः वर्तमान में भुतंर हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई 1128 मीटर व चौड़ाई 30.5 मीटर है, जो कि ए0टी0आर0 72 के लोड

पैनलटी सहित उतरने के लिए उपयुक्त है। इस हवाई अडडे के रनवे को लगभग 660 मीटर और बढाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एयरपोर्ट आर्थोरिटी आफ इंडिया से पत्राचार किया जा रहा है।

ग) **कांगड़ा हवाई अड्डाः** कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई 1,372 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके अतिरिक्त विस्तार जो कि 1372 मीटर से 1,800 मीटर विस्तार हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त, गोघराधार, जिला मण्डी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की स्थापना हेतु संभावना देखी जा रही है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राथमिक निरीक्षण किया गया है।

हैलीपैड

15.9 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 63 परिचालित हैलीपैड हैं। इसके अतिरिक्त, संजौली–ढ़ली बाईपास में हैलीपैड के निर्माण बारे मामला विचाराधीन है।

हैली–टैक्सी सेवाएं :

15.10 राज्य सरकार ने प्रदेश में केवल मणि–महेश यात्रा के दौरान हैली टैक्सी सेवा को संचालित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगमः

15.11 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (की स्थापना वर्ष 1972 में) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जब से निगम की स्थापना की गई है तब से यह संस्था पर्यटकों के खान–पान/ रहन–सहन, प्रबंधन तथा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक, चलन तथा प्राईम मूवर के रुप में कार्यरत है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा 1.04.2015 से 31.03.2016 तक ₹256.67 लाख शुद्व लाभ अपेक्षित है।

16. शिक्षा

शिक्षा

16.1 शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

16.2 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था तथा 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया गया है। सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का साधारणीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में 31.12.2015 तक, प्रारम्भिक शिक्षा में 10,783 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं जिनमें से 10,781 क्रियाशील हैं। 2,249 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं जिनमें से 2,236 क्रियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

16.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों जोकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें दी जाती है तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को भी अनुसूचित जाति की उप–योजना के अंतर्गत मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी उपलब्ध करवाई जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफ्त पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की

लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। सभी प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा एक से चार तक अंग्रेजी सहित सभी संशोधित पाठ्य पुस्तकें लागू की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,202 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में 70 पंजाबी एवं 30 उर्दु अध्यापकों द्वारा सभी चयनित स्कूलों में पंजाबी/उर्दु को एक वैकल्पिक रुप में पढ़ाया जा रहा है।

ऊपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

16.4 वर्ष 2015–16 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट मैधावी छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को ₹800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 1,332 छात्र लाभान्वित हुए और ₹10,65,620 खर्च किए गए।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को ₹150 प्रति छात्र/ छात्रा कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 58,645 छात्र लाभान्वित हुए तथा ₹87,81,830 खर्च किये गये तथा कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र ₹250 एवं ₹500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है। वर्ष के दौरान 58,460 लाभान्वित हुये तथा ₹2,20,84,370 खर्च किये गये।

iii) सैनिकों के बच्चों को ₹150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी (पहली से पांचवीं) प्रतिवर्ष दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 2 विद्यार्थी लाभान्वित हुये तथा ₹300 खर्च किये गये।

iv) छात्रा उपस्थिति योजना के अन्तर्गत जिनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से अधिक हो को ₹2 प्रति माह, 10 माह के लिये दिए जाते हैं। कुल 34,425 छात्राऐं लाभान्वित हुई तथा ₹6,90,500 वितरित किये गये।

v) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी आई.आर.डी.पी./एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी./सामान्य विद्यार्थियों को मुफ्त पाठय पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसके लिए वर्ष 2015–16 में ₹16.27 करोड़ का प्रावधान है।

vi) महात्मा गांधी वर्दी योजना के अर्न्तगत कक्षा 1 से 10 तक सभी विद्याार्थियों को दो सैट वर्दियों के साथ ₹200 सिलाई के प्रत्येक वर्ष उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2015–16 में 7,31,122 विद्यार्थी (कक्षा 1 से 10 तक) लाभान्वित हुये है। जिसके लिये सरकार द्वारा ₹2,000.00 लाख का प्रावधान किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान

16.5 राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर

बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघु योजनाएं व सर्वेक्षण आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात के अंतर को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

16.6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए** : हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या दर 99 प्रतिशत से अधिक है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया, जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह देखा गया है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित करके और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री की मदद से इन्हें इनकी आयु अनुरूप कक्षा में दाखिल कर विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 4,942 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.एस. टी. सी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।
- **समावेशित शिक्षा:** हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, कुल 12,772 बच्चे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 10,950 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 1,822 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया

गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु तथा अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 520 बच्चों को विभिन्न जिलों में 23 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **सेवारत शिक्षकों का क्षमता निर्माणः** सेवारत शिक्षकों की क्षमता निर्माण अध्यापन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसेः (1) स्वंय सहायक कौशल जैसेः भोजन, शौच एवं स्नान तथा पहनावा आदि (2) मोटर क्रियाओं के अन्तर्गत् भौतिक चिकित्सक/ व्यवसायिक चिकित्सक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूल से बाहर पढ़ने वाले मंदबुद्वि बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की सहायता द्वारा खण्ड समावेशित कमरों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- **चिकित्सीय सेवायेंः** मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। चूंकि भौतिक चिकित्सकों और स्पीच थैरेपिस्ट की कमी के कारण प्रथम चरण में यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।
- **IEP/ITP तैयार करनाः** प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चे के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई है।
- **अभिभावकों के लिए परामर्शः** विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया पर सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।
- **सामुदायिक भागीदारीः** प्रशिक्षित रिसोर्स अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भी भरपूर समर्थन भी मिल रहा है।
- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमः** सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों के ज्ञान को सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षत रिसोर्स अध्यापक इस कार्यक्रम में रिसोर्स व्यक्ति की

भूमिका अदा करते हुए सामान्य अध्यापकों को कक्षा की वास्तव स्थितियों से अवगत कराते हैं।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्रः** जिला शिमला और मंडी में दो देखभाल केन्द्र प्राथमिक स्कूलों में स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे कुशल अध्यापकों के मार्गदर्शन में शिक्षण/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।
- **चिकित्सीय मूल्यांकनः** वर्ष 2015–16 में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिये 50–चिकित्सीय शिविर आयोजित किये गये तथा 1,250 विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाये गये।
- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ताः** चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक सहित यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय परिवहन दरों पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।
- **दृष्टिहीन बच्चों के लिये पुस्तकेंः** प्रदेश के कक्षा 1–8 तक के दृष्टिहीन बच्चों के लिये 142 सैट ब्रेल पुस्तकें प्रदान की गई तथा 80 सैट विस्तार छाप वाली पुस्तकें मंद दृष्टि वाले बच्चों को बांटी गई।
- **आई.ई. किया कलापों का अनुश्रवणः** रिसोर्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक अनुश्रवण प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगी।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी कुशल शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिर्पोट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है जिसकी सर्व शिक्षा अभियान की मासिक बैठक में समीक्षा की जाती है।

शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

16.7 राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर न के बराबर है तथा इस पर सफलतापूर्वक नजर रखी जा रही है। प्रारम्भिक स्तर पर 0.65 प्रतिशत तथा उच्च प्रारम्भिक स्तर पर 0.90 प्रतिशत ड्राप आउट दर है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

16.8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों को सामान्य शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। होस्टल वार्डनों को नियमित रूप से

प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन विद्यालयों की मॉनिटरिंग जिला एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जाती है। प्रदेश में 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसमें से 8 चम्बा में तथा शिमला एवं सिरमौर में एक–एक विद्यालय कार्यरत है।

बच्चों के सीखने का स्तर

16.9 राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन जांच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। प्रशिक्षण में आने वाली कमियों को समय–समय पर सीखने की प्रक्रिया के दौरान दूर की जाती है। अब रटने की विधि एवं कागज़ पैंसिल टेस्ट को बढ़ावा देने की बजाए नैदानिक शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों के पूर्ण विकास के लिये मूल्यांकन टेस्ट लिया जा रहा है। मूल्यांकन शीटस द्वारा सीखने के अन्तर को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह मूल्यांकन शीटस कक्षा, विषय एवं शीर्षक वार बनाई गई है।

विद्यालयों का मुल्याकंन

16.10 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का गहन–अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्धेश्य से जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति के द्वारा जांचने के बाद की गई रिपोर्ट को सरकार एवं हितधारकों के साथ जिला अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में सांझा किया जाता है।

शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

16.11 प्रभावी स्कूलों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास के लिए स्कूलों में सीखने के वातावरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश में गुणवता शिक्षा प्रदान करना हेतु न्यूप के सहयोग से (Save the Children) विजन को शिक्षा में गुणवता बढ़ाने हेतू शामिल किया गया है।

- **सीखने के संकेतको को कार्यन्वयन करनाः**– शैक्षणिक सत्र 2014–15 से राज्य में कक्षा एक से आठवीं तक सीखने के संकेतको को कार्यन्वयनित किया गया। सभी प्रारम्भिक अध्यापकों को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार पढ़ाया जाये कि सभी विद्यार्थियों द्वारा वॉछित सीखने के स्तर प्राप्त हो जाये। इस स्तर का मूल्यांकन CCE के आधार जो कि सीखने के संकेतकों पर आधारित है, किया जाता है।
- **प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें** – कक्षा एक व कक्षा दो की पुस्तकों को संशोधित किया गया है और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सभी प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया गया है। कक्षा तीन से पांचवी तक की पाठ्यपुस्तकों का भी पुनः विलोचन किया गया है तथा NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूप रेखा के आधार पर बनाई गई हैं।

- **उपलब्धि सर्वेक्षण के आधार पर सीखने के अंतर की पहचान**– हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक स्तर पर सभी छात्रों के बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन करने वाला पहला राज्य है। जिसके आधार पर बच्चों के सीखने के अंतर की पहचान विशेष रूप से स्कूल स्तर पर तथा जिला एंव राज्य स्तर पर पहचान कर ली गई है। SKOCH नामक एक स्वतन्त्र ऐजेंसी हिमाचल प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा करवाए गए आंकलन सर्वेक्षण के लिए ''योग्यता के स्काच आदेश'' के अन्तर्गत् भारत के सबसे अच्छी संचालित परियोजना–2014 से सम्मानित किया गया है।
- **पूर्व पठ्न पाठन व संख्या ज्ञान कार्यक्रमः**–इस कार्यक्रम को कक्षा एक व कक्षा दो के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कक्षा एक व दो के छात्रों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया। आधारभूत सर्वेक्षण करते समय बच्चों से पढ़ने, लिखने, बोध व संख्यात्मक कौशल पर उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे गए है और उसी के अनुसार प्रशिक्षण मॉडयूल (सामग्री) तैयार किए गए।
- **आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण मूल्यांकनः**– राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बैठकों, कार्यशालाओं तथा प्रतिक्रियाओं तथा निगरानी रिर्पाटों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये एक प्रशिक्षण माडयूल विकसित किये गए हैं।
- **सतत समग्र मूल्यांकनः**–लर्निंग लिंक फांउडेशन के सहयोग से सतत समग्र मूल्यांकन को सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है तथा एल0एल0एफ0 के माध्यम से प्रयोगिक तौर पर चार जिलों के 200 से अधिक स्कूलों को जोड़ा गया है।
- **कला एकीकृत लर्निंग कार्यक्रमः**– कला शिक्षा हमेशा से प्रारम्भिक शिक्षा में प्राथमिकता से रहा है। इस शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु डी0इ0ए0ए0, एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली व ब्रिटिश कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली का विशेष सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम को पायलट आधार पर दो जिलों शिमला और सोलन के 40 स्कूलों में शुरू किया गया है।

खेल–कूद किया–कलाप

16.12 वर्ष 2015–16 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद क्रिया कलाप के लिए ₹225.00 लाख का प्रावधान किया है। इससे बच्चों का केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खेल आयोजन का खर्चा वहन किया जाता है।

अल्पसख्यंक समाज

16.13 वर्ष 2015–16 से यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा इस योजना के तहत उन अल्पसख्यंक बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती है जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹1.00 लाख से ज्यादा नही है। इस योजना के तहत लगभग 3,300 लाभार्थियों के लिए ₹60.00 लाख की

प्रस्तावना केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

16.14 वर्ष 2015–16 के लिए सरकार ने ₹490.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके उसके साथ–साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं में कमरों की मांग भी पूरी की जा सके । इसके अतिरिक्त ₹999.99 लाख का प्रावधान भवनों की मुरम्मत तथा रख–रखाव के लिए किया गया है।

उच्च /उच्चतर शिक्षा

16.15 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। जिसके फलस्वरूप वार्षिक बजट में प्रतिशत निरन्तर वृद्वि के साथ– साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी वृद्वि हो रही है। दिसम्बर, 2015 तक 880 उच्च पाठशालाएं, 1,610 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 94 महाविद्यालय हैं जिसमें एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. महाविद्यालय, धर्मशाला तथा 5 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, जोकि राज्य में कार्यरत हैं।

छात्रवृति योजनाएं

16.16 समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान की जा रही है। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

i) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को (मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम के आधार पर हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हो) जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए राज्य में या राज्य के बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लिया हो को ₹10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014–15 में 1,694 अनुसूचित जाति और 1,663 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ii) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित (हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड) जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए ₹10,000 की राशि (वार्षिक) प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014–15 में इस योजना से 3,559 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को (10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड) मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए ₹11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में 296 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

iv) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक अस्वच्छता से संबंधित व्यवसाय करते हैं को दसवीं

कक्षा से महाविद्यालय स्तर तक ₹9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं जोकि राज्य में स्थित किसी सरकारी या निजी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। वर्ष 2014–15 में 25 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

v) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ₹10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में 50 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

vi) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ₹ 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ₹300 प्रतिमाह, की दर से छात्रवृति उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों के साथ विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

vii) **सैनिक स्कूल छात्रवृतिः–** सैनिक छात्रवृति केवल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर) में अध्ययन हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी विद्यार्थियों को देय है। यह छात्रवृति छठी कक्षा से जमा दो कक्षा तक प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 316 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

viii) **कल्पना चावला छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10+2 की 2,000 छात्राओं को योग्यता के आधार पर सभी ग्रुप वाईज मैरिट सूचि के आधार पर वार्षिक ₹15,000 प्रति छात्र/छात्रा को राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 1,057 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

ix) **मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाः** यह योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत सभी वर्ग के विद्यार्थियों जिनका चयन और प्रवेश, आई.आई. टी.,ए.आई.आई.एम.एस. तथा आई. आई.एम., आई.एस एम. धनबाद, झारखण्ड तथा आई.आई.एस.सी. बैंगलोर से किसी भी स्नातकोतर डिप्लोमा के लिए हुआ हो, को ₹75,000 की राशि पुरस्कार के रुप में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 75 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

x) **राष्टोय इंडियन मिलिट्री कालेज छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति दस स्थाई हिमाचली निवासी केडेट/छात्रों को आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दी जाती है जो कि राष्टीय भारतीय मिलिटी कालेज, देहरादून में अध्ययनरत हो। प्रत्येक कक्षा से 2 छात्रों को यह छात्रवृति मिलती है। छात्रवृति की राशि ₹20,000 प्रतिवर्ष है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 20 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैः–

1. **आई.आर.डी.पी.छात्रवृति योजनाः**
इस योजना के अतर्गत ₹300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ₹800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ₹2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2014–15 में 58,864 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः**
इस योजना के अतर्गत ₹300 (छात्र) तथा ₹ 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ₹ 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ₹2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संक्रियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**
इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो एवम् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो, वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2014–15 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–6,852 अनुसूचित जन–जाति –2,249, अन्य पिछड़ा वर्ग–7,733 है।

4. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिएः**
यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को जो पहली से दसवीं कक्षा तक अध्ययनरत हैं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹44,500 से अधिक न हो इस छात्रवृति में ₹50 प्रति माह तथा ₹250 प्रतिमाह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए देय है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 19,884 विद्यार्थी लाभान्वित हुए है।

5. **पूर्व मैटिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के लियेः**
यह छात्रवृति योजना किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/

जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय है, जिनके माता पिता/संरक्षक की वार्षिक आय (सभी स्त्रोतों से) ₹2.00 लाख से अधिक न हो। ये छात्रवृति 9वीं व 10वीं कक्षा के अनावासिक छात्रो को ₹2,250 तथा ₹4,500 की राशि आवासिक छात्रों को दी जाती है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 16,637 विद्यार्थी अनुसूचित जाति के 2,627 जनजाति के लाभान्वित हुए।

6. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदानः**

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आंठवीं की परीक्षा उतीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें ₹3,000 की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। यह राशि (समय अवधि जमा) के रूप में दी जाती है। वर्ष 2014–15 में 6,133 लड़कियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

7. **अल्प संख्यक वर्ग के लिए मैरिट–कम–मीन्ज छात्रवृति योजना (केन्द्रीय योजना):–**

यह छात्रवृति अल्प संख्यक समुदाय मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व के छात्र/छात्राओं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय (सभी स्त्रोतों से) ₹2.50 लाख से अधिक न हो को दी जा रही है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत 131 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

संस्कृत शिक्षा का प्रसार

16.17 संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न हैः–

क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.18 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, हिप्पा फेयरलॉन, शिमला/ एन.यू.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी./ एन.सी.ई.आर.टी. /आर.आई.ई. अजमेर तथा आर.आई.ई., चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में लगभग 1,300 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना :

16.19 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को

समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। यह योजना राज्य के 61 चिन्हित पाठशालाओं में लागू कर दी गई है।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

16.20 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को नवीं से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अंतर्गत ₹8.85 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,10,436 नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

व्यवसायिक शिक्षा

16.21 विभाग द्वारा नेशनल सकील क्वालीफिकेशन फ्रेंमवर्क (NSQF) योजना के अर्न्तगत 500 पाठशालाओं में आठ विषयों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की गई। ये विषय आटोमोबाईल, रिटेल सिक्योरिटी, आई0टी0, हैल्थ केयर, पर्यटन, कृषि तथा टेलीकोम हैं। हर पाठशाला की 9वीं व 12वीं कक्षा में कम से कम दो विषय अवश्य होगें। इस योजना के अंर्तगत विभिन्न वोकेशनल ट्रेनिंग सहयोगी (पार्टनर) द्वारा 1200 वोकेशनल अध्यापकों को नियुक्त किया गया है तथा 35000, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षाः

16.22 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा :

16.23 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा :

16.24 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं (बाहरी स्त्रोत से) में स्वंय आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। लगभग 80,861 विद्यार्थी जिसमें 6,863 अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) के आई. टी. शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

16.25 विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति की देख रेख मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की वर्ष 2015–16 से 90:10 की सहभागिता में माध्यमिक स्तर पर लागू करने मे बढत हासिल कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं इसमें प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक पाठशालाओं के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, आत्म रक्षण प्रशिक्षण, कला उत्सव तथा वार्षिक स्कूल अनुदान शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए परियोजना

अनुमोदन बोर्ड भारत सरकार द्धारा ₹14,267.89 लाख की राशि स्वीकृत की है जिसमें से भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्धारा क्रमशः ₹3,459.21 लाख और ₹1,153.07 लाख माध्यमिक अभियान की विभिन्न गतिविधियों को लागू करने के लिए जारी कर दी है ।

आदर्श विद्यालय

16.26 भारत सरकार ने जिला चम्बा और सिरमौर के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों के लिए पांच आर्दश विद्यालय स्वीकृत किए है तथा प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित कर कार्यरत बना दिया है। ये पांच विद्यालय हैं राष्ट्रीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुशनगरी, खण्ड तीसा, जिला चम्बा, डान्ड खण्ड तीसा, जिला चम्बा, भराईकोठी, खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिलोर, खण्ड पांगी, जिला चम्बा और शिलाई, खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर हैं। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

16.27 शैक्षिक रुप से पिछड़े खण्डों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में कन्या छात्रावास का निर्माण करके आरम्भ करके नवीं से बारहवीं कक्षाओं की छात्राओं को आवासीय सुविधा प्रदान कर और सुदृढ़ करना होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवार की छात्राएं लाभान्वित होगीं। छात्रावासो का निर्माण जिला चम्बा और सिरमौर के शैक्षिक रुप से पिछड़े खण्डों में किया जाना है तीन कन्या छात्रावासों हिमगिरी मेहला (चम्बा) और शिलाई (सिरमौर) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि दो अन्य छात्रावासों तीसा व साच का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सरकार ने दो कन्या छात्रावासों हिमगिरी और शिलाई के लिए आवर्ती अनुदान के लिए ₹25.00 लाख स्वीकृत किये हैं।

सूचना एवं प्रसारण प्रोद्यौगिकी

16.28 आई0 सी0 टी0 (सूचना, संचार एवं प्रोद्यिगिकी) परियोजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 की सांझेदारी में राज्य के 628 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया जा चुकी है। द्वितीय चरण मे सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को प्रदेश सरकार मे वर्ष 2015–16 में 90:.10 की हिस्सेदारी मे 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 835 राजकीय उच्च पाठशालाओं और 5 स्मार्ट पाठशालाओ के लिए वर्ष 2015–16 के लिए स्वीकृत किया जा चुका है । इस परियेाजना का उद्देश्य स्मार्ट कक्षाओ और बहु संचार शिक्षण का प्रयोग करके पठन–पाठन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली

16.29 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लागू किया गया है। इस योजना को वर्ष 2013–2014 से और प्रदेश सरकार की 90:10 की सहभागिता से आरम्भ किया गया है। इस गुणात्मक सुधार प्रणाली को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश मे प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद (एस.

एच.ई.सी) का गठन किया गया है । प्रदेश में सरकारी, निजि, ग्रांट–इन–एड,संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के लिए समेस्टर प्रणाली तथा विकल्प आधारित कैडिट प्रणाली (सी0 बी0 सी0 एस0) लागू की जा चुकी है । इस प्रणाली के अर्न्तगत मानव संसाधन विकास मत्रांलय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को रूसा के विभिन्न घटको के अर्न्तगत, वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमश ₹4.04 करोड , ₹82.64 करोड एवं ₹46.00 करोड रुपये की राशि आबंटित की गई है। विभाग द्वारा , रूसा के विभिन्न घटको के अर्न्तगत ₹61.21 करोड की राशि प्राप्त की गई है, जिसमें से ₹48.50 करोड की राशि भिन्न–भिन्न संस्थानों को रूसा के विभिन्न घटको के अर्न्तगत आबंटित की गई है।

शिक्षा में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) :–

16.30 इस प्रणाली का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को कंप्यूटरीकरण करना है। इस प्रणाली को (पायलट) परियोजना के रुप में जिला हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और मण्डी के 545 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक व राजकीय उच्च पाठशालाओं में लागू किया जाएगा।

माध्यमिक स्तर पर निशक्त बच्चो को समेकित शिक्षाः–

16.31 प्रदेश मे माध्यमिक स्तर पर निशक्त बच्चो को समेकित शिक्षा वर्ष 2013–14 मे आरम्भ हुई। इसके अर्न्तगत् वर्ष 2015–16 मे विशेष जरूरतमन्द बच्चों के लिए 12 आदर्श विद्यालय खोले गए जिनमें इन बच्चो का शिक्षित करने हेतु 18 विशेष शिक्षको की तैनाती की गई व 2,492 विशेष बच्चे चिन्हित किए गए। इन बच्चो की जांच के लिए प्रदेश मे 45 चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा इन बच्चों को 261 विशेष उपकरण बाटें गए। इसके अतिरिक्त मुफत किताबें, एस्कोर्ट भत्ता, ब्रैल किताबें भी जरूरतमंद बच्चो को दी गई।

नेटबुक्स/टेबलेट सवितरण

16.32 शिक्षा विभाग वर्ष 2015–16 में, सीखने–सिखाने की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य से हिमाचल प्रदेश बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से उर्तीण 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत नेटबुक्स/ टेबलेटस देने जा रहा है ।

तकनीकी शिक्षा

16.33 हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश मे इस समय, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 1 भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर, 1 भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकीय/ प्रौद्योगिकीय संस्थान, प्रगति नगर जिला

शिमला, 14 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 15 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 16 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 93 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 9 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांगार्थ) सुन्दरनगर 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ऊना में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 131 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय, रोहडू, निजी क्षेत्र में 13 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 14 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. विभिन्न पाठयक्रमों द्वारा 34 इंजीनियरिंग और 20 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार है:–

1. डिग्री स्तर = 6,920
2. बी फार्मेसी = 1,030
3. डिप्लोमा स्तर = 10,178
4. आई.टी.आई./ आई.टी.सी. = 39,596

कुल = 57,724

16.34 तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राजीव गान्धी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज स्थित नगरोटा बगवां में खोला गया है। इसमें तीन पाठयक्रम मकैनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियागि, जिसकी प्रवेश क्षमता 60 छात्र प्रति पाठयक्रम होगी। भारत सरकार द्वारा रुसा के तहत ₹2,600 लाख स्कीकृत किये गये हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कालेज रामपुर का शैक्षणिक सत्र 2015–16 से दो व्यवसायों मकैनिकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग के साथ कक्षाएं राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर में कक्षाएं शुरु की गई है। इस इंजीनियरिंग महाविद्यालय को तकनीकी शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि ₹1,100 लाख में से ₹892.80 लाख एवं राज्य भाग के अन्तर्गत ₹149.97 लाख की धनराशि 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग एवं 10 प्रतिशत राज्य भाग के अनुपात से उक्त महाविद्यालय को जारी कर दी गई है।

16.35 तकनीकी शिक्षा विभाग एन.टी.पी.सी. तथा एन.एच.पी.सी. की सहायता से जिला बिलासपुर के बन्दला नामक स्थान में हाइड्रों इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 62.06 बीघा भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरित हो गई है। यह प्रदेश में हाइड्रो विशेषज्ञता पहला संस्थान होगा।

16.36 विभाग द्वारा 6 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नामतः नगरोटा बगवां (जिला कांगड़ा), कोटली एवं पधर (जिला मण्डी), डोडरा क्वार (जिला शिमला), सायरी (जिला सोलन) तथा महिला भराड़ी (जिला बिलासपुर) में शैक्षणिक सत्र 2015–16 से सुचारु रुप से चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी

संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ₹100.00 लाख प्रत्येक संस्थान की दर से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। जिसके लिये ₹548.72 लाख की राशि प्राप्त हो चुकी है।

16.37 कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवानों, अकुशल एवं कुशल कामगारों की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 140 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (68 सरकारी क्षेत्र और 72 निजी क्षेत्र) पंजीकृत है। इस स्कीम की स्थापना के बाद कुल स्वीकृत राशि ₹1,190.72 लाख में से अब तक ₹1,171.92 लाख व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत 31,399 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा 120 व्यक्ति विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

16.38 विभाग में 14 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन(स्थित रैल में), नाहन, शिमला, रिकांगपिओ, रोंगटोंग(काजा), मण्डी तथा शिमला(महिला), सोलन और रामपुर को विश्व बैंक सहायता प्राप्त वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूमैंट योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ केन्द्रों में स्तरोन्नत किए हैं तथा केन्द्रीय सहायता भारत सरकार तथा राज्य सरकार से क्रमश ₹3,407.62 लाख तथा ₹1,066.43 लाख प्राप्त हो चुके है। इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण क्रय करने, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण एवं भवन निर्माण इत्यादि पर ₹4,364.00 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

16.39 औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी. आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ₹8,250.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है तथा ₹7,797.00 लाख इन संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु खर्च किये गये।

17. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

17.1 लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारत्मक, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं, 68 चिकित्सालयों, 74 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 516 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 11 ई.एस.आई. औषधालयों तथा 2,067 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान कर रहा है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

17.2 वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) इस कार्य के अंतर्गत 4,70,850 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 60 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, दिसम्बर, 2015 में घटकर 0.24 प्रति दस हजार रह गई। 2015–16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 114 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 168 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक, 72 क्षयरोग युनिट और 197 माईक्रोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 315 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक 14,219 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 78,349 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। इस वर्ष कुल क्षय रोग अधिसूचना लक्ष्य दर लक्ष्य 257 प्रति लाख प्रति वर्ष का था जिसके अन्तर्गत 208 प्रति लाख प्रति वर्ष की उपलब्धि पाई गई जोकि 81 प्रतिशत रही।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः**– वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य 27,500 मोतिया बिन्द आप्रेशन के अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक 23,675 मोतिया बिन्द आप्रेशन किये गये जिनमें 23,224 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए

गये। वर्ष 2015–16 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक 1,47,468 विद्यार्थियों की जांच की गई।

v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः**– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण कियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्या की जरूरतों अनुसार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों (दोनो महिला व पुरूष) द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक क्रमशः 9,466 बन्धयाकरण, 18,575 लूप निवेश, ओ.पी. प्रयोगकर्ता 30,287 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 91,611 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः**–

हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर. सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू, घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई है:–

सारणी संख्या 17.1

क्र. सं.	मद	2015–16	
		लक्ष्य	उपलब्धियां (दिसम्बर, 2015 तक)
1	डी0 पी0 टी0	108730	67777
2	पोलियो	108730	80385
3	बी0 सी0 जी0	108730	79116
4.	हैपाटाइटस–बी	108730	67702
5	मीजल	108730	83719
6	विटामिन ए (पहली खुराक)	108730	83247
7	पोलियो (बुस्टर)	104390	76759
8	डी0 पी0 टी0 (बुस्टर)	104390	76732
9	विटामिन ए (पांचवीं खुराक)	108730	98783
10	डी0पी0टी0(5–6 वर्ष)	87720	84410
11	टी0 टी0 (10 वर्ष)	102460	89761
12	टी0 टी0 (16 वर्ष)	123055	101022
13	टी0 टी0 (गर्भवती मातायें)	132000	81740
14	माताओं को आयरन फालिक एसिड	132000	76325

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। वर्ष 2015–16 के दौरान इस अभियान का प्रथम चरण 17.01.2016 तथा दूसरा चरण 21.02.2016 को पूरा किया जायेगा।

vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः**– वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक 99,505 जांच किए व्यक्तियों में से 282 एच.आई. वी. के अनुकूल मामले पाए गए।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यक्रमः**–हिमाचल प्रदेश में कुल 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल जांच किए गए लोगों में

28,852 ए.एन.सी. रोगी थे जिनमें से 10 एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्यरत है।

- **यौन रोग नियंत्रणः**– हिमाचल प्रदेश में कुल 20 आर.टी.आई. /एस.टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 2015–16 में 22,556 लोगों ने आर. टी.आई./एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यकमः**–राज्य में 15 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन युनिट आई.जी.एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी. एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 में 203 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया तथा प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 90 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस, 4 डोनर कोचों के साथ भी राज्य में कार्यरत हैं।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यकमः**– प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई. जी.एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी. जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 3 एम ए.आर.टी. तथा 7 लिंक ए. आर.टी.केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ रह रहे लोगों को मुफ्त दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेपः**– हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 18 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

viii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः**–इस योजना के अन्तर्गत 95 स्वास्थ्य संस्थाओं केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 608 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 31.12.2015 तक ₹8.92 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

17.3 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई।

17.4 इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कार्यरत है। शैक्षणिक सत्र 2015–16 से विभिन्न सरकारी संस्थानों में तथा गैर सरकारी (गैर सहायता प्राप्त) नर्सिंग संस्थानों में क्रमशः सीटें 1,390 सीटें जी0एन0एम0, 770 सीटें बी0एस0सी0 नर्सिंग, 120 सीटें पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0

नर्सिंग और 90 सीटें ए0एन0एम0 तथा 20 सीटें एम.एस. सी. नर्सिंग के कोर्स हेतु भरी गई। सरकार चम्बा में भी एक जी0एन0एम0 स्कूल खोलने जा रही है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में तीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय क्रमशः हमीरपुर, चम्बा एवं नाहन में ₹189.00 करोड भारत सरकार द्वारा तथा ₹12.53 करोड प्रदेश सरकार द्वारा 90:10 के आधार पर अनुमोदित किये गये। राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत भाग के ₹1.39 करोड नाहन में प्रस्तावित मैडिकल कॉलेज के लिए जारी कर दिए गए है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2015–16 में प्रदेश के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कुल 142 सीटें भरी गई है। इस निदेशालय के अंतर्गत संस्थावार उपलब्धियों का वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

(क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। इसको उन्नयन कर सुपर स्पैशिलिटि संस्थान में तबदील कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आई.जी.एम.सी शिमला को पी.एम.एस.एस.वाई. चरण-III के अन्तर्गत ₹150.00 करोड़ (केंद्रीय भाग ₹120.00 करोड़ तथा राज्य भाग ₹30.00 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए ₹20.00 लाख एच.एस.सी.सी. को शुरूआती निर्माण क्रियाओं हेतू जारी कर दिए गए है। आई0जी0एम0सी0 शिमला में चिकित्सा अनुसंधान यूनिट स्थापित की गई है । इस यूनिट में गैर–संक्रामक रोगों से सम्बन्धित अनुसंधान होगा । भारत सरकार ने आई0जी0एम0सी0 शिमला में तृतीय संरक्षण कैंसर केन्द्र स्थापित करने के लिए ₹45.00 करोड रूपये की अनुदान राशि देय करने की सहमति प्रदान कर दी है। वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 31.12.2015 तक ₹11.33 करोड के मशीनरी एवं उपकरण आई0जी0एम0सी0 शिमला के विभिन्न विभागों के लिए उपलब्ध करवाएं दिए गए हैं। सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज के लिए प्रशिक्षण ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा । जिसके लिए आई0जी0एम0सी0 के नजदीक भूमि चिन्हित कर ली गई है तथा इसके अभिग्रहण हेतु प्रक्रिया जारी है।

भविष्य योजनाएंः सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज शिमला में वार्षिक सत्र 2016–17 से एम0एस0सी नर्सिंग डिग्री कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविधालय में 11 मंजिला नये ओ0पी0डी0 ब्लॉक का निर्माण ₹56.20 करोड़ की लागत से किया जाना प्रस्तावित है। शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में विभिन्न विषयों/ पाठय्क्रमों की 9 पी0 जी0 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 की सीटें 100 से 150 करने का प्रस्ताव भी है।

वित्तीय उपलब्धियांः

इस वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए कुल बजट ₹14,328.01 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें ₹9,349.00 लाख 31.12.2015 तक व्यय किए गए।

(ख) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टांडाः–

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल

प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 50 एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के साथ 1999 में आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। वर्तमान में इस संस्थान में एम0बी0बी0एस0 के 100 विद्यार्थियों का 17वां बैच प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है। बर्न यूनिट की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा ₹440.80 लाख की स्वीकृति की गई जिसमें से ₹277.00 लाख की राशि निर्माण कार्य एवं फर्नीचर एवं उपकरण खरीदने के लिए जारी कर दी है। डॉ0 आर0पी0जी0एम0सी0, टांडा में लैकचर थिएटर, परीक्षा हाल/भवन एवं एनाटमी ब्लाक का निमार्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भारत सरकार ने इस संस्थान में एम0आर0यू0 स्थापित करने के लिए ₹1.25 करोड स्वीकृत किए है जोकि इस संस्थान के पैरा–क्लीनिकल ब्लॉक में आवश्यक मुरम्मत कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद स्थापित कर दिया जाएगा ।

भविष्य योजनाएंः–

नर्सिंग स्टाफ के लिये 120 टाईप–3 आवास, प्रथम वर्षीय एम0बी0बी0एस0 तथा पी0जी0 विद्यार्थियों के छात्रावास का निर्माण कार्य प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-II के अन्तर्गत ₹67.00 करोड़ की लागत से केन्द्र सरकार (एच.एस.सी.सी.) की सहायता से किया जाना प्रस्तावित है। जी0एन0एम0 ट्रेंनिग के लिये ₹100.00 लाख की लागत से मॉडल स्कूल भवन के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त रोगीयों एवं उनके परिजनों के लिये अच्छी सुविधा प्रदान करने हेतु सराय भवन एवं शॉपिंग कम्पलैक्स का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसके लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने सराय भवन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृती प्रदान कर दी है ।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजट ₹7,108.46 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से ₹5,160.34 लाख 31.12.2015 तक व्यय किए गए।

(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता के साथ की गई थी। वर्ष 2007–08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 स्नातकोतर विद्यार्थियों को 6 विशिष्ट एम.डी.एस. पाठयक्रम जैसे ओरल सर्जरी, पेडोडोंटिक्स, आर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑपरेटिव डेन्टिस्ट्री एवं पेरियोडोंटिक्स में दाखिला दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 20 छात्रों को डैंटल हाईजीनिस्ट एवं डैंटल मकैनिकल डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एंव पैरा मैडिकल स्टॉफ की मांग को देखते हुए किया गया तथा लोगों को पूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्य शल्य कक्ष में आधुनिक मशीनरी एवं उपकरण लगाए गए है जैसे निश्चेतन कार्य स्टेशन, निश्चेतन मॉनिटर एवं मल्टी मिडिया प्रोजैक्टर इत्यादि। इस संस्थान

द्वारा आम जनता एवं स्कूली छात्रों की दान्तों से सम्बन्धित ईलाज के लिए विभिन्न स्कूलों व गांवों में दन्त चिकित्सा के 11 दन्त कैम्प लगायें तथा 933 रोगियों का ईलाज किया गया व मुफ्त दवांईया रोगियो को वितरित की गई है। इस संस्थान द्वारा मुसकान योजना एवं मुख्य मन्त्री विद्यार्थी दन्त स्वास्थ्य योजना आरम्भ की गई तथा आई0आर0डी0पी0 व बी0पी0एल0 परिवारों के लिये मुफ्त दन्त चिकित्सा दी जा रही है।

भविष्य योजनाएंः–

इस संस्थान में तीन विषयों प्रोस्थडोंटिक्स, पैडोडोंटिक्स एवं कंजरवेटिव डैंटिस्टरी में पी.जी. पाठयक्रम आरम्भ करने हेतु स्वीकृति के लिए भारत सरकार को मामला प्रेषित किया गया है।

वित्तीय उपलब्धियांः

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल बजट ₹1,312.35 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें से 31.12.2015 तक ₹927.30 लाख व्यय किए गए।

आयुर्वेद

17.5 भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 28 आयुर्वेदिक अस्पताल, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,113 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिसमें एक कार्यशील है), 17 पंचकर्मा 9 क्षार–सूत्रा केन्द् कार्यरत है। विभाग के अंतर्गत 3 आर्युवैदिक फार्मेसियां जो कि जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, माजरा, जिला सिरमौर तथा पपरोला, जिला कांगड़ा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए. एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म, बाल रोग व रस शास्त्र की स्नातकोतर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 30 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मेसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिए ₹218.50 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें ₹197.92 करोड़ गैर योजना तथा ₹20.58 करोड़ योजना में है।

जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

17.6 राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला

बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत ₹61.98 लाख़ मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत 1 मॉडल नर्सरी प्रत्येक 4 हैक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी तथा 39 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी।

औषधि जांच प्रयोगशाला

17.7 वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के 556 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ₹3.49 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

विकासात्मक गतिविधियांः

i) वर्ष 2015–16 में आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्थानों में 4 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 1,687 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1,638 किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया। 39 पद आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बैच के आधार पर, 2 पद प्रवक्ता के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा 18 पद आयुर्वेदिक फार्मसिस्ट के, 10 पद स्टाफ नर्स के तथा 7 पद लीपिक के भरे गये।

ii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसीः**
वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफ्त वितरण हेतु दवाईयों का उत्पादन किया जा रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को कियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है। विभाग की तीनों फार्मेसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतु क्रय कर रहा है जोकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः**
इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 155 सृजित पदों के विरूद्ध 135 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

वर्ष 2016–17 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य

विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये 5 नये आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

18. समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

18.2

क) वृद्धावस्था पैंशनः–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है परन्तु 80 वर्ष से कम हो तथा उनकी देख–रेख/ पालन पोषण का उचित साधन न हों व जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो को ₹600 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्वों और पैशनरों को बिना किसी आय सीमा के ₹1,100 प्रतिमाह की दर से पैंशन दी जा रही है।

ख) अपंग राहत भत्ताः– ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को ₹600 प्रतिमाह की दर से पैंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अंपगता वाले व्यक्तियों को ₹1,100 प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्वावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1,56,337 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु ₹17,103.59 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹11,719.20 लाख व्यय किए जा चुके है।

ग) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन :–ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, इनको भी ₹600 प्रति माह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 70,360 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹8,918.63 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹4,343.80 लाख व्यय किए जा चुके है ।

घ) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोगियों को ₹600 प्रति माह कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना

हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹119.50 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹67.20 लाख व्यय किए जा चुके है ।

ड़) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना** :–इस योजना के अर्न्तगत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 90,000 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹3,581.63 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹2,480.24 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

च) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना**:–इस योजना के अर्न्तगत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20,933 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹876.92 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹607.87 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

छ) **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना**:–इस योजना के अर्न्तगत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 809 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹61.45 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹22.26 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

18.3 उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अर्न्तगत केन्द्र सरकार से वृद्वावस्था पैंशन हेतु ₹200 व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों हेतु ₹500 पैंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। जबकि विधवा पैंशनरों व विकलांगता पैंशनरों हेतु ₹300 पैंशनर की दर से प्राप्त होते है। शेष राशि वृद्वावस्था पैंशन हेतु ₹400 व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹900 तथा विधवा पैंशनरों हेतु ₹300 प्रति पैंशनर की दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्वावस्था तथा विधवा पैंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पैंशनरों को एक सामान की दर से ₹600 प्रति माह व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों को ₹1,100 प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ₹800 प्रति माह प्रति पैंशनर की दर से व मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय वहन कर रही है जिसका बजट प्रावधान राज्य अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले सभी पैंशनरों को एक सामान की दर से ₹1,100 प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके।

स्वरोजगार योजना

18.4 विभाग तीन निगमों द्वारा जो कि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं

विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अर्न्तगत राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2015–16 के लिए ₹637.00 लाख के बजट का प्रावधान है तथा 31.12.2015 तक ₹482.00 लाख की राशि जारी कर दी गई है।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

18.5 इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:–

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहनः**–अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अर्न्तगत अन्तर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹194.00 लाख के बजट में से 245 दम्पतियों के लक्ष्य के विरूद्ध 390 दम्पतियों को 31.12.2015 तक ₹158.50 लाख प्रदान किये गए हैं।

ii) **गृह अनुदानः**–इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो, को ₹75,000 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु ₹25,000 आवास मुरम्मत हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में ₹2,346.00 लाख के बजट प्रावधान में 3,128 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 2,426 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान 31.12.2015 तक ₹1,737.51 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया है।

iii) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः**– इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा ₹1,200 प्रति माह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को ₹1,000 प्रति माह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को ₹1,500 प्रति माह राशि दी जाती है। वर्ष 2015–16 के लिए ₹351.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2015 तक ₹71.66 लाख व्यय किए गए तथा 2,766 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यक्रमः**– इस योजना के अर्न्तगत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय

₹35,000 से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए 21.8.2015 से ₹1,800 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹115.40 लाख बजट का प्रावधान रखा गया तथा ₹68.11 लाख की राशि 31.12.2015 तक व्यय की गई जिससे 6,525 लाभार्थीयों में से 3,511 लाभार्थी लाभान्वित हुए।

v) **अनु0 जाति जन जाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अर्न्तगत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः**– उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उन परिवारों को वित्तीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को ₹90,000 से ₹7.50 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है जो कि अत्याचार के प्रकार पर निर्भर है। वर्ष 2015–16 के लिए ₹50.00 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से ₹14.58 लाख की राशि 31.12.2015 तक व्यय करके 35 परिवारों को सहायता दी गई।

विकलांग कल्याण

18.6 विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2015 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से हैः–

i) **विकलांग छात्रवृतिः**– इसका मुख्य उद्वेश्य श्रवणदोष विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, बिना किसी आय सीमा के इस घटक के अर्न्तगत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृति ₹350 से ₹750 प्रति माह तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ₹1,000 से ₹2,000 तक प्रति माह छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक ₹97.86 लाख के बजट में से ₹61.88 लाख व्यय किए गए तथा 987 विधार्थियों को लाभान्वित किया गया।

ii) **विकलांग विवाह अनुदानः**– सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के आशय से जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक हो को ₹8,000 तथा 70 प्रतिशत से ऊपर वाले को ₹40,000 तक राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अर्न्तगत ₹35.85 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2015 तक ₹21.11 लाख व्यय हुए जिससे 130 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

iii) **जागरूकता अभियानः**–इस घटक के अर्न्तगत खण्ड एवं जिला स्तर के शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। इन

शिविरों में विकलांग जनों के चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। वर्ष 2015–16 में ₹10.00 लाख की राशि का प्रावधान है। 31.12.2015 तक इस योजना के अंतर्गत ₹5.70 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

iv) **स्वः रोजगारः**– 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिस पर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ₹10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक निगम द्वारा 62 विकलांग व्यक्तियों को ₹245.36 लाख के ऋण उपलब्ध करवाये गये। अल्पसंख्यक निगम से अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

v) **कौशल विकासः**–चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और ₹1,000 प्रति माह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष 47 विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तकनीकी शिक्षा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

vi) **पुरस्कार योजनाः**– इस योजना के अर्न्तगत निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को ₹10,000 व श्रेष्ठ निजी नियोजक को ₹5,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए ₹0.50 लाख का प्रावधान है।

vii) **विशेष योग्यता वाले बच्चों को शिक्षाः**– प्रदेश में मूक बधिर व दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो संस्थान ढली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में 18 दृष्टिवाधित तथा 88 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए ₹38.00 लाख के बजट में से 31.12.2015 तक ₹8.77 लाख व्यय हुए हैं हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे ढली (शिमला) तथा दाड़ी (कांगड़ा) विद्यालयों के लिए ₹110.00 लाख की बजट के विरूद्ध ₹50.45 लाख जारी किए। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम ऊना तथा आस्था कल्याण समिति, नाहन में 50 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों तथा 20 मानसिक रूप से अविकसित व्यस्कों के रहने तथा पढ़ाई फीस, आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष ₹36.00 लाख का बजट प्रावधान था और

31.12.2015 तक ₹26.03 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

viii) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः**–प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में ₹15.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति उपयोजना

18.7 प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्र में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं। जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.09 प्रतिशत है।

18.8 अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

18.9 अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

18.10 अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष "789" बनाया है। इस निधि को एक योजना से दूसरी योजना के अर्न्तगत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अर्न्तगत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति उप योजना में राज्य योजना के अर्न्तगत आंवटित बजट ₹1,220.14 करोड़ में से ₹453.99 करोड़ 30.9.2015 तक व्यय किए जा चुके हैं। वार्षिक अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत 2016–17 में ₹1,309.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.11 जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की

गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जो कि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम का 10 (क)

18.12 वर्ष 2007 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2015–16 में 9,104 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 7,466 परिवार 30.09.2015 तक लाभान्वित हुए।

बाल कल्याण

18.13

क) मुख्यमन्त्री बाल उद्धार योजना

अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), शिल्ली (तिस्सा), कल्पा, भरनाल, कलेही, मैहला, देहर (मण्डी), और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) टुटीकण्डी, मसली (शिमला), समूरकलां (ऊना) अर्की, कलसुइन, साहू (चम्बा) सुन्दरनगर (मण्डी), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किलाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन आश्रमों में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क खाने–पीने तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है, तथा नौकरी सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा केरियर मार्गदर्शन व उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन आश्रमों में 1,160 बच्चों के रहने की सुविधा है और वर्तमान में 614 बच्चे रह रहे है। चालू वित्तीय वर्ष में ₹359.30 लाख का प्रावधान है तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹189.70 लाख खर्च किए जा चुके हैं। मशोबरा में ₹616.82 लाख की लागत से लड़कियों के लिए माडॅल बाल गृह बनाया जा रहा है तथा हीरानगर (टूटू) शिमला ₹204.23 लाख की लागत से बनने वाला स्रंपेक्षण गृह निर्माणधीन है।

ख) बाल/बालिका सुरक्षा योजनाः

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जिनका पालन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित अन्य परिवार के पालना दम्पति द्वारा किया जाता है, ऐसे इच्छुक हिमाचली दम्पत्तियों को, जिनकी कुल आयु 105 वर्ष से अधिक नहीं है, तथा परिवार की कुल मासिक आय ₹5,000 से कम नही है को वित्तीय सहायता दी

जाती है। भारत सरकार से ₹1,800 प्रति बच्चा प्रति माह की दर से अनुदान सहायता की स्वीकृति के उपरान्त वित्त वर्ष 2015–16 में यह ₹2,300 प्रति बच्चा प्रति माह कर दी गई है। 31.12.2015 तक 191 पात्र बच्चों को लाभान्वित कर ₹26.36 लाख व्यय किये गए है।

ग) **समेकित बाल संरक्षण योजनाः** कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों में कमी लाने मे जिनकी वजह से बच्चे उपेक्षा एंव शोषण के शिकार होते तथा अपने मां–बाप से अलग हो जाते है के लिए इस योजना के अर्न्तगत बच्चों को अस्थाई आश्रय देने के लिए बल्देयां (शिमला), तथा धर्मशाला में दो आश्रय स्थापित किए गए है। किशोर न्याय अधिनियम के कियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी जिलों में किशोर न्यायबोर्ड, बाल कल्याण समितियां एंव जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किए गए है। जिला बाल संरक्षण इकाईयां चार जिलों कमशः शिमला, मण्डी, कांगड़ा और चम्बा में स्थापित की गई है। चाईल्ड लाईन टेलीफोन सेवा 1098 सात जिलों कमशः शिमला, कुल्लू, कांगड़ा सोलन, मण्डी, चम्बा, तथा सिरमौर में स्थापित की गई है। देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत केन्द्र द्वारा ₹1,269.67 लाख आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 31.12.2015 तक ₹816.49 लाख व्यय कर दिए गए हैं।

घ) **समेकित बाल विकास सेवाएं** समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में कुल 18,385 आंनवाड़ी केन्द्रों व 537 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं को सेवायें प्रदान की जा रही हैं। विभाग द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाएं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवायें, पाठशाला पूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। वित्त वर्ष 2015–16 के अर्न्तगत प्रावधित बजट ₹19,978.00 लाख था, जिसमें से ₹1,978.00 लाख राज्य का हिस्सा व केन्द्र का हिस्सा ₹18,000.00 लाख है, तथा नवम्बर,2015 तक ₹9,927.01 लाख व्यय किए गए, जिसमें राज्य का हिस्सा ₹794.29 तथा केन्द्रीय हिस्सा ₹9,132.72 का था। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रति माह कमशः ₹3,000, ₹1,500 व ₹2,250 का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपनी 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अतिरिक्त कमशः ₹450, ₹300 तथा ₹375 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी

कार्यकताओं को प्रति माह प्रदान कर रही है।

ड़) पूरक पोषाहार कार्यक्रमः

समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम के अर्न्तगत विशेष पोषाहार कार्यक्रम में आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी.पी.एल. किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष भर में 300 दिनों के लिए पोषाहार दिया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिए पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चों को ₹6, गर्भवती/ धात्री माताएं को ₹7, बी.पी.एल., किशोरियों को ₹5 तथा अति कुपोषित बच्चों को ₹9 तय किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। वर्ष 2015–16 में इस कार्यक्रम के अर्न्तगत ₹2,999.00 लाख का राज्य हिस्सा व ₹3,366.07 लाख भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है। जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹3,740.08 लाख व्यय हुआ है व 4,46,211 बच्चे, 1,01,386 गर्भवती/ धात्री माताएं तथा 35,780 बी.पी.एल. किशोरियां लाभाविन्त हुई है।

महिला कल्याण

18.14 महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। प्रमुख योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैंः–

क) नारी सेवा सदन मशोवराः– इस योजना का मुख्य उद्देश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोबरा में 34 महिलाएं रह रही है। वित्त वर्ष 2015–16 में आवासियों की सुरक्षा के लिए ₹24.57 लाख की लागत से चारदीवारी का निर्माण किया गया है तथा सदन में सी.सी. टी.वी. (CCTV) कैमरे भी लगाए हैं। महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि कोई आवासी महिला शादी करती है तो उसे ₹25,000 की सहायता दी जाती है। इस वर्ष एक आवासी महिला को सदन छोड़ने पर ₹20,000 की पुर्नवास सहायता दी गई। वर्ष 2015–16 में ₹51.06 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर,2015 तक ₹31.90 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः–इस कार्यक्रम के अर्न्तगत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए ₹25,000 का अनुदान दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो। वर्ष 2015–16 में इस उद्वेश्य के लिए ₹566.25 लाख का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹378.98 लाख खर्च किये गये तथा 1,516 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया।

ग) महिला स्वरोजगार सहायताः– इस योजना के अर्न्तगत ₹5,000 दिनांक 19.12.2015 से उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतु प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है। इस

योजना के अर्न्तगत ₹10.00 लाख का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2015 तक ₹6.35 लाख की राशि व्यय करके 254 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

घ) **विधवा पुर्नविवाह योजनाः**— इस योजना का उद्वेश्य विधवाओं को पुर्नविवाह के लिए प्रेरित करके पुर्नवास करना है। इस योजना के अर्न्तगत दम्पति को ₹50,000 के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2015—16 के दौरान इस योजना के अर्न्तगत ₹68.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक 110 दम्पतियों को ₹55.00 लाख दिए गए।

ड़) **मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजनाः**— इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय ₹35,000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु ₹3,000 प्रति वर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2015—16 के लिए ₹858.91 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक ₹457.26 लाख व्यय किये गए तथा 21,214 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

च) **इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** :— इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का संचालन जिला हमीरपुर में किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य 19 वर्ष या उससे ऊपर की गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं के स्वास्थ्य एंव पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा लाभार्थी महिला की मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है ताकि लाभार्थी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े। वित्तीय वर्ष 2014—15 तक यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित थी जो इस वित्तीय वर्ष से 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत कुल ₹6,000 प्रति लाभार्थी की दर से आर्थिक सहायता दो किश्तों में दी जाती है, पहली किश्त गर्भवस्था की तीसरी तिमाही के दौरान तथा दूसरी किश्त प्रसव के 3 माह के पश्चात दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत उपलब्ध कुल ₹298.20 लाख में से 31.12.2015 तक 5,832 महिलाओं को लाभान्वित कर ₹295.17 लाख व्यय किए गए हैं।

छ) **माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजनाः** इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अथवा ₹35,000 वार्षिक से कम आय वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन

जाति के परिवारों की महिलाओं को अनुदान प्रदान करके उन्हें कठिन परिश्रम से राहत दिलवाने के आशय से गैस कनैक्शन खरीदने हेतु सहायता दी जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 75 महिलाओं को लाभान्वित करना है, तथा प्रदेश में 5,100 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अर्न्तगत गैस कनैक्शन खरीदने पर कुल लागत के 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति जिसकी अधिकतम सीमा ₹1,300 है, उपदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2015–16 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹66.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2015 तक ₹65.98 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 2,484 गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

ज) **विशेष महिला उत्त्थान योजनाः–** राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरें में हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुर्नवास के लिए विशेष महिला उत्थान योजना बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना शुरू की है। योजना के अर्न्तगत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से छात्रवृति चालू वित्त वर्ष में ₹74.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2015 तक 240 महिलाओं को 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झ) **बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012**ः यह योजना दिनांक 22.9.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ताकि उनका पुर्नवास किया जा सके। विशेष परिस्थितियों में अवयस्कों को ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2015–16 में ₹66.00 लाख के बजट का प्रावधान है जिससे 30 महिलाओं को दिसम्बर, 2015 तक वित्तीय सहायता दी गई है।

ञ) **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाः** लिंग भेदभाव का समापन, निवारण करने, बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा बालिका की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को 22.1.2015 से देश के 100 जिलों में शुरू किया गया। यह योजना बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने और उसमें सुधार वृद्धि करने का प्रयास है। प्रदेश में इस योजना को ऊना जिले में, जहां बाल लिंगानुपात न्यूनतम पाया गया, लागू किया गया है। इस योजना के

माध्यम से जन समुदाय को घटते हुए लिंगानुपात के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अर्न्तगत् विभिन्न जागरूकता कार्य–कलापों के आयोजन पर ₹89.50 लाख व्यय किए जा रहे हैं।

बेटी है अनमोल योजना

18.15 परिवार तथा समुदाय की शिशु कन्या तथा महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने तथा लड़कियों के स्कूल में नामांकन के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना 5.07.2010 प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के नाम बैंक/ डाकघर में ₹10,000 जमा कर दिए जाते हैं। जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा आहरित किए जा सकते है तथा स्कूल जाने पर इन लड़कियों को जमा दो कक्षा तक छात्रवृति दी जाती है। सरकार ने 23.07.2015 से छात्रवृति की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। नई/ संशोधित दरें ₹450 प्रति वर्ष से ₹2,250 प्रति वर्ष के बीच है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के अर्न्तगत ₹946.65 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर, 2015 तक ₹518.70 लाख व्यय किये जा चुके हैं तथा 16,111 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

किशोरी शक्ति योजना

18.16 किशोरी शक्ति योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित थी जो इस वित्तीय वर्ष से 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। योजना प्रदेश के 8 जिलों शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मण्डी, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा लाहौल–स्पिति में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के अर्न्तगत गैर पोषाहार घटक पर प्रति वर्ष प्रति परियोजना ₹1.10 लाख तक व्यय करने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में, दिसम्बर, 2015 तक ₹14.36 लाख की राशि खर्च कर दी गयी है। इस योजना के अर्न्तगत 35,258 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 436 किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, 1,04,888 किशोरियों किशोरियों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई है।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–(सबला):

18.17 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप मे 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बन्धी ज्ञान को बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक इस योजना के पोषाहार घटक का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया

गया तथा गैर–पोषाहार घटक शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। इस वित्तीय वर्ष 2015–16 से योजना के दोनो घटकों में 90:10 के अनुपात मे भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना प्रदेश के चार ज़िलो क्रमशः सोलन, कुल्लू, कांगड़ा तथा चम्बा में चलाई जा रही है। योजना के अर्न्तगत पोषाहार तथा गैर पोषाहार दो मुख्य घटक है। गैर पोषाहार घटक में ₹3.80 लाख प्रति बाल विकास परियोजना प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान है। पोषाहार घटक में किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पोषाहार उपल्ब्ध करवाया जाता है।

पोषाहार पर ₹5.00 प्रति किशोरी प्रति दिन की दर से व्यय किया जाता है। गैर पूरक पोषाहार के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल राशि ₹84.72 लाख थी तथा ₹44.80 लाख व्यय किए गए। पूरक पोषाहार के अधीन दिसम्बर, 2015 तक ₹741.62 लाख व्यय किए गए। चालू वित्त वर्ष में 31.12.2015 तक 1,02,673 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 1,45,136 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 247 को व्यावसायिक प्रशिक्षण, 1,14,483 को परिवार कल्याण, अर्श बच्चों की देखरेख सम्बन्धी ज्ञान, 11,243 को जीवन कौशल शिक्षा व 2,409 किशोरियों को जन सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया हैं।

19. ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास

19.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

19.2 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के स्थान पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रदेश में 1.04.2013 से आरम्भ किया गया जिसका कार्यन्वयन चरणबद्व तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 विकास खण्डों नामतः कण्डाघाट, बसंतपुर, मण्डी (सदर), नूरपुर और हरोली को कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत स्वरोजगार गतिविधियों जैसे कि ऋण वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता विकास एवं संस्थागत निर्माण आदि का कार्यन्वयन प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए ₹4.87 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है जिसे उक्त गतिविधियों के कार्यन्वयन पर व्यय किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कुल 2,010 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोडना प्रस्तावित है जिन्हें ₹30.00 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों नामतः शिमला व मण्डी में समस्त महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा शेष 10 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है। किन्तु उक्त ब्याज दरें मात्र उन स्वयं सहायता समूहों के लिए ही लागू होगी जिनकी ऋण अदायगी समय सीमा के भीतर नियमानुसार हुई हो।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) के घटक आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार/ई.सी. द्वारा 17 परियोजनाओं का अनुमोदन हाल ही में किया है इसके अन्तर्गत् ₹166.49 करोड़ राशि का वहन भारत तथा राज्य सरकार के मध्य 75:25 की भागीदारी में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 49,537 ग्रामीण युवकों को विभिन्न ट्रेड में 3 वर्षों के अन्तराल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तथा इन प्रशिक्षित युवकों में से 40,170 युवकों को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2015 तक जिला वार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्व उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 19.1

जिला	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (₹लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उप–लब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
बिलासपुर	100	79	150	67.20
चम्बा	230	163	360	89.30
हमीरपुर	125	94	160	109.76
कांगडा	310	257	500	363.65
किन्नौर	15	12	30	8.80
कुल्लू	70	90	90	70.20
लाहौल–स्पिति	15	15	30	4.50
मण्डी	540	617	780	635.94
शिमला	310	290	480	274.76
सिरमौर	75	68	110	52.70
सोलन	110	103	160	63.28
ऊना	110	158	150	99.20
हि0प्र0	**2010**	**1946**	**3000**	**1839.29**

वाटरशैड विकास कार्यकम

19.3 प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर क्षेत्रों भूमि, सूखा ग्रस्त मरूस्थल क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लयू.एम.पी) चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (869 माइक्रो वाटरशैड) जिनकी कुल लागत ₹254.12 करोड़ है तथा 4,52,311 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत ₹116.50 करोड़ तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सूक्ष्म जलागम परियोजनाएं जिनकी कुल लागत ₹159.20 करोड़ है जोकि 2,36,770 हैक्टेयर भूमि के विकास हेतु स्वीकृत हुई है। इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर, 2015 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.एम.पी.) के अन्तर्गत ₹245.22 करोड़ सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) पर ₹113.96 करोड़ तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत ₹112.40 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना (आई.डब्लयू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 से 2014–15 में प्रदेश के सभी जिलों के लिए 163 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत ₹1,259.96 करोड़ है तथा 8,39,972 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹197.01 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित जिलों को (90:10 केन्द्र एवं राज्य भाग क्रमश:) आवंटित की जा चुकी है तथा इस आवंटित राशि में से दिसम्बर, 2015 तक ₹193.63 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

इन्दिरा आवास योजना

19.4 इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को ₹75,000 प्रति परिवार के हिसाब से नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में कर दी गई है। वर्ष 2015–16 में कुल 2,635 नए मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में

दिसम्बर, 2015 तक 2,128 मकान स्वीकृत कर दिए गए हैं, जोकि निर्माणाधीन हैं तथा 165 मकानों का निर्माण 2.01.2016 तक किया जा चुका है। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹2.11 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है।

मातृ शक्ति बीमा योजना

19.5 यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू–स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती हैः–

i) मृत्यु पर ₹ 1.00 लाख
ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर ₹1.00 लाख
iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर ₹1.00 लाख
iv) एक कान या एक अंग की क्षति पर ₹ 0.50 लाख
v) पति की मृत्यु पर ₹1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 118 परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत ₹117.50 लाख की धन राशि सहायता के रूप में प्रदान की गई हैं ।

राजीव आवास योजना

19.6 यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को नये मकान के निर्माण हेतु ₹75,000 की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिए 2,333 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्व 1,280 मकानों की स्वीकृती प्रदान कर दी गई है तथा 503 मकान निर्मित किए जा चुके हैं। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अन्तर्गत ₹269.49 लाख व्यय किये जा चुके है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

19.7 भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम को दिनांक 2.10.2014 से प्रारम्भ किया है तथा यह भी निर्णय लिया है कि स्वच्छ भारत–2019 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को मिशन मोड़ में चलाया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य बदलाव के अन्तर्गत बिना शौचालय के शेष बचे वी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 (Identified) परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पर ₹12,000 का अनुदान देने का प्रावधान 2.10.2014 से किया गया है जबकि निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) में अनुदान केवल ₹5,100 था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन को प्रत्येक ग्राम पंचायत में परियोजना आधार पर क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवार की संख्या 150, 300, 500 व 500 के आधार पर क्रमशः ₹7.00, ₹12.00, ₹15.00 व 20.00 लाख प्रदान किये जा सकते हैं।

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 12 जिलों में परियोजना आधार पर चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है।

निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.) की वर्तमान स्वीकृत परियोजना अनुसार 31.12. 2015 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न सारणी के अनुसार हैः–

वित्तीय प्रगति सारणी–19.2

(राशि लाख ₹ में)

भाग	कुल परियोजना परिव्यय	जारी राशि 1.4.2012 से आगे	खर्चा 1.4.2012 से आगे
केन्द्र	60195.67	18170.24	11724.46
राज्य	23185.98	5990.22	2678.15
लाभार्थी	1874.03	134.41	134.41
कुल	85255.68	24294.87	14537.02

भौतिक प्रगति सारणी–19.3

घटक	लक्ष्य जो 1–4–2012 को निर्धारित किए गए	उपलब्धि	टिप्पणी
व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL)	202746 (BPL-26,829 APL-175917)	113145	-
स्कूल शौचालय	6130	2035	यह घटक स्वच्छ भारत मिशन में शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।
आंगनबाड़ी शौचालय	1997	1109	
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	1593	490	
ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन	3243 GPs		इस घटक का कार्यन्वयन चरणबद्व तौर पर होना है। वर्ष 2014–15 के लिए 477 ग्राम पंचायतों का चयन किया है।
बाहय शौच मुक्त ग्राम पंचायतें	3243		1583 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाहय शौच मुक्त घोषित किया है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार इन पंचायतों के इस दर्जे के सत्यापन की प्रकिया जारी है।

वर्ष वार प्रगतिः–

वितीय प्रगति सारणी–19.4

(राशि लाख ₹ में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	जारी राशि	खर्चा	जारी राशि	खर्चा
2012-13	1666.96	1659.06	501.63	557.86
2013-14	3049.74	2261.76	1091.62	783.10
2014-15	13016.73	3057.18	2155.01	681.74
2015-16 दिसम्बर, 2015 तक	436.81	4746.46	2241.96	655.45

भौतिक प्रगति सारणी–19.5

वर्ष	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	स्कूल शौचालय	आंगनबाड़ी शौचालय	सामुदायिक शौचालय परिसर
2012-13	कोई उपलब्धि नहीं, क्योंकि परियोजना स्वीकृति चरण पर थी।	1215	1066	163
2013-14	9170	638	38	148
2014-15	54265	182	5	82
2015-16 Upto 12/15	49710	इन घटकों का कार्य शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण विभागों को सौंप दिया गया है		97

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजनाः

19.8 महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के दिशा निर्देशों अनुसार महिला मण्डल जिनके द्वारा अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने व इसके स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के

लिए इस योजना में ₹131.04 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है।

राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

19.9 प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹1.00 लाख
2. जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹3.00 लाख
   क) 300 से कम ग्राम पंचायतों के लिए जिला में एक पुरस्कार
   ख) 300 से अधिक के ग्राम पंचायतों के लिए जिला में दो पुरस्कार
3. मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹10.00 लाख

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2014–15 के लिए ₹148.00 लाख की पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।

स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजनाः

19.10 राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के तहत राज्य प्रोत्साहन योजना दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना में हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना है जो प्रति वर्ष फरवरी माह से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल तक चलती है।

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹50,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार ₹20,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ₹10,000

इस योजना में कुल वार्षिक पुरस्कार राशि ₹88.20 लाख है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

19.11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

को अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी,2006 में इसे लागू किया गया। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्ड़ी और जिला कांगड़ा 1.04.2007 से लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1.04.2008 से इस योजना को लागू किया गया है।

वर्ष 2015–16 तक भारत सरकार द्वारा ₹35,110.49 लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹3,657.47 लाख रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं तथा प्रदेश में वितीय वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) के दौरान ₹36,329.65 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 3,76,265 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 147.78 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गए हैं।

20. आवास एवं शहरी विकास

आवास

20.1 हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फ्लैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है।

20.2 वर्ष 2015–16 में ₹13,384.05 का बजट में प्रावधान रखा गया था जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2015 तक ₹7,076.32 लाख का व्यय हुआ। इस वर्ष के दौरान 64 फ्लैटों का निर्माण व 155 प्लाटो को विकसित किया गया।

20.3 वर्ष 2015–16 के दौरान हिमुडा द्वारा 40 भवनों का निर्माण किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान 122 फ्लैटों का निर्माण, 145 प्लाटों को विकसित करने तथा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे कि सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवायें, पशु पालन, शिक्षा, मछली पालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज और आर्युवेदा विभाग का निर्माण कर रहा है।

20.4 ठियोग, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला परवाणु और जुरजा (नाहन) भटोलीखुरद (बद्दी) में आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और छवगरोटी, फ्लावरडेल और परवाणू का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में हिमुड़ा के पास 454.12 बीघा जमीन विभिन्न स्थानों पर है और भूमि अर्जित का कार्य भी कार्य भी विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है।

20.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 में नई आवासीय स्कीम के अंतर्गत शील (सोलन), बटोलीखुरद, त्रिलोकपुर (नाहन) और वाणिज्य परिसर समीप पेट्रोल पम्प विकासनगर, शिमला में निर्माण कार्य किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीनकरण मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबो के लिए मूलभूत सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 176 फ्लैटों (आशियाना–2) ढली, शिमला में निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत हमीरपुर में 72 फ्लैटों का, परवाणु में 192 फ्लैटों का निर्माण और नालागढ़ 128 फ्लैटों का कार्य पूर्ण किया है। यु0आई0डी0एस0एस0 एम0टी0 के अन्तर्गत हिमुडा ने मण्डी कस्बे में सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य किया है।

20.6 मानवीय अवलोकन को कम करने व पारदर्शिता लाने के लिये ई–गवरनेंस को लागू किया है और मुख्य कार्यालय स्तर पर आंकड़ो का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसके साथ लेखा प्रणाली के सुधार के लिए इन्टर प्राईस रिसोर्स प्लानिंग की स्थापना की है। हिमुडा ने भूस्वामी तथा हिमुडा की विकास कार्यों में सहभागिता के लिए एक योजना भी शुरू की गई है।

शहरी विकास

20.7 संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं क्रियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। वर्तमान नगर निगम शिमला व धर्मशाला समेत कुल 54 शहरी स्थानीय निकाय है शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। चतुर्थ राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2015–16 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹8,351.32 लाख की राशि प्रदान की गई है। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा उनके आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी शामिल है।

एकीकृत गृह एवं मलीन बस्ती विकास योजनाः–

20.8 इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी युनिट दो कमरे एक रसोई तथा शौचालय के निर्माण का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत है। एक रिहायशी युनिट ₹1.00 लाख की लागत से बनाया जाना है यह योजना जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में ₹5,283.07 लाख (₹3,794.42 लाख केन्द्र तथा ₹1,488.65 लाख राज्य सरकार) की राशि आठ योजनाओं (हमीरपुर, धर्मशाला, सोलन, परवाणु, बद्दी, नालागढ़, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट) को जारी कर दी गई है जिसके अंतर्गत 596 आवासीय ईकाईयों का निर्माण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹20.00 लाख का बजट प्रावधान जो कि 31.03.2016 तक खर्च कर लिया जायेगा।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख–रखावः

20.9 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कें, रास्ते तथा 1,139 किलोमीटर गलियों का रखरखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों गलियों तथा रास्तों का रखरखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें ₹600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदान किये गये हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

20.10 इस महत्वमूर्ण योजना का उददेश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को क्षमता विकास, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार अवसर प्रदान करना है ताकि वे गरीबी की परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक संपन्न अथवा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। यह योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है।

इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैंः–

1. कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार।
2. सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास।
3. क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।
4 स्वरोजगार कार्यक्रम।

5 बेघर के लिए आश्रम।
6 शहरी स्ट्रीट वेन्डर को सहारा।
7 अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं।

इस योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2015–16 में केन्द्र सरकार द्वारा ₹588.86 लाख तथा ₹65.39 लाख राज्य भाग के रुप में जारी कर दिये गये हैं। इस योजना में 2,140 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें से 250 प्रशिक्षणार्थियों को (ई.एस.टी.पी. के माध्यम से) रोजगार प्रदान किया गया है। नेहरु युवा केन्द्र की सहायता से 570 (एस.एम. आई.डी. के अन्तर्गत्) स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। शहरी आवासरहित लोगों के लिए 7 प्रस्तावनाएं अनुमोदित कर ली गई हैं। 10 जिला मुख्यालय शहरों के लिए City Street Vending Plan बनाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा इसका कार्य मै0 हरियाणा नवयुवक कला संगम को दे दिया गया है।

छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना (यु0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0)

20.11 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना को पुनः संरचित कर इसका नाम छोटे तथा मध्यम शहरों में संरचना विकास योजना(यु0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 18 परियोजनाएं जिसमें पानी की आपूर्ति, मल निकास एवं शहरी ढांचे का निर्माण शामिल है, के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत् 13 शहरों में धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, सरकाघाट, रिवाल्सर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, परवाणु, नालागढ़ तथा बद्दी को लाया जा चुका है जिसमे अनुमोदित योजना लागत ₹40,654.11 लाख हैं जिसमें ₹21,455.47 लाख राज्य भाग समेत जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹5,400.00 लाख केन्द्रीय भाग तथा ₹695.00 लाख राज्य भाग का बजट प्रावधान है जोकि वर्तमान वित्त वर्ष में इस्तेमाल कर लिया जाएगा।

राजीव आवास योजना

20.12 मलीन बस्तियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना का उद्देश्य निश्चित तरीके से मलीन बस्ती में रहने वालों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है। इसमें निम्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना हैः–

- मौजूदा मलिन बस्तियों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और इन्हें सुदृढ करना ताकि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सके।
- औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी हैं ।
- शहरी भूमि और आवास की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हुए है।
- भारत सरकार ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत शिमला शहर के कृष्णानगर स्लम के लिए ₹3,399.65 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस

परियोजना के अंतर्गत कृष्णानगर स्लम में 300 घरों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 224 लाभार्थी परिवारों को उसमें बसाया जाएगा तथा 76 आवास किराये के आधार पर दिये जाएगें। इस योजना में अभी तक ₹1,067.20 लाख जारी किये जा चुके है। बच्चों के पार्क का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा रिहायशी मकान को सड़क से जोड़ने के लिए निविदाओं का कार्य प्रगति पर है।

प्रधान मन्त्री आवास योजना

20.13 इस परियोजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, मल–व्यवस्था, सड़क, बिजली इत्यादि के साथ गरीब व्यक्तियों को आवास प्रदान करवाना है। योजना 90:10 के आधार पर प्रथम चरण में राज्य के 13 शहरों के लिए लागू की जाएगी।

केन्द्रीय वितायोग अनुदान

20.14 13वें वित्तायोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जो कि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर व 40 प्रतिशत श्रेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक ₹2,448.38 लाख सामान्य बुनियादी अनुदान लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी किये जा चुके हैं।

मल व्यवस्था योजना

20.15 वित्त वर्ष 2015–16 में प्रदेश के शहरों में चल रही मल निकासी व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने हेतु ₹2,244.00 लाख. सामान्य योजना तथा ₹756.00 लाख विशेष घटक योजना में उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से ₹1,619.44 लाख सामान्य योजना तथा ₹151.00 लाख विशेष घटक योजना में सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। यह योजना सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

शहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन

20.16 अमरूत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई योजना है। इस योजना के अंतर्गत पानी, मल व्यवस्था, नालियों का निर्माण, शहरी यातायात व्यवस्था, पार्कों का निर्माण व क्षमतावर्धन आदि घटकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों को 50 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 158.82 करोड़ की कार्यवृत योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रुप में ₹15.88 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।

स्मार्ट सिटी मिशन

20.17 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत प्रथम स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर धर्मशाला शहर

का चयन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक ₹100.00 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष जारी की जाएगी तथा इसी के बराबर का भाग राज्य सरकार द्वारा भी जारी किया जायेगा। पहले 20 शहरों की सूची भारत सरकार द्वारा द्वितीय स्तर की प्रतियोगिता के उपरान्त जारी कर दी जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन

20.18 इस योजना का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को किया गया। इस योजना के मिशन की अवधि 5 साल की है जो कि 2 अक्तूबर, 2019 तक है। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैः–

- घरेलू शौचालय में अस्वच्छ शौचालयों का रुपांतरण कर फ्लश शौचालय बनाना।
- समुदायिक शौचालय।
- सार्वजनिक शौचालय।
- ठोस कचरा प्रबंधन।
- आई.इ.सी. एवं जन जागरुकता।
- क्षमतावर्धन, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व कार्यालय व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा ₹602.00 लाख की राशि जारी की गई है और वित्त वर्ष 2014–15 में राज्य द्वारा ₹66.89 लाख जारी की गई थी।

नगर एवम् ग्राम योजना

20.19 सन्तुलित विकास और विनियमन द्वारा भूमि संसाधनों में कमी के दृष्टिगत जनसांख्यिक और सामाजिक आर्थिक तथ्यों का विवेकपूर्ण उपयोग करके कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 33 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.42 प्रतिशत) और 34 विशेष क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत) है में लागू किया गया है। नारकंडा योजना क्षेत्र और अतिरिक्त सराहन विशेष क्षेत्र के लिए भू–उपयोग मानचित्र व रजिस्टर तैयार किए गए। बददी बरोटीवाला विशेष क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसे अधिसूचित कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीयकरण का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।

20.20 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2016–17 हेतु निम्नलिखित योजना क्षेत्रों, विशेष योजना क्षेत्रों, आंचलिक क्षेत्रों के गठन, वर्तमान भू–उपयोग मानचित्रों, विकास योजना और क्षेत्रीय योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :–

i) अतिरिक्त बिलासपुर योजना क्षेत्र गठन करना ।
ii) संगडाह दौलाकुआं– माजरा और अम्ब गगरेट योजना क्षेत्रों हेतु भू–उपयोग मानचित्रों को तैयार करना।
iii) शिमला, घुमारवीं, अम्ब गगरेट, नादौन, सुन्दरनगर, बैजनाथ, पपरोला, धर्मशाला, नग्गर, मनिकर्ण, रिकांगपिओ, हाटकोटी, बीरबिलिंग,

नैरचौक और गरली परागपुर हेतु विकास योजना तैयार करना ।

20.21 विभाग द्वारा प्रारुप विकास योजनाओं नामतः हाटकोटी, घुमारवीं, अम्ब गगरेट, नादौन, सुन्दरनगर, मनिकर्ण, नग्गर, बैजनाथ, पपरोला, रिकांगपिओ, धर्मशाला एवं बीरबिलिंग का कार्य आउटसोर्स कर दिया गया है इस योजना/ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रणनीति को वर्ष 2035 तक के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न योजना क्षेत्रों के उन गामीण क्षेत्रों जिनमें विकास की क्षमता कम है उनको हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की सीमा से बाहर किया गया है जबकि पूरे कमांद योजना क्षेत्र को निरस्त कर दिया गया है और नादौन योजना क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों जिनमें विकास की सम्भावनाएं कम है को सम्बन्धित योजना क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।

20.22 चालू वित्त वर्ष 2015–16 के भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों हेतु ₹1.19 लाख रूपये की राशि इस विभाग को आबंटित की गई, जिसमें से ₹37.92 लाख रूपये की राशि 31.12.2015 तक व्यय हो चुकी है। मिश्रित भू–उपयोग हेतु परियोजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। आम जनता हेतू सेवा वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उददे्श्य से राज्य के सभी योजना/विशेष क्षेत्रों एवं नगर निकायों में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए टी0सी0पी0 बैव पोर्टल को विकसित किया गया है। यह भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को दूर करने में मददगार सिद्ध होगा।

21. पंचायती राज

पंचायती राज

21.1 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां तथा 3,226 ग्राम पंचायतें हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में जलवाहकों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त करने की शक्तियॉ प्रदान की गई है। लेखापाल की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियंता, निजि सहायक, पंचायत सहायक तथा कनिष्ठ अभियन्ता का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है।

21.2 ग्राम पंचायतों को प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय अर्जित करने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के मामले सुन सकती है तथा ₹500.00 प्रतिमाह तक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश दे सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर उपकर ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

21.3 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कर्मचारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम

पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

21.4 पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतु वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ₹6,500 तथा ₹4,500, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ₹3,500 तथा ₹ 2,400 तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹2,100 एवं ₹ 1,800 मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹2,400 तथा ₹2,100 कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस की दर को ₹200 प्रति बैठक कर दिया गया है।

iii) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतु भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

iv) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को कार्यालय सम्बन्धित भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।

v) राज्य वित्तायोग के अर्न्तगत अनुदान के रूप में ₹1,850 प्रति चौकीदार, ग्राम पंचायत के हिसाब से समस्त 3,226 ग्राम पंचायतों के अनुदान के रुप में राशि प्रदान की जा रही है।

vi) वितीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्तायोग की सिफारशें लागू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वित्तायोग ने ₹195.39 करोड़ की राशि इस राज्य को प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें से पहली किस्त के रुप में ₹97.70 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

vii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध/ नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार से हैः–पंचायत सहायक को क्रमशः (अनुबंध) ₹7,000, पंचायत सचिव (अनुबंध) ₹7,810, कनिष्ठ लेखापाल (अनुबंध) ₹7,810, (नियमित) ₹5,910–20,200+1,900(जी. पी.), कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबंध) ₹14,100 (नियमित)10,300–34,800 +3800(जी.पी.), कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुबंध) ₹8,710 (नियमित), 5,910–20,200+ 2,800(जी.पी.), सहायक अभियन्ता (अनुबंध) ₹21,000, (नियमित) 15,660–39,100+5,400(जी.पी.), सिलाई अध्यापिका ₹2,000, विकास खण्ड अभियंता ₹18,000, पंचायत

चौकीदार को ₹2,000 कर दिए गए हैं।

viii) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत, वार्षिक योजना 2015–16 के लिए ₹13.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की है जिसमें 5.77 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतू और ₹50.00 लाख की राशि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, थुनाग, मण्डी के जीर्णोधार के लिए स्वीकृत की है।

ix) भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 7 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को 12 प्रस्तावित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में से पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया गया है। पंचायत/ विभागीय कर्मचारियों को इन एप्लीकेशनो के बारे में प्रशिक्षण पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, मशोबरा में प्रदान किया गया और उन्होंने इस एप्लीकेशन पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

सूचना और प्रौद्योगिकी हिमस्वान

22.1 राष्टीय ई–शासन योजना के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा (डी.आई.टी.एच.पी.) हिमस्वान नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया गया। हिमस्वान ब्लाक स्तर तक सब राज्य सरकार के विभागों के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हिमस्वान कुशलतापूर्वक विभिन्न इलैक्टोनिक सेवाऐं जी.टू. जी.(सरकार से सरकार) जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक), जी.टू.वी. (सरकार से व्यापार) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलैक्टोनिक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने 6ः वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हिमस्वान 5.02.2008 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी अवधि वर्ष 2014 तक समाप्त हो गई है। अब राज्य सरकार इस परियोजना के संचालन तथा रखरखाव का खर्च वहन कर रही है।

हिमस्वान परियोजना तीन स्तरीय वास्तुकला का उपयोग करते हुए वर्ष 2007–08 में बनाई गई। आजकल कम लागत वाली तकनीक सुलभ है। इसलिए राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एम. पी.एल.एस.(मल्टी प्रोटोकोल लेवल स्विचिंग) बी.पी.एन.ओ.बी.वी.(वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ब्राडबैंड) जिससे तीन स्तरीय संरचना के स्थान पर अधिक प्रबंधनीय एक स्तरीय संरचना का उपयोग करने का फैसला किया। अब सभी कार्यालय का एस.एच. क्यू0–एन.ओ.सी. से सीधे जुड़ाव होगा।

हिमस्वान की वर्तमान स्थिति

- राज्य भर में 1,761 सरकारी कार्यालय हिमस्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- अब मै0 ओरेंज कम्पनी को तीन वर्ष की अवधि के लिए एस.एच.क्यू. पी.ओ. पी. हिमस्वान के संचालक के रुप में नियुक्त किया गया है। मै0 ओरेंज कम्पनी ने हिमस्वान की सेवाओं का प्रबंधन 1 सितम्बर, 2014 से शुरु कर दिया है।
- मै0 के.पी.एम.जी. कम्पनी सेवा को हिमस्वान की तीसरी पार्टी के लेखा परीक्षक (टी.पी.ए.) के रुप में हिमस्वान के संचालक के कार्य की निगरानी के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। टी.पी. ए. ने 18 जुलाई, 2014 से सेवाएं शुरु कर दी हैं।
- अब तक 818 कार्यालयों को नई वास्तुकला में स्थानांतरित किया गया है बाकि कार्यालयों की स्थानान्तरण प्रक्रिया जारी है।

राज्य डाटा केन्द्र(एच.पी.एस.डी.सी.)

22.2 राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन.ईजी.पी.) के तहत, सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में सूचना प्रोद्यौगिकी की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर की स्थापना प्रक्रिया में है। विभिन्न सरकारी

विभागों के आवेदनों की मेजवानी के लिए तथा नागरिकों के लाभ के लिए जी.टू.सी. (सरकार से नागरिक), जी.टू.जी.(सरकार से सरकार) जी0टू0वी0 (सरकार से व्यापार) सेवाएं तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आम बुनियादी ढांचा तैयार करना (कम्पयुट्रिक संयन्त्र, साझा सर्वर, भण्डारण, नेटवर्क संयंत्र, बिजली, वातानुकूलन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, यू.पी.एस., व रैक इत्यादि) जिसमें सूचना प्रोद्यौगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना तथा एकीकरण (सर्वर, दूर संचार उपकरणों एकीकृत पोर्टल/विभागीय सूचना प्रणाली उद्यम और नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, सुरक्षा, फायरवॉल/आईडीएस नेटवर्किंग घटक इत्यादि) सोफटवेयर डाटावेस तैयार करना शामिल है। इलैक्टोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में पांच साल की अवधि के लिए स्थापना, संचालन और राज्य डाटा सेंटर के रख–रखाव की लागत को वहन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

- एच.पी.एस.डी.सी. के भवन का निर्माण हिमुडा द्वारा मैहली शिमला में किया गया है।
- मै0 ओरेंज कम्पनी पहले डाटा केन्द्र की स्थापना तथा फिर इस परियोजना के चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन करेगी। मै0 ओरेंज विजनेस सर्विसज ने 26 मई, 2014 से काम शुरु कर दिया है।
- डी0 जी0 सेट तथा ट्रांसफार्मर उपकर्णों की स्थापना की जा चुकी है।
- आई0टी0 उपकरणों की स्थापना हो चुकी है। अब आई0टी उपकरणों के कॉन्फिग्रेशन का कार्य जारी है।
- मै0 ई.एण्ड वाई. की, एच.पी.एस.डी.सी. में सेवा के स्तर की निगरानी पांच वर्ष की अवधि के लिए तीसरी पार्टी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है जिसका एच.पी.एस.डी.सी. संचालक द्वारा पालन किया जा रहा है। मै0 ओरेंज कम्पनी ने टी.पी.ए. के तौर पर 24 सितम्बर, 2014 से सेवाएं शुरु कर दी है।

लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना

22.3 इस योजना का उददे्श्य सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी के उपकरणों का उपयोग करके एक समन्वित तरीके से राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 3,366 लोक मित्र केन्द्रों की स्थापना करना तथा ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजि तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं सीधे उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्र ग्राम स्तर पर राज्य के नागरिकों को जी.टू.सी. सेवाओं को उपयोगकर्ताओं तक सीधे पंहुचा रहे है। राज्य सरकार भी ई–जिला परियोजना लागू कर रही है। 51 सेवाओं को ई–जिला मिशन मोड परियोजना के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इन सेवाओं की डिलिवरी भी लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

वर्तमान में कुल 3,366 लोक मित्र केन्द्रों में से 2,301 सी.एस.सी. स्थापित किए गए है जिनमें से 2,060 लोक मित्र केन्द्र सक्रिय रुप से निम्न जी.टू.सी. सेवाएं प्रदान कर रहे है:–

1) एच.पी.एस.ई.वी. बिजली बिल का संग्रह।
2) आई.पी.एच. पानी का बिल।
3) नकल जमाबन्दी के प्रति जारी करना (भू–अभिलेख) ।
4) एच.आर.टी.सी. टिकट बुकिंग आदि ।
5) ई0 आधार छपाई इत्यादि।
6) आधार कार्ड में जनसांख्यिकी का नवीकरण ।
7) ब्लाक स्तर पर 50 आधार पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जिसमें से 32 आधार पंजीकरण का परिचालन किया जा रहा है। शेष की लिए आवश्यक हार्डवेयर खरीदे जा रहे हैं।
8) नगर निगम शिमला में पानी का बिल संग्रह।
9) नगर निगम शिमला में संपति कर का संग्रह।
10) जेल वार्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली।
11) किसान पंजीकरण प्रतिक्रिया।

राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

22.4 सेवा डिलिवरी गेटवे एन.ई. जी.पी. के तहत ई–शासन के बुनियादी ढांचे का मुख्य घटक है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इलैक्टोनिक रुप में सम्बंधित विभागों को भेजे जाएगें। 14 विभागों की 49 सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक सेवा के लिए कार्य प्रवाह के साथ पोर्टल और ई. फार्म को अन्तिम रुप दे दिया गया है और विकसित प्रणाली लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 36 जी.टू.सी. सेवाओं को www.eserviceshp.gov.in पर राज्य पोर्टल से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

22.5 भारत सरकार की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार के लिए तकनीकी व व्यवसायिक मानव संसाधन उपलब्ध करवाना तथा विभिन्न ई–गवर्नेस परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता प्रदान करना है।

1. 4 एस.टी.ई.पी. कार्यक्रम एन.आई.एस. जी. के सहयोग से विभाग द्वारा आयोजित किया गया जिसमें ई–गर्वनेंस परियोजना के जीवन चक्र परिवर्तन, प्रबन्धन और परियोजना प्रबन्धन पर नीति निर्णय लेने एवं विशेष कौशल तैयार करने के लिए चर्चा की गई। डी.ई.जी.एस. सभी 12 जिलों में बनाई गई है।
2. आज तक 2,323 कर्मचारियों को क्षमता निर्माण परियोजना के तहत प्रशिक्षत किया गया है ।
3. SeMT परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय अधिप्राप्ति सलाहकर को NISG के माध्यम से तैनात कर दिया गया है।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

22.6 राजस्व न्यायालय मामले की निगरानी प्रणाली प्रभाग, जिला, मण्डलायुक्त और तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों

के उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा राजस्व अदालतों की दैनिक कार्यवाही अन्तरिम आदेशों/ निर्णयों को प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व मामलों का ब्यौरा आम जनता के लिए ऑन लाइन उपलब्ध है नागरिकों को अपने मामलों की स्थिति सूची देखना अन्तरिम आदेशों/ निर्णयों को ऑनलाइन डाउनलोड़ कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

1. आर.सी.एम.एस. परियोजना को भारत में ई–गर्वेनस की पहल को पहचानने के लिए राष्टीय स्तर पर 2014 सी. एस.आई. निहिलैट ई. गर्वेनस पुरस्कार मिला है।
2. 242 राजस्व न्यायालयों में आर.सी.एम. एस.सोफ्टवेयर का उपयोग हो रहा हैं।
3. 61,267 अदालती मामले आर.सी.एम. एस. में दर्ज किए गए है। जिनमें से 26,710 मामलों का फैसला हो चुका है।

अभियोग निगरानी प्रणाली

22.7 किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक बड़ी चुनौती है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सामान्य साफ्टवेयर तैयार किया गया है इस साफ्टवेयर के प्रयोग से सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से कर सकते है और लम्बित मामलों का निर्धारित समय में उत्तर तैयार करना, वर्तमान स्थिति और व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों का निरीक्षण कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

1. सभी सरकारी विभाग अपने मामलों की दैनिक स्थिति को देखने के लिए एल.एम.एस. का उपयोग कर रहें हैं।
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाइट एल. एम.एस. सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण के लिए माडयूल तैयार किया है। एल.एम.एस. साफ्टवेयर के द्वारा सभी विभाग उच्च न्यायालय के आदेशों को देख व डाउनलोड़ कर सकते हैं।
3. एल.एम.एस. में आज तक 52,193 मामले लम्बित रहे हैं।

निम्नलिखित विशेषताओं को एल.एम.एस. साफ्टवेयर में शामिल किया गया है।

- ई–मेल और एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना, अतिरिक्त निदेशकों, विभागों के प्रमुखों, नोडल अधिकारियों को भेजी जाती है।
- संबंधित विभाग के मामले का विवरण दर्ज होने पर स्वचालित पत्र तैयार हो जाता है।
- विलोपन/मामलों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर में शामिल है।

एकमात्र आई.डी. (आधार)

22.8 आधार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2010 में शुरु किया गया था और तब से राज्य सरकार ने आधार बनाने में अग्रणी स्थान बनाए रखा है तथा 70 लाख (96.52 प्रतिशत) से अधिक राज्य के निवासियों को नामांकित किया जा चुका है। 67.77 लाख (93.41 प्रतिशत) से अधिक के यू.आई.डी. बनाए जा चुके हैं। शेष लोगों

के नामांकन के लिए सूचनाप प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 114 आधार स्थायी पंजीकरण केन्द्रों की स्थापना की गई है। 5–18 वर्ष की आयु वर्ग को स्कूलों व कालेजों के आधार कैम्प के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इसके अलावा 50 नए पी.ई.सी.एस. की स्थापना की जा रही है। राज्य में 0–5 वर्ष के वर्ग के लिए इस विभाग द्वारा 450 टैबलेट खरीदे गए हैं जिसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आधार पंजीकरण के लिए चार जिलों में किया जा रहा है।

आधार का प्रयोग

- एस.आर.डी.एच. (स्टेट रेजिडैंट डाटा हब) का बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है जो आधार सिडिंग में विभिन्न विभागों को सहायता प्रदान करता है।
- आधार के डाटावेस का प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 78.40 प्रतिशत, मनरेगा में 96.18 प्रतिशत, शिक्षा में 99.58 प्रतिशत, एन.एस.ए.पी. में 76.71 प्रतिशत, एल.पी.जी. में 93.12 प्रतिशत सिडिंग कर दी गई है।
- ₹254.00 करोड़ डी.वी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट टांसफर) द्वारा वितरित किए गए है।
- हिमाचल मनरेगा में डी.वी.टी. शुरु करने वाला पहला राज्य है।
- आधार पर आधारित बायोटिक उपस्थिति प्रणाली नगर एवं शहरी विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय, 5 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तथा शिमला के एक स्कूल में चालू है।

ई–कार्यालय

22.9 ई–कार्यालय एक उत्पाद है जिसका उद्देश्य अधिक–कुशल प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारी लेन देन सरकारों के मध्य व सरकार के साथ करना है। निम्नलिखित विभागों में ई–कार्यालय आवेदन को लागू करना प्रक्रिया में हैः–

- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग।
- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था।
- कोष, लेखा और लाटरी विभाग।
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग।
- हि0 प्र0 राज्य खाद्य आपूर्ति निगम।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- शहरी विकास निदेशालय।
- विद्युत निदेशालय।
- पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- निर्वाचन विभाग।
- हि0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड।
- ई–कार्यालय समाधान आई.टी. विभाग। उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है
- वित्तीय पोषण के लिए एन.आई.सी. के प्रस्ताव को वित्त विभाग के भेज दिया गया है।

जिला अदालतों, जेलों और हिमाचल प्रदेश के अन्य सरकारी कार्यालयों में ई–पेशी वीडियो कान्फ्रैंसिंग की सुविधा

22.10 यह सुविधा अदालत में कैदियों को ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करेगी तथा तुरन्त न्याय देने में सहायक सिद्व होगी। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

- मै0 भारती एयरटेल राज्य में विडियो कान्फ्रेसिंग के उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापित करने, इस परियोजना को चालू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के रखरखाव के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
- मै0 भारती एयरटेल ने 63 विडियो कान्फ्रेसिंग की आपूर्ति तथा स्थापित करने का आदेश दिया गया सभी 63 वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाओं को वितरित कर दिया गया है।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधा को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है अभी तक 60 वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाएं वितरित की गई हैं।

ई–जिला

22.11 ई–जिला परियोजना एक मिशन मोड़ परियोजना है जिसका उद्देश्य एकीकृत नागरिक केन्द्रीय सेवाएं प्रदान करना, जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाओं के एकीकरण और सहज वितरण कार्य प्रवाह के स्वचालन, वैकेंड कम्पयूटरीकरण, डाटा डिजिटलीकरण की विभिन्न विभागों द्वारा परिकल्पना की गई है। इसके आगे का उद्देश्य आवेदनों का एकीकरण करना, सार्वजनिक मामलों/अपीलों /शिकायतों का तेजी से प्रसंस्करण सूचनाओं का जनता की आवश्यकता के अनुसार सूचना का प्रसार व महत्वपूर्ण सेवाओं को सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से नया स्वरुप देना है तथा इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं।

1. सभी 12 जिलों में डी.ई.जी.एस.सोसाइटी का गठन का कार्य पूरा कर लिया है तथा ई–डिस्टिक मेनेजर तैनात कर दिए गए हैं।
2. मै0 विप्रो लिमिटिड ई– जिला एम.एम. पी. के लिए एस.पी.एम.यू. (राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई) सलाहकार के रुप में नियुक्त किया गया है।
3. एम./एस. आई.एल. तथा एफ.एस. टैक्नोलोजी लिमिटिड को डिस्टिक मिशन मोड परियोजना के राज्य न्यायी शेल आउट के लिए (सिस्टम इंटीग्रेटर) रुप में चयनित किया गया है।
4. सभी/सेवाओं के लिए बिजनेस प्रोसेसरी–इंजनीयरिंग कार्यात्मक प्रबंधन आवश्यकता निर्देश (एफ.आर.एस.) दस्तावेजों को राज्य के शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
5. ई–जिला मिशन मोड प्रोजेक्ट 51 जी.टू. सी. सेवाएं की पहचान की गई है तथा विभिन्न चरणों (चरण– । से चरण–III) तक राज्य में चलाई जाएगी।
6. हार्डवेयर डिलिवरी, साईट तैयारी 11 जिलों में चलाई गई है (चरण– । में कवर की जाएगी) तथा 1 जिला की साइट में हार्डवेयर डिलिवरी की गतिविधि लम्बित है जिसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।
7. 2 जुलाई, 2015 को डिजिटल ईण्डिया सप्ताह के दौरान माननीय मुख्यमन्त्री के द्वारा ई–डिस्ट्रिक परियोजना में 7 विभिन्न सेवाओं को आरम्भ कर दिया गया।
8. ई–जिला योजना का एकीकरण यू.आई. डी.ए.आई. (आधार) एस. एम.एस.गेटवे तथा पे–मेन्ट गेटवे तैयार कर लिया गया है।
9. पुराने रिकार्ड का डाटा डिजिटाईजेशन करने वाले विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) ने विरासत रिकार्ड के

10 लाख से अधिक डाटा को स्कैन कर रहे हैं जिसमें से 3,100 पंचायतों का कार्य पूर्ण हो गया है।

10. महिला एवं वाल विकास विभाग की ओर से पहचान सेवाओं के डिजिटाईजेशन के लिए 32,550 रिकार्डों को स्कैन कर दिया गया है। जो लगभग पूरा हो रहा है।
11. ई–डिस्ट्रिक योजना के अन्तर्गत 7 जिलों के 400 से अधिक सरकारी कार्यालयों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है।
12. श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से 5 सेवाएं ई–डिस्ट्रिक परियोजना के तहत शूरू की गई है।

एन.ई.जी.पी.–ए प्रोजेक्ट

22.12 कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत कृषि एवं सहकारी विभाग राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस कार्यक्रम को कृषि क्षेत्र के लिए मिशन मोड़ कार्यक्रम के तौर पर चला रहा है तथा इसमें कृषि, पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस परियोजना के अंतर्गत 12 सेवा कलस्टर भी चिन्हित किये गए हैं। एन.ई.जी.पी.–ए परियोजना का देश भर से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उददे्श्य केन्द्रीय कृषि पोर्टल (सी.ए.पी.) तथा राज्य कृषि पोर्टल (एस.ए.पी.) के माध्यम से सरकार से नागरिक/किसान (जी.टू.सी./जी.टू.एफ.), सरकार से व्यापार (जी.टू.वी.), सरकार से सरकार (जी.टू.जी.) तथा कृषि सेवाएं एकीकृत तरीके से पेश करना है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष के दौरान निम्न उपलब्धियां हैं:–

- 193 स्थानों में से 192 स्थानों पर साईट तैयार हो चुकी है तथा हार्डवेयर की आपूर्ति, हार्डवेयर वितरण, सत्यापन और स्वीकृत परीक्षण पूरा कर स्थापित कर दी गई है।
- डाटा डिजिटलीकरण के लिए आर. एफ.क्यू. तैयार की गई है।
- सभी कर्मचारियों का वेसिक कम्पयूटर प्रशिक्षण कार्य पूरा कर दिया गया है।
- किसान एस.एम.एस पोर्टल के सभी उपयोग कर्ताओं को सलाहकार एस. एम.एस भेजने के लिए पंजीकृत किया गया है।
- लगभग 7.50 लाख किसानों को किसान पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
- किसानों को नियमित रूप से एस. एम.एस भेजा जाता है।
- एन.ई.जी.पी.–ए.एन.आई.सी के द्वारा विकसित किया गया है।
- एस.आर.एस. तैयार किया तथा अनुमोदित हो गया है।